लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४९, १९६०/१८८२ (शक)

[१२ से २३ दिसम्बर, १९६०/२१ अग्रहायण से २ पौष, १८८२ (शक)]

2nd Lok Sabha

बारहवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४९ में अंक २१ से ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

लोक-सभा

गुरुवार, २२ दिसम्बर, १९६०

१ पौष, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

उर्वरक वितरण जांच समिति

+

†*१०५४. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री पुन्नूस :
श्री यादव नारायण जाधव :
श्री प्र० के० देव :
श्री कालिका सिंह :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री रामी रेड्डी :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री बि० दास गुप्त :
श्री कोडियान :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हाल्दर :
श्री छात्तार :
कुमारी मो० वेद कुमारी :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री दामानी :
श्री मणियंगाडन :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री ५ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में उर्वरकों का वितरण करने की प्रणाली पर पुनर्विचार करने के लिये और इस प्रणाली में सुधार करने के उपायों का, यदि कोई हों, तो सुझाव देने के लिये नियुक्त की गयीं उर्वरक वितरण जांच समिति ने इस बीच अपनी रिपोर्ट दे दी है; और

†मूल अंग्रेजी में

विषय सूची

[द्वितीय माला--खण्ड ४९--अंक २१ से ३०--१२ से २३ दिसम्बर १९६०/ अग्रहायण २१ से २ पौष १८८२ (शक)]

पृष्ठ

अंक २१--सोमवार, १२ दिसम्बर, १९६०/२१ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८३० से ८३६, ८३८, ८४० और ८४१ . २४२३--४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८३७, ८३९ और ८४२ से ८६५ . . २४४२--५२

अतारांकित प्रश्न संख्या १६२१ से १७०० . . . . २४५२--८९

निधन सम्बन्धी उल्लेख २४८९

सभा पटल पर रखा गया पत्र . २४८९

विशेषाधिकार समिति--

ग्यारहवां प्रतिवेदन २४८९

लोक लेखा समिति—

बत्तीसवां प्रतिवेदन . . २४८९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

श्री ए० के० चन्दा की वित्त आयोग के सभापति के पद पर नियुक्ति २४९०–९१

तारांकित प्रश्न संख्या २६९ के उत्तर की शुद्धि . . . २४९१

कांगों की स्थिति के बारे में वक्तव्य . . . . . २४९१—९८

भैरवपुर (सिलचर) में डकैती के सम्बन्ध में वक्तव्य . २४९८–९९

समिति के लिये निर्वाचन—

भारतीय विज्ञान संस्था परिषद्, बंगलौर . . २४९९

रेलवे यात्री किराया (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . २४९९—२५०२

खंड २ और १ . . . . . २५०२

पारित करने का प्रस्ताव २५०२

पृष्ठ

त्रिपुरा उत्पादन शुल्क विधि (निरसन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . २५०२–०५

खंड २, ३ और १ . . २५०५

पारित करने का प्रस्ताव . . . २५०५

पशु निर्दयता निवारण विधेयक

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २५०५—२४

कार्य मंत्रणा समिति—

उनसठवां प्रतिवेदन २५२४

दैनिक संक्षेपिका— . . . . . २५२५—३१

अंक २२—मंगलवार, १३ दिसम्बर, १९६०/२२ अग्रहायण, १८८२ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण २५३३

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८६६ से ८७०, ८७२ से ८७४, ८७६ से ८७८ और ८८६ २५३३—५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७१, ८७५, ८७९ से ८८५ और ८८७ से ८९१ २५५५—६१

अतारांकित प्रश्न संख्या १७०१ से १७७२ . २५६१–९४

स्थगन प्रस्ताव के बारे में २५९४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . २५९५–९६

राज्य सभा से सन्देश २५९७

दहेज निषेध विधेयक—राज्य सभा द्वारा लौटाये गये रूप में . २५९७

बाल विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में . २५९८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

सरकारी आदेश के फलस्वरूप ऊनी कपड़ा मिलों की कठिनाइयां . २५९८–९९

कार्य मंत्रणा समिति—

उनसठवां प्रतिवेदन . २५९९

पशु निर्दयता निवारण विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २५९९—२६०७

खंड २ से ४१ और १ . . . . . २६०४—०७

पारित करने का प्रस्ताव २६०७

पृष्ठ

औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव २६०७–२०

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों और उपक्रमों सम्बन्धी प्रकाशन के बारे में प्रस्ताव २६२०–३३

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित २६३४

दैनिक संक्षेपिका २६३५–४२

अंक २३—बुधवार, १४ दिसम्बर, १९६०/२३ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८९२ से ८९४, ८९६, ८९७, ८९९, ९०२ से ९०४ और ९०७ से ९१६ . . २६४३–६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८९५, ८९८, ९००, ९०१, ९०५ और ९०६ २६६५–६८

अतारांकित प्रश्न संख्या . १७७३ से १८३६ २६६८–९४

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . २६९४

स्थगन प्रस्ताव—

उत्तर प्रदेश गन्ना उप-कर अधिनियम, १९५६ के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय . . . २६९५–९६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २६९६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

चौहत्तरवां प्रतिवेदन . . . २६९६

प्राक्कलन समिति —

एक सौ एकवां प्रतिवेदन २६९७

औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक . . . २६९७–९९

विचार करने का प्रस्ताव २६९७

खंड २ से ६ और १ . . . . २६९७–९९

पारित करने का प्रस्ताव २६९९

प्रसूति लाभ विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २६९९–२७१४

अधिमान–प्राप्त अंश (लाभांशों का विनियमन) विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव २७१४–२०

खंड २ से ७ और १ . . २७२०

पारित करने का प्रस्ताव . . २७२०

पृष्ठ

मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २७२०–२१

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों सम्बन्धी प्रकाशन और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में प्रस्ताव . २७२१—४७

दैनिक संक्षेपिका २७४८—५३

अंक २४—गुरुवार, १५ दिसम्बर, १९६०/२४ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९१७ से ९२०, ९२२ से ९२६ और ९२९ . २७५५—७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९२१, ९२७, ९२८ और ९३० से ९४३ . २७७७—८५

अतारांकित प्रश्न संख्या १८३७ से १८६८ और १८७० से १८९९ . २७८५—२८०९

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . २८०९—१०

राज्य सभा से सन्देश २८१०

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

बाईसवां प्रतिवेदन २८१०

भारत और पाकिस्तान के बीच बेरूबाड़ी यूनियन के प्रस्तावित विभाजन के बारे में याचिका २८१०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नागा विद्रोहियों द्वारा मनीपुर राइफल्स के दो सिपाहियों का मारा जाना २८१०—१२

मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक . . . २८१२—३९

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव २८१२—३४

खंड २ से ४० और १ . . २८३४—३८

पारित करने का प्रस्ताव २८३९

निवेली लिगनाइट निगम लिमिटेड के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . २८३९—५२

कच्चे माल सम्बन्धी समिति के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . २८५३—५७

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २८५८—६३

अंक २५—शुक्रवार, १६ दिसम्बर, १९६०/२५ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९४४, ९४५, ९४७ से ९५३, ९५७, ९५८, ९६० और ९६१ . . . . २८५८—८९

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९४६, ९५४ से ९५६, ९५९ और ९६२ से ९६७ . २८८९—९४

अतारांकित प्रश्न संख्या १९०० से १९५८ . . . २८९४—२९२०

स्थगन प्रस्ताव और अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नेपाल नरेश द्वारा नेपाली मंत्रिमंडल की बरखास्तगी . २९२१—२२

सभा पटल पर रखे गये पत्र २९२२—२३

प्राक्कलन समिति—

अट्ठानवेवां प्रतिवेदन २९२३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

राउरकेला उर्वरक कारखाने के मजदूरों द्वारा हड़ताल २९२३

सभा का कार्य २९२४

औचित्य प्रश्न के बारे में . . . २९२४–२५

अर्जित राज्य-क्षेत्र (विलय) विधेयक—पुरस्थापित २९२५—३२

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित २९३२–३३

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक . . २९३४—४३

विचार करने का प्रस्ताव २९३४—३८

खंड २ और १ . . २९३८—४३

पारित करने का प्रस्ताव २९४३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

चौहत्तरवां प्रतिवेदन २९४३

सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . . २९४४

निशान लगा कर मतदान करने की नई प्रणाली के बारे में संकल्प—वापस लिया गया . . . . . २९४४—७४

कोयला खान भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत अंशदान की दर बढ़ाये जाने के बारे में संकल्प . २९७४

कार्य मंत्रणा समिति— . . . . .

साठवां प्रतिवेदन २९७४

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २९७५—८०

अंक २६—सोमवार, १९ दिसम्बर, १९६०/२८ अग्रहायण, १८८२ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण २९८१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९६८ से ९७२ और ९७४ से ९७८ . . २९८१—३००३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . . ३००३—०५

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९७३ और ९७९ से ९९७ . . . ३००५—१४

अतारांकित प्रश्न संख्या १९५९ से २०४७ . . ३०१४—५१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३०५२

राज्य सभा से सन्देश . . . ३०५२

सालारजंग संग्रहालय विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . ३०५३

विधेयक पुरःस्थापित—

(१) औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक . ३०५३

(२) तार विधियां (संशोधन) विधेयक . ३०५३

कार्य मंत्रणा समिति—

साठवां प्रतिवेदन . . . ३०५३

अनुपस्थिति की अनुमति ३०५४–५५

मत विभाजन के परिणाम की शुद्धि ३०५५

अर्जित राज्य-क्षेत्र (विलय) विधेयक और संविधान (नवां संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ३०५५—८६

असिस्टेंट सुपरिन्टेंडेन्टों की परीक्षाओं के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ३०८६–९२

दैनिक संक्षेपिका ३०९३–३१००

अंक २७—मंगलवार, २० दिसम्बर, १९६०/२९ अग्रहायण, १८८२ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ३१०१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९८ से १००३ और १००५ से १००८ ३१०१—२२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ से ७ ३१२२—३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १००४ और १००९ से १०२६ ३१३०—३७

अतारांकित प्रश्न संख्या २०४८ से २१२१ . . . ३१३७–६९

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३१६९

प्राक्कलन समिति—

निन्यानवेवां प्रतिवेदन ३१७०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

त्रिपुरा के जोतदारों द्वारा कुर्फा-उप-काश्तकारों के विरुद्ध की गई आक्रामक कार्यवाही ३१७०

पृष्ठ

लाम्रोस की स्थिति के बारे में वक्तव्य ३१७०

अर्जित राज्य-क्षेत्र (विलय) संशोधन विधेयक तथा संविधान (नवां संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ३१७०—३२०२

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक के खण्ड २, ३, प्रथम और द्वितीय अनुसूचियां और खण्ड १ . . . . ३२०२—०३

अर्जित राज्य-क्षेत्र (विलय) विधेयक के खण्ड २ से ११, प्रथम और द्वितीय अनुसूची . . . . ३२०३—०५

मत्स्य पालन शिक्षा की केन्द्रीय संस्था के बारे में आधे घंटे की चर्चा ३२०५—१०

दैनिक संक्षेपिका . . . . ३२११—१७

अंक २८—बुधवार, २१ दिसम्बर, १९६०/३० अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०२८ से १०३८ और १०४५—क ३२१९—४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०२७, १०३९, १०४०, १०४०—क, १०४१, १०४१-क, १०४२ से १०४५, १०४६ से १०५२, १०५२—क, और १०५३ . . . . ३२४३—५३

अतारांकित प्रश्न संख्या २१२२ से २२०२, २२०४ से २२१९, २२२१ से २२२४ और २२२४—क . . . ३२५३—९८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३२९८—९९

राज्य सभा से सन्देश ३२९९

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

पिचहत्तरवां प्रतिवेदन . . ३३००

लोक-लेखा समिति—

इकत्तीसवां प्रतिवेदन ३३००

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेन्सी में दासता का प्रचलन. ३३००—०२

कपड़े के मूल्यों के बारे में वक्तव्य . . . . ३३०२—०६

भारी बंडलों पर निशान लगाना (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित ३३०६

औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ३३०७—२१

खंड २ से ८ और १ . . . . . ३३२१—२३

पारित करने का प्रस्ताव . . . ३३२३

मध्यम पत्तन विकास समिति को प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . ३३२४—३८

श्री ए० के० चन्दा को वित्त आयोग का सभापति नियुक्त किये जाने के बारे में चर्चा ३३३९—५३

आधे घंटे की चर्चा के बारे में . ३३५३

दैनिक संक्षेपिका . ३३५४—६०

अंक २९—गुरुवार, २२ दिसम्बर, १९६०/१ पौष, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५४ से १०५९, १०६१, १०६२, १०६४, १०६५, १०६७ और १०६८ . . . . ३३६१—८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ से १० . ३३८४—८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६०, १०६३, १०६६ और १०६९ से १०७९ ३३८९—९५

अतारांकित प्रश्न संख्या २२२५ से २२७४ और २२७६ से २३११ . ३३९५—३४३१

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . ३४३१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३४३१–३२

राज्य सभा सन्देश ३४३२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

कार्यवाही सारांश ३४३३

सभा का कार्य ३४३३

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

कार्यवाही सारांश . . . ३४३३

याचिका समिति—

कार्यवाही सारांश और ग्यारहवां प्रतिवेदन . . ३४३३

प्राक्कलन समिति—

एक सौ दोवां प्रतिवेदन ३४३४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

रुद्रसागर, आसाम में तेल मिलने का समाचार . . ३४३४

	पृष्ठ
ई० एन० आई० के दल के साथ चर्चा के बारे में वक्तव्य .	३४३४—३६
बाल विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	३४३६—६०
निर्वाचनआयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में आधे घंटे की चर्चा .	३४६०—६५
राज्य व्यापार निग म के बारे में आधे घंटे की चर्चा . .	३४६५—६९
दैनिक संक्षेपिका . . .	३४७०—७६

अंक ३०—शुक्रवार, २३ दिसम्बर, १९६०/२ पौष, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०८० से १०८९, १०९१ से १०९३ और १०९७	३४७७—३५०१
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ से १४ . . .	३५०१—१०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०९०, १०९५, १०९६ और १०९८ से ११०६ .	३५१०—१५
अतारांकित प्रश्न संख्या २३१२ से २४०३ . . .	३५१५—६०
निधन सम्बन्धी उल्लेख	३५६०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३५६०—६२
तीसरी पंवर्षीय योजना के प्रारूप संबंधी समितियों के कार्यवाही-सारांश .	३५६२–६३
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	३५६३
कार्यवाही-सारांश तथा दसवां प्रतिवेदन . . .	३५६३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—	
(१) गुजरात में तेल साफ करने का कारखाना . .	३५६४—६६
(२) दिल्ली में अनुसूचित जातियों के लोगों के झोंपड़ों का गिराया जाना	३५६६
(३) जम्मू तथा काश्मीर में विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास अनुदान और	
(४) शरणार्थियों को दंडकारण्य में ले जाने के बारे में योजना	३५६६
विधेयक पुरःस्थापित—	
(१) दण्ड विधि संशोधन विधयेक	३५६७
(२) द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (समापन) विधेयक . .	३५६७
(३) विशिष्ट सहायता विधेयक	३५६७
(४) अवधि विधेयक	३५६८

	पृष्ठ
बाल विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . .	३५६८—७३
खंड २ से ६० तथा १	३५७३
पारित करने का प्रस्ताव	३५७३—७५
तार विधियां (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	३५७५—८०
खंड २ से ५ और १	३५८०
पारित करने का प्रस्ताव	३५८०
ब्रिटिश संविधियां (भारत पर लागू होना) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	३५८०—८२
खंड २, ३ और १	३५८२
पारित करने का प्रस्ताव	३५८२
निरसन तथा संशोधन विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में—पारित .	३५८२–८३
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति . .	३५८३
पिचहत्तरवां प्रतिवेदन	३५८३
छोटे कलाकार (रोजगार का विनियमन) विधेयक [श्री नारायण गणेश गोरे का]—पुरःस्थापित	३५८३
गोवध पर प्रतिबन्ध (संघ राज्य क्षेत्रों में) विधेयक [पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश" का]—	
पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव अस्वीकृत. . . .	३५८३–८४
भारतीय पुरातत्व संस्था विधेयक [श्री नरसिंहन् का]—वापस लिया गया परिचालित करने का प्रस्ताव	३५८५—८९
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा १९८ का संशोधन) [श्री मती सुभद्रा जोशी का] . . .	३५८९–९०
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन स्वीकृत . . .	३५९०
दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक (धारा १०७, १२९, १४४ का संशोधन और नई धारा १३१क का रखा जाना) [श्री तंगामणि का]—	
विचार करने का प्रस्ताव	३५९०—३६०५
राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों के बारे में आधे घंटे की चर्चा. .	३६०६—१५
कार्यवाही संबंधी उल्लेख	३६१५
दैनिक संक्षेपिका	३६१६—२४

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्नों में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GIPD—LS III—1724(Ai) LSD—12-1-61—115.

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†कृषि मन्त्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा प्रतिवेदन में दिया गया है जिस की एक प्रति लोक-सभा पुस्तकालय में रख दी गई है ।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : पहले एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया था कि जहां सहकारी समितियां होंगी वहां उन्हीं के माध्यम से वितरण कराया जायेगा। जहां सहकारी समितियां नहीं हैं उन के बारे में समिति ने किस तरीके का सुझाव दिया है ?

†अध्यक्ष महोदय : जो बातें प्रतिवेदन में दे दी गई हैं उन का यहां पूछा जाना ठीक नहीं है क्योंकि वह प्रतिवेदन संसद्-पुस्तकालय में रख दिया गया है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो उस की अधिक प्रतियां उपलब्ध की जा सकती हैं परन्तु इस प्रकार के प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जिस में इस प्रकार की सूचना चाही गई हो जो संसद् में उपलब्ध किसी पुस्तक का या प्रतिवेदन में दी हुई हो। माननीय सदस्यों को उन को पढ़ कर ही सभा में कोई प्रश्न पूछना चाहिये ।

†श्रीमती रेणुका राय : क्या यह सच है कि भारत में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का मूल्य अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक है और यदि हां, तो सरकार मूल्य कम करने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

†डा० पं० शा० देशमुख : समिति ने विचार किया है कि .....

†अध्यक्ष महोदय : पहले माननीय सदस्य समिति के प्रतिवेदन पढ़ लें तब मैं प्रश्नों की अनुमति दूंगा ।

†श्रीमती रेणुका राय : इस बात की सिफारिश समिति ने की है। मैं जानना चाहती हूं कि सरकार समिति की सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिये क्या कदम उठा रही है ? समिति ने यह कहा है कि हमारे देश में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का मूल्य अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक है।

†डा० पं० शा० देशमुख : उन सब सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। वे राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं। उन के विचार प्राप्त हो जाने पर इन सिफारिशों पर विचार किया जायेगा ।

†अध्यक्ष महोदय : समिति का प्रतिवेदन कब प्राप्त हुआ था ?

†डा० पं० शा० देशमुख : अगस्त के महीने में संभवतः ३१ तारीख को ।

†अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा, मैं इस विषय पर आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति दूंगा।

श्री कालिका सिंह : उठे---

†अध्यक्ष महोदय : इस के बारे में अगले सत्र में चर्चा होगी। माननीय सदस्य उस के लिये तैयार हो कर आयें ।

†श्री कालिका सिंह : मैं उर्वरकों के वितरण के संबंध में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

†अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें अवसर दूंगा। मैं दफ्तर से श्री कालिका सिंह का नाम नोट करने और उन्हें अधिमान्यता देने के लिये कहूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री कालिका सिंह : मेरा प्रश्न जान लेने से माननीय मंत्री को भी आधे घंटे की चर्चा के संबंध में लाभ होगा। प्रश्न सहकारी समितियों के बारे में है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में जिला सहकारी संघ के गोदाम से उर्वरकों के ४३,००० बोरे नदारद पाये गये हैं जिन का मूल्य १$^{1}/_{2}$ लाख रुपये के ऊपर है। उस के बारे में जांच की जा रही है और संबंधित सहकारी अधिकारी को मौअत्तल कर दिया गया है। इसलिये माननीय मंत्री को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि जिला सहकारी संघ को उर्वरकों का वितरण सौंपते समय इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि इस प्रकार की चीजें न हों।

†डा० पं० शा० देशमुख : यह बात राज्य के क्षेत्राधिकार की है और वही कोई कार्यवाही कर सकता है।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। मैं नहीं जानता कि संसद् की क्या स्थिति ह ? अभी तक हम यह समझते थे कि खाद्य तथा कृषि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसे विषयों का केन्द्र के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है और उसे केवल समन्वय करना चाहिये। अब वे जिम्मेदारी तो लेते हैं परन्तु जब उसे ग्रामीणों तक पहुचाने का सवाल आता है तो यह कहा जाता है कि वह राज्य का कार्य है। माननीय मन्त्री को इसके बारे में जांच करनी चाहिये और यह प्रयत्न करना चाहिये कि इस प्रकार की शिकायतें न आयें। साधारण व्यक्ति तो केवल सरकार को जानता है, वह केन्द्रीय तथा राज्य सरकार का अन्तर नहीं समझता है। जब कोई चीज वितरण के लिये दी जाती हैं तो माननीय मन्त्री को यह देखना चाहिये कि वह कार्य ठीक तरह किया जाये। मैं प्राक्कलन समिति तथा लोक लेखा समिति से यह कहूंगा कि आगे से यह भी देखा जाय कि अनुदान किस प्रकार खर्च किये जाते हैं ? यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार की बात प्रायः नित्य आती रहती है। इसलिये माननीय मन्त्री को ये शिकायतें अपने टिप्पण सहित राज्य सरकारों के पास भिजवानी चाहियें। इस प्रकार की शिकायतें क्यों आनी चाहिये ?

†डा० पं० शा० देशमुख : केन्द्रीय सरकार ने यह समिति वास्तव में इसीलिये नियुक्त की थी। वितरण के दोषों के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। समिति ने उन सब पर विस्तार पूर्वक विचार किया है। माननीय मित्र ने एक खास सहकारी समिति की शिकायत की हैं।

†अध्यक्ष महोदय : यह सब ठीक है। मेरा तात्पर्य यह था कि माननीय मन्त्री केवल यहां कहें ही नहीं वरन् राज्य के मन्त्री को लिखे भी। मूलतः राज्यों से सम्बन्धित विषयों के प्रभारी मन्त्रियों से मैं यह अनुरोध करूगा कि वे केवल इतना ही न कहें कि मैंने यहां अपने कर्त्तव्य का पालन कर दिया है वरन् इस प्रकार की शिकायतों को राज्यों के मन्त्रियों को भेजें भी। उनके भेजने का अधिक असर होगा बजाए इसके कि माननीय सदस्य उसका सवाल उठायें।

†श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या माननीय मन्त्री यह जानते हैं कि उड़ीसा विपणन सहकारी समिति को आवण्टित उर्वरक चोर बाजार में बेचा जा रहा है और किसानों को नहीं मिल रहा है ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री राज्य के मन्त्री को लिखेंगे और प्रतिवेदन के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित करेंगे। अब इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछने दिया जाएगा।

†श्री यादव नारायण जाधव : सरकार ने इस प्रतिवेदन को कहां तक स्वीकार किया है ?

†अध्यक्ष महोदय : सम्भवतः माननीय सदस्य मन्त्री जी की बात को समझे नहीं हैं। मन्त्री जी ने कहा है कि उस प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है। मैंने उनसे स्वयं यह पूछा था कि वह प्रतिवेदन

---

†मूल अंग्रेजी में

कब प्राप्त हुआ था। उन्होंने बताया कि अगस्त में प्राप्त हुआ था। उन्होंने यह भी कहा कि उसे सूचना एकत्रित करने के लिये विभिन्न राज्यों के पास भेजा गया है। अतः यह प्रश्न निरर्थक है कि "उसे कहां तक क्रियान्वित किया गया है ?"

अगला प्रश्न।

प्रशिक्षण अधिकारियों के अनुस्थापन तथा अध्ययन केन्द्रों का पाठ्यक्रम

+
†*१०५५. { श्री रा० च० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशिक्षण अधिकारियों के अनुस्थापन तथा अध्ययन केन्द्रों के मौजूदा पाठ्यक्रम की जांच करने के लिये अध्ययन दल नियुक्त करने की प्रस्थापना पर विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या अध्ययन दल की नियुक्ति कर दी गयी हैं ?

†सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) जी, हां।

†श्री रा० च० माझी : क्या उनकी सिफारिशें सरकार से की गई हैं ?

†श्री ब० सू० मूर्ति : सिफारिशों की मन्त्रालय में जांच की जा रही हैं।

†श्री रा० च० माझी : अध्ययन दल द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†श्री ब० सू० मूर्ति : यह अच्छा होगा कि पहले उनकी जांच. . . . .

†अध्यक्ष महोदय : उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा। अगला प्रश्न।

देसी नाव सहकारी समितियां

+
†*१०५६. { श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों ने अग्रिम देसी नाव सहकारी समितियां बनाने का फैसला किया है;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन समितियों को क्या सहायता प्रदान की जायेगी; और

(ग) किन राज्यों में ऐसी गैर-सरकारी समितियां पहले से ही मौजूद हैं ?

†परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) किसी भी राज्य सरकार ने अग्रिम देसी नाव सहकारी समितियां गठित करने का फैसला नहीं किया है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

(ग) केरल और बिहार। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और जम्मू तथा कश्मीर सरकारों के उत्तर प्रतीक्षित हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या केन्द्रीय सरकार ने इन सहकारी समितियों को सहायता देने के लिये कोई योजना बनाई है ?

†**श्री राज बहादुर** : सड़क तथा अन्तर्देशीय जल परिवहन मन्त्रणा समिति की उपसमिति की सिफारिशों के अनुसरण में हमने अपने सुझाव राज्य सरकारों को भेज दिये हैं और उनसे उनको यथासम्भव क्रियान्वित करने के लिये कहा है । परन्तु दुर्भाग्यवश राज्य सरकारों में ऐसी सहकारी समितियों की स्थापना के लिये कोई उत्साह नहीं दिखाई पड़ रहा है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या उत्तर प्रदेश तथा बिहार के देसी नाव मालिकों ने केन्द्रीय सरकार को कुछ सहायता के लिये लिखा है ?

†**श्री राज बहादुर** : मुझे उसकी सूचना नहीं है । वास्तव में यह विषय राज्य सरकारों से सम्बन्धित है और वही इसके लिये जिम्मेदार हैं ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : किन किन राज्य सरकारों ने भारत सरकार को यह सूचित किया है कि देसी नाव मालिक इन सहकारी समितियों के लिये उत्सुक नहीं हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : वास्तव में आवश्यकता वित्तीय सहायता की है । इसके अतिरिक्त माल भी उपलब्ध होना चाहिये तथा उनकी वर्तमान कमियां भी दूर होनी चाहियें । मेरा विचार है कि इन सब बातों के बारे में राज्य सरकारों को कुछ अगुआई अवश्य करनी चाहिये । हम सहकारी समितियों के संवर्धन के लिये इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाने के लिये लिखा पढ़ी कर रहे हैं । परन्तु, जैसा कि मैंने बताया, उनमें अधिक उत्साह नहीं दिखाई पड़ रहा है ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि ये समितियां किस प्रकार कार्य कर रही हैं और जिन राज्यों में सहकारी समितियां हैं उनमें उन्हें क्या माल मिलता है ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं उसके ब्यौरे में नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास कोई निर्दिष्ट सूचना नहीं है । परन्तु वे कुछ समय से राज्य सरकारों की संरक्षता में कार्य कर रही हैं ।

†**श्री गोरे** : क्या इसका कोई अनुमान है कि इन देसी नावों को कितना टन भार प्राप्त होगा ?

†**श्री राज बहादुर** : टन भार इस बात पर निर्भर है कि किसी नदी अथवा अन्तर्देशीय जलमार्ग में कितने डुबाव वाले जहाज आ सकते हैं । मुझे यह नहीं ज्ञात है कि टन भार के सम्बन्ध में कोई सीमा निर्धारित की गई है या नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यद्यपि हमारा राज्य संघीय है और राज्यों में उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल है फिर भी केन्द्र की ओर देखने की पुरानी एकात्मक शासन की प्रवृत्ति अभी खत्म नहीं हुई है । इसलिये लोग केन्द्र की ओर अधिक देखते हैं मानो वह सभी बातों के लिये अपीलीय प्राधिकारी हैं ।

†**श्री राज बहादुर** : मेरा नम्र निवेदन है कि हमने इसी कारण यह मामला सड़क तथा अन्तर्देशीय जल परिवहन मन्त्रणा समिति के समक्ष रखा था, जो एक केन्द्रीय संगठन है, और उन्हें स्वीकृति दिलवाई थी । हमने राज्य सरकारों से सहकारी समितियां बनाने की सिफारिश की थी । हम उन्हें लिखते भी रहे हैं । इस प्रकार केन्द्रीय सरकार के हाथ में जितनी शक्ति है वह सब किया जा चुका है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

एक्सप्रेस डाक

+

†*१०५७. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री आचार :
श्री हो० ना० मुकर्जी :

क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री २ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५८ उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक्सप्रेस डाक सम्बन्धी वर्तमान नियमों में परिवर्तन करने के प्रश्न के बारे में इस बीच फैसला कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इस बारे में फैसला करने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन्)** : (क) अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) आशा है कि कुछ महीनों में अन्तिम फैसला हो जाएगा।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या एक्सप्रेस डाक के शुल्कों के पुनरीक्षण के बारे में भी किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ?

†**डा० प० सुब्बरायन्** : हां, श्रीमान्। सारे मामले पर विचार किया जा रहा है क्योंकि वह तार के चपरासियों द्वारा डाक दिये जाने का मामला है और हम देख रहे हैं कि यह कार्य सन्तोषजनक नहीं चल रहा है। हम वह कार्य डाक के चपरासियों को देना चाहते हैं परन्तु उसके लिये अधिक डाक चपरासी रखने होंगे। इसलिये अन्तिम फैसला करने के पूर्व उनके व्यय का प्राक्कलन तैयार करना होगा।

†**श्री विभूति मिश्र** : क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के डाक तथा तार कार्यालयों के लिये कोई नियम बनाए हैं ? उन लोगों को यह सेवा कितनी दूर तक प्राप्त होगी ?

†**डा० प० सुब्बरायन्** : यह प्रश्न एक्सप्रेस डेलीवरी पत्रों के सम्बन्ध में है। यदि माननीय सदस्य पृथक् से सूचना दें तभी मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकूंगा।

†**श्री आचार** : प्रस्तावित परिवर्तन क्या है ?

†**डा० प० सुब्बरायन्** : जब तक उन पर डाक तथा तार बोर्ड द्वारा विचार एवं अन्तिम फैसला नहीं कर लिया जाता तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता हूं।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या माननीय मन्त्री को यह ज्ञात है कि एक्सप्रेस पत्र प्रायः साधारण पत्रों से देर में पहुचते हैं ? ऐसा क्यों है ?

†**डा० प० सुब्बरायन्** : माननीय सदस्य को यह महसूस करना चाहिये कि उन का वितरण तार चपरासियों द्वारा संबंधित केन्द्रीय तार कार्यालय से किया जाता है। इसलिये कभी कभी एक्सप्रेस पत्र साधारण पत्रों के बाद पहुंचते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री यादव नारायण जाधव : क्या सरकार एक लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में एक्सप्रेस डाक के शीघ्र पहुंचाये जाने की व्यवस्था करने का विचार कर रही है ?

†अध्यक्ष महोदय : उन का सुझाव है कि यातायात साधन की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

†डा० प० सुब्बरायन् : हम समस्त मामले पर विचार कर रहे हैं । जैसाकि मैं बता चुका हूं डाक तथा तार बोर्ड विचार कर रहा है और अन्त में प्रस्ताव पेश करेगा जिन को सरकार माने या न माने ।

†श्री त्यागी : इन एक्सप्रेस डिलीवरी पत्रों पर जो अतिरिक्त टिकट लगाये जाते हैं उन से सरकार को कितनी आय होती है ?

†डा० प० सुब्बरायन् : हमने कोई अनुमान तैयार नहीं किया है परन्तु मैं समझता हूं कि अब ऐसा किया जायेगा ताकि यह पता चल सके कि यदि हम उन का डाक चपरासियों द्वारा वितरन करायें तो उस में कितना व्यय होगा ।

श्री खुशवक्त राय : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस बात पर कोई विचार किया गया है कि . . . . . .

†डा० प० सुब्बरायन् : माननीय सदस्य अंग्रेज़ी भी जानते हैं इसलिये उन्हें अंग्रज़ी में प्रश्न पूछना चाहिये क्योंकि मैं हिन्दी नहीं समझता हूं ।

†श्री खुशवक्त राय : उन के कनिष्ठ सहयोगी तो हिन्दी जानते हैं ।

†डा० प० सुब्बरायन् : परन्तु मैं स्वयं प्रश्न सुनना चाहता हूं ताकि मैं उत्तर दे सकूं ।

†श्री खुशवक्त राय : क्या इन एक्सप्रेस डेलीवरी पत्रों के डाकखाने से डाक चपरासियों द्वारा वितरण का कोई प्रस्ताव है ?

†डा० प० सुब्बरायन् : अभी इस मामले पर विचार किया जा रहा है कि यदि इन पत्रों के वितरण के लिये अधिक डाक चपरासी रखे जायें तो कितना अतिरिक्त व्यय होगा ।

†श्री गोरे : चूंकि यह आम शिकायत है कि एक्सप्रेस पत्र साधारण पत्रों से बाद में पहुंचते है, इसलिये क्या इस सुझाव पर भी विचार किया जायगा कि उन्हें खत्म ही कर दिया जाये ?

†डा० प० सुब्बरायन् : समस्त मामले पर विचार किया जा रहा है । यदि हम देखेंगे कि खर्च बहुत होगा और हम अतिरिक्त व्यय वहन नहीं कर सकेंगे तो हम एक्सप्रेस पत्र खत्म कर देंगे ।

†श्री ही० ना० मुकर्जी : जब इन एक्सप्रेस पत्रों के परिवहन और वितरण के लिये कोई विशेष प्रबन्ध नहीं किया गया है तो फिर अतिरिक्त शुल्क क्यों लिया जाता है ?

†डा० प० सुब्बरायन् : मैं बता चूका हूं कि उन के तार चपरासियों द्वारा वितरण की विशेष व्यवस्था की गई है । परन्तु मैं यह मानता हूं कि वह संतोषजनक नहीं रही है । इसलिये समस्त मामले पर पुनर्विचार किया जा रहा है ।

†श्री न० रा० मुनिस्वामी : क्या माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि एक्सप्रेस डिलीवरी को खत्म कर के उन के बदले में इतवार को डाक वितरण शुरू किया जाये ताकि उस दिन पत्र भेजे जा सकें ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर अभी अभी दिया जा चुका है । माननीय सदस्य अपने सुझाव माननीय मंत्री को भेज दें और मुझे विश्वास है कि वह उन पर विचार करेंगे । श्री हेम बरुआ । परन्तु यदि वह भी कोई सुझाव दे रहे हों तो नहीं . . . . .

†श्री हेम बरुआ : नहीं, श्रीमान्, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या एक्सप्रेस पत्रों का कोई रिकार्ड रखा जाता है क्योंकि जब कोई एक्सप्रेस पत्र पहुंचता नहीं है और पूछताछ की जाती है तो यह उत्तर दिया जाता है कि हमारे पास उनका कोई रिकार्ड नहीं है ।

†डा० प० सुब्बरायन् : वास्तव में जिन लोगों को एक्सप्रेस पत्र दिये जाते हैं उनसे हस्ताक्षर लिये जाते हैं । इसलिये हमारे पास ऐसे पत्रों का रिकार्ड है ।

†श्री हेम बरुआ : मेरा तात्पर्य यह नहीं था । मान लीजिये कि मैं कोई पत्र भेजता हूं और वह उस व्यक्ति के पास नहीं पहुंचता है । तो जब मैं उस की शिकायत करता हूं तो हमें यह जवाब दिया जाता है कि हमारे पास कोई रिकार्ड नहीं है, इसलिये हम पता नहीं लगा सकते । यह मेरा अपना अनुभव है ।

†अध्यक्ष महोदय : अतः माननीय सदस्यों को सर्टिफिकेट ले कर पत्र डालना चाहिये ।

†डा० प० सुब्बरायन् : ऐसे पत्रों के डाक में डाले जाने का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है वरन् उन की प्राप्ति का रिकार्ड रखा जाता है ।

राजस्थान नहर

+

†*१०५८. { श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री कणी सिंहजी :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने राजस्थान नहर को उत्तर गुजरात में से होते हुए कांडला पत्तन तक ले जाने के बारे में अन्तिम रूप से निश्चय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख). राजस्थान नहर को कांडला पत्तन तक ले जाने के बारे में कोई ठोस प्रस्ताव सरकार के समक्ष नहीं आया है । अभी ऐसे प्रस्ताव की प्रविधिक संभाव्यता की जांच की जानी है ।

†श्री मो० ब० ठाकुर : क्या मैं जान सकता हूं कि यह कितनी लम्बी होगी, इस पर कितनी अनुमानित लागत आयेगी और यह किन क्षेत्रों से हो कर गुजरेगी ?

†श्री हाथी : सारी नहर की लम्बाई लगभग ४२५ मील होगी । परियोजना के लिये स्वीकृत प्रथम प्रक्रम पर ६६.४७ करोड़ रुपये लागत आयेगी । क्षेत्र राजस्थान होगा ।

†श्री ब्रजराज सिंह : क्या सरकार का ध्यान आज प्रातः के समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि राजस्थान फ़ीडर नहर भारत-पाकिस्तान नहर करार के कारण सूख रही है और राजस्थान नहर में खुदाई का काम जल की कमी के कारण रुक गया है । वहां पर जो श्रमिक काम कर रहे हैं, उन के लिये भी पीने के लिये पानी नहीं है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हाथी : मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

†श्री यादव नारायण जाधव : राजस्थान नहर से सूरतगढ़ फार्म को पर्याप्त मात्रा में पानी का सम्भरण करने में कितना समय लगेगा ?

†श्री हाथी : जैसा मैं ने बताया, परियोजना का प्रथम प्रक्रम १९६८-६९ तक पूरा हो जायेगा। परन्तु कुछ हिस्सों को वर्ष १९६१ में पानी मिलने लगेगा ।

†श्री ब्रजराज सिंह : आज प्रातः के समाचार पत्रों में मैं ने यह समाचार पढ़ा है । मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना इसलिये नहीं दी क्योंकि आप नहीं चाहते कि हम ऐसा करें । मंत्री महोदय का कहना है कि उन्हों ने वह समाचार नहीं देखा है । यह कहा गया है कि नहर में खुदाई का काम रोक दिया गया है क्योंकि नहर में पानी नहीं आ रहा है । समाचार है कि वे पीने के पानी के लिये कुछ नलकूप खोदने का प्रयत्न कर रहे हैं । क्या मंत्री महोदय इस की जांच करेंगे और देखेंगे कि यह काम ना रुके ?

†अध्यक्ष महोदय : मेरे पास प्रतिदिन लगभग २० समाचार-पत्र आते हैं । १६ राज्य हैं और विभिन्न अध्यक्षों द्वारा विनिर्णय दिये जाते हैं । उन विधान सभाओं में बहुत सी बातें होती हैं जैसे यहां होती हैं । मैं प्रत्येक समाचार-पत्र को नहीं पढ़ पाता हूं यदि मैं माननीय सदस्य से वही प्रश्न करूं कि वह कितने समाचार-पत्र पढ़ते हैं, तो मैं नहीं जानता कि वे क्या कहेंगे । सभा में आ कर यह कहने का कोई तात्पर्य नहीं है कि आज प्राप्तः मैंने यह समाचार पढ़ा । सम्भवतः मंत्री महोदय को केवल समाचार-पत्र पढ़ने के अतिरिक्त अन्य कई काम करने पड़ते हैं ।

†डा० राम सुभग सिंह : क्या कांडला पत्तन तक इस नहर के विस्तार का उपयोग सिंचाई और नौवहन दोनों कामों के लिये होगा या केवल सिंचाई के लिये ?

†श्री हाथी : जैसाकि मैं ने उत्तर में कहा कि कांडला पत्तन तक इस का विस्तार करने की प्रविधिक संभाव्यता का दोनों कामों के लिये परीक्षण किया जा रहा है ।

†कुछ माननीय सदस्य उठे--

†अध्यक्ष महोदय : उन में से कोई भी सदस्य राजस्थान का नहीं है ।

†डा० राम सुभग सिंह : इस में एक बात है । माननीय उपमंत्री ने कहा है कि १९६८-६९ तक निर्माण पूरा होने की संभावना है, जबकि कुछ जल १९६१ में उपलब्ध हो जायगा । क्या १९६१ तक नौवहन के लिये भी पर्याप्त जल उपलब्ध किया जायगा ?

†श्री हाथी : नहीं, १९६१ में, केवल सिंचाई का काम होगा ।

†श्री मो० ब० ठाकुर : क्या सिन्धु नहर सन्धि के कारण जल संभरण पर प्रभाव पड़ेगा ?

†अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि क्या जल संभरण में कुछ कमी होगी । यह कैसे पूछा गया था ? क्या यह सिंधु जल घाटी में नहीं है ?

†श्री हाथी : नहर जल सन्धि के कारण राजस्थान नहर से जल के संभरण में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी ।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या निर्जल क्षेत्र को सिंचाई की सुविधायें देने की दृष्टि से इस नहर के साथ नलकूपों आदि से सिंचाई की परियोजनायें बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हाथी : कुछ क्षेत्रों के लिये ऐसा करने का विचार किया जा सकता है ।

†श्री भा० कृ० गायकवाड़ : कितने एकड़ भूमि में खेती की जायेगी ?

†श्री हाथी : ३६ लाख एकड़ ।

†अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । यदि मा० सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछते रहे, तो प्रश्न पूछने वाले सदस्यों को समय नहीं मिलेगा । यही तो हो रहा है । कुछ सदस्यों ने प्रश्न पूछा है, और दूसरे सदस्य जिन्होंने प्रश्न नहीं पूछा, प्रश्न पूछते जा रहे हैं ।

†श्री भा० कृ० गायकवाड़: यदि प्रश्न पूछे भी जाते हैं, वे अतारांकित प्रश्न बना दिये जाते हैं और इसलिये हमें प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिलता ।

†अध्यक्ष महोदय : हजारों प्रश्न आ रहे हैं । यदि सबको तारांकित बना दिया जाये तो मैं नहीं जानता कि यहां कितनी चकाचौंध हो जाएगी ।

†श्री भा० कृ० गायकवाड़: हम प्रश्न पूछते हैं और वे अतारांकित बना दिये जाते हैं ।

परली-बैजनाथ--लातूर लाइन

†*१०५९. श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या रेलवे मंत्री १२ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परली बैजनाथ को लातूर के साथ मिलाने के बारे में इस बीच कोई फैसला किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या फैसला किया गया है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री से० वें० रामस्वामी) : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) लातूर को परली-बैजनाथ के साथ मिलाने का प्रश्न कुरदूवाड़ी-मिराज-लातूर सैक्शन को बड़ी लाइन या मध्य लाइन में बदलने के प्रश्न के साथ मिला हुआ है, जो विचाराधीन है ।

†श्री त० ब० विट् ल राव: ठीक एक वर्ष के पश्चात् मा० मंत्री वही उत्तर दे रहे हैं । लातूर-कुरदूवाड़ी-मिराज लाइन के सम्बन्ध में, जिसे मीटर गेज या ब्राड गेज में बदलने का प्रस्ताव दूसरी योजना में सम्मिलित किया गया है, निर्णय कब किया जाएगा ?

†श्री स० वें० रामस्वामी : ऐसा हो सकता है । सब से पहले इसे ब्राड गेज में बदलने का विचार था । तब यह सुझाव आया कि इसे मीटर गेज में बदलने के प्रश्न पर भी विचार किया जाए । दोनों प्रतिवेदन प्रस्तुत हैं । कुरदूवाड़ी-मिराज कोल्हापुर सैक्शन को ब्राड गेज में बदलने के लिये लगभग १० करोड़ रुपये लागत आयेगी । यदि यह मीटर गेज है तो मिराज-कुरदूवाड़ी-पुरली-बैजनाथ लाइन पर लगभग ११ करोड़ रुपये की लागत आयेगी । यदि इसे ब्राड गेज में बदला गया तो आय केवल ·९८ प्रतिशत है, और यदि इसे मीटर गेज में बदला गया, तो आय केवल ·८९ प्रतिशत होगी । लातूर-परली-बैजनाथ, सैक्शन अकेले पर ३९ मील पर २·८ करोड़ रुपये खर्च होंगे । उनमें से कोई भी लाइन वित्तीय दृष्टि से उचित नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री त० ब० विट्ठल राव : सरकार ने किन बातों को ध्यान में रख कर बदलने की परियोजना को दूसरी योजना में शामिल किया है ?

स० वें० रामस्वामी : इसमें हमेशा शोधन किया जा सकता है। जब हम देखेंगे कि यह लाभदायक नहीं है तो हमें इस पर पुनर्विचार करना होगा।

श्री गोरे : यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि जब हम पूछते हैं कि भारत के सर्वाधिक प्रसिद्ध यात्रा केन्द्रों में से एक केन्द्र पंडारपुर को जाने वाले यात्रियों के लिये कुरदूवाड़ी में सुविधायें क्यों प्रदान नहीं की जातीं, तो उत्तर होता है कि हम पूरी योजना पर पुनर्विचार कर रहे हैं। इसलिये यात्रियों के लिये कोई सुविधायें प्रदान नहीं की गईं। अब वह कहते हैं कि योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है। इसलिये लोगों को दर दर धक्के खाने पड़ते हैं।

†श्री सें० वें० रामस्वामी : प्रतिवेदन बोर्ड के विचाराधीन है।

†श्री रामानन्द तीर्थ : क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि मिराज-लातूर लाइन को मीटर गेज में बदलने और इसे परली बैजनाथ तक बढ़ाने से माल परिवहन के लिये दक्षिण और उत्तर के बीच की समची दूरी कम हो जाएगी और पूरे काम में कम खर्च होगा ?

†श्री से० वे० रामस्वामी: यह खंडवा-हिंगोली लाइन के बारे में उत्पन्न नहीं होता जो अब बनाई जा रही हैं। उस मार्ग में दूरी कम है और माल सिकन्दराबाद लाइन पर जाएगा और इस लाइन पर से नहीं।

†अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले में बहस की अनुमति नहीं दूंगा। माननीय मंत्री ऐसा अनुभव करते हैं। मैंने उन्हें ब्योरा देने की अनमति दे दी है। उन्होंने ब्योरा बताया है, ·९८ प्रतिशत, .८७ प्रतिशत आदि।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : बिल्कुल गलत।

†अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें मंत्री को हटाने की अनुमति नहीं दूंगा। उन्हें अपने समय पर आना चाहिये मंत्री बनना चाहिये और और तब निष्कर्ष निकालने चाहियें। मैं केवल यह अनुमति दे सकता हूं कि उन्होंने एक विशिष्ट मामले को क्यों नहीं लिया है। अधिक बहस की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगला प्रश्न।

चुम्बकीय तूफान

†*१०६१. श्री प्र० के० देव : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, १९६० के प्रथम सप्ताह में चुम्बकीय तूफानों के कारण रेडियो-संचार में किसी किस्म की गड़बड़ हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ; और

(ग) क्या इससे देश में रेडियो प्रसारण पर कोई प्रभाव पड़ा ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन्): (क) जी, हां, चुम्बकीय तूफानों के कारण अक्तूबर, १९६० के पहले सप्ताह में रेडियो संचार में कुछ गड़बड़ी हुई थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) चुम्बकीय तूफान के कारण बहुत से रेडियो संचार सर्किट खराब हो गये थे। प्राप्त हुए सिगनलों की शक्ति में अत्यधिक उतार चढ़ाव हुआ था, जिसे प्रविधिक ढंग से 'फेडिंग' आना कहते हैं। कई बार सिगनल 'फेड' हो गये थे।

(ग) अन्य देशों के समान, इस देश में भी इसका रेडियो संचार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

†**श्री प्र० के० देव:** तूफान कितनी देर तक चलता रहा ? क्या तूफानों को पहले से मालूम करने का इस देश में कोई तरीका है ?

†**डा० प० सुब्बरायन्** : किसी भी दूसरे देश में ऐसा कोई तरीका नहीं है। इस पर अनुमान लगाना बहुत कठिन है।

†**श्री प्र० के० देव** : वह कितनी देर रहा ?

†**डा० प० सुब्बरायन्** : यह १२ से १७ घंटे तक रहा।

कोयला-परिवहन

+

†*१०६२. { **पंडित द्वा० ना० तिवारी** :
श्री बिमल घोष :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने सरकार को तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्रतिवर्ष ८ करोड़ ५० लाख टन कोयले के परिवहन का यथोचित प्रबन्ध करने के लिये कहा है ;

(ख) क्या रेलवे ने इस बात की जिम्मेवारी ले ली है ; और

(ग) क्या रेलवे की माल ढोने की क्षमता बढ़ाने के लिये यथोचित प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की प्रारूप रूपरेखा में, बोकारो इस्पात संयंत्र की आवश्यकताओं के अतिरिक्त, तीसरी योजना के अन्त तक ९५० लाख टन के उत्पादन के बराबर कोयले के रेल परिवहन की व्यवस्था शामिल है। इस उत्पादन के लिये रेल परिवहन का अनुमान लगभग ८५० लाख टन होगा।

(ख) रेलवे की योजना में इसके लिये उपबन्ध होगा।

(ग) निम्न अवस्थायें होने पर परिवहन क्षमता—

(१) अपेक्षित क्षमता को बढ़ाने के लिये अपेक्षित आवंटन में बहुत अधिक परिवर्तनों की जरूरत हो सकती है, जब विभिन्न क्षेत्रों से कोयले के प्रत्याशित दिशा वार लाने ले जाने के ब्योरे का अन्तिम रूप में फैसला हो जाएगा।

(२) इस्पात संयंत्रों के अतिरिक्त माल मंगवाने वालों के लिये कोयले का अधिकांश अनुपात कोयला खानों और मुख्य उपभोक्ता केन्द्रों में स्थापित किये जाने वाले कोयला स्टोरों के बीच नई बोगी वैगनों में ले जाया जाता है।

(३) बोगी वैगनों के ब्लाक रेकों में शीघ्रता से लादने के लिये मुख्य कोयला खानों में अर्ध्ववर्ती तहखानों की व्यवस्था की गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†पंडित द्वा० ना० तिवारी : मा० उपमंत्री ने तीन शर्तें दी हैं। इन शर्तों को पूरा करने के लिये क्या कार्रवाइया की जा रही हैं, क्या वे पूर्णता की अवस्था में हैं या उनके पूर्ण न होने की संभावना है और कोयला परिवहन को हानि पहुंचने की संभावना है ?

†श्री सें० वें० रामस्लामी : हमने अपनी ओर से कुछ चीजें की हैं और कुछ बातें इस्पात, खान और इंधन मंत्रालय द्वारा करने शेष हैं। हमने इन मामलों का उनसे उल्लेख किया है। हमने अपनी ओर से इंजन, डिब्बों आदि, अधिक लाइन क्षमता और नई लाइनों तथा साईडिंग की व्यवस्था कर दी है। जैसा कि प्रारूप योजना से देखा जा सकता है, हमने इन शीर्षों के अन्तर्गत १८३ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया है, परन्तु इस्पात, खान और इंधन मंत्रालय को भी कुछ चीजें करनी हैं। उनमें से एक चीज यह है कि इस्पात सयंत्रों से अतिरिक्त उपभोक्ताओं के लिये बड़े स्टाक बनाना है और मैं समझता हूं इसके बारे में इस्पात मंत्रालय बहुत से राज्यों से बातचीत कर रहा है।

†पंडित द्वा० ना० तिवारी : इन्हें पूरा करने के लिये कितने और आवंटन की जरूरत होगी ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : इस्पात मंत्रालय हमें ९५० लाख टन उठाने के लिये कह रहा है। हम कह रहे हैं कि हम केवल ८५० लाख टन उठायेंगे, क्योंकि शेष मोटरों द्वारा उठाया जाएगा और इसके कुछ भाग का उपभोग कोयला खानें करेंगी। इस्पात मंत्रालय यह कह रहा है कि १०० लाख टन का रक्षित भंडार होना चाहिये। उसके लिये हमने योजना आयोग को कहा है। योजना के अतिरिक्त ५८ करोड़ रुपये की जरूरत होगी योजना। आयोग ने इसे अस्वीकार कर दिया है और वित्त मंत्रालय ने भी उनकी बात का समर्थन किया है।

†श्री बिमल घोष : क्या रेलवे दूसरी योजना अवधि में उनसे अपेक्षित कोयला ढोने में असफल रही है, यदि हां, तो क्यों ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी: इस सभा में यह बात बारबार कही गई है कि हम वैगन देते हैं और इनका आवंटन इस्पात, खान और इंधन मंत्रालय अर्थात् कोयला आयुक्त द्वारा किया जाता है। हम वैगन भेजते हैं। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम अब तक लगभग ५००० वैगन प्रति दिन भेजते रहे हैं, जितनी कि उनको जरूरत थी। आवंटन का काम इस्पात, खान और इंधन मंत्रालय का है।

†श्री च० द० पाण्डे: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस समय रेलवे मंत्रालय को केवल ५३० लाख टन कोयला ढोना पड़ता है और स्थिति संतोषजनक नहीं है, क्या सरकार या रेलवे मंत्रालय ने अब वर्तमान यातायात को उठाने के लिये, कोई कार्रवाई की है, तीसरी योजना में ८५० लाख टन की बात करने का क्या लाभ है ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी: हम इस यातायात को पूरी तरह से संभाल सकते हैं क्योंकि हम इन नये किस्म के वैगनों की दृष्टि से सोच रहे हैं। हम यह बात 'सैन्टर बफर कूपलरज़' को और डीजल इंजनों को ध्यान में रखते हुए कह रहे हैं जो ३००० से ३६०० टन तक माल खींच सकते हैं जबकि भाप से चलने वाले इंजन १८०० से २२५० टन तक भार खींच सकते हैं। हम इन सब बातों का स्पष्टीकरण कर चुके हैं अब बाकी काम इस्पात, खान और इंधन मंत्रालय का है।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि वह ८·५ करोड़ टन की बढ़ती हुई मांग को किस प्रकार पूरा करेंगे। अगली योजना की अवधि में ८·५ करोड़ टन माल उठाने से पहले, वह दूसरी योजना की अवधि में ५·३ करोड़ टन माल उठाने के बारे में क्या कदम उठा रहे

---

†मूल अंग्रेजी में

हैं ? दूसरी योजना समाप्त होने वाली है किन्तू इसमें ५·३ करोड़ टन का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उसे पूरा नहीं किया गया। माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं कि तीसरी योजना की अवधि में ८·५ करोड़ टन का लक्ष्य रखा गया है, किन्तु माननीय सदस्य यह पूछ रहे हैं कि जब आपने दूसरी योजना की अवधि में ५·३ करोड़ टन के लक्ष्य को पूरा नहीं किया तो तीसरी योजना की अवधि वाला लक्ष्य कैसे पूरा होगा ? इसका उत्तर आपके पास क्या है ? सदस्य यही जानना चाहते हैं ।

†श्री सें० वें० रामस्वामी : मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ समय पहले वैगनों के बारे में कुछ कठिनाई थी, किन्तु पिछले ५ अथवा ६ महीने से हम कोयला नियंत्रक को प्रतिदिन ५००० वैगन प्रस्तुत कर रहे हैं और जितना लदान हो रहा है उसे ढोया जा रहा है ।

†अध्यक्ष महोदय : क्या ये वैगन दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में ५·३ करोड़ टन को ढोने के लिए पर्याप्त नहीं हैं ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : कोयला नियंत्रक ने ४८०० वैगनों की मांग की थी, किन्तु हम उन्हें ५००० वैगन दे रहे हैं ।

†श्री त्यागी : यह तो बड़ी खराब हालत है । श्रीमान्, इन पर अधिक बोझ मत डालिये ।

†श्री सें० वें० रामस्वामी : मेरा कहना यह है कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है । हम उन्हें प्रति दिन ५००० वैगन प्रस्तुत कर रहे हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय उपमंत्री महोदय को इस बारे में कोई सन्देह नहीं है । वह कहते हैं कि कोयला नियंत्रक ने केवल ४८०० वैगनों की मांग की थी और रेलवे प्रशासन ने ५००० वैगन दिये थे और दे रहे हैं । इसलिए उनका कहना यह है कि अब हमें दूसरे मंत्रालय से प्रश्न करना चाहिए ।

†श्री रघुनाथ सिंह : मुझे एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना है ।

†अध्यक्ष महोदय : हां, श्री रघुनाथ सिंह ।

†श्री ब्रजराज सिंह : मेरा एक औचित्य प्रश्न है । मंत्री महोदय इस प्रकार बात कर रहे हैं, जैसे यहां पर दो सरकारें हों , एक रेलवे सरकार और दूसरी इस्पात मंत्रालय की सरकार । इस सभा में यह तर्क नहीं दिया जा सकता, जैसे कि मंत्रिमंडल के दो मंत्रालयों में मतभेद हो । चाहे यह एक मंत्रालय की जिम्मेवारी हो, अथवा दूसरे की, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है । जिम्मेबारी सामूहिक है ।

†श्री न० रा० मुनिस्वामी : श्रीमान्, १९५७ अथवा १९५८ में आपके पूर्ववर्ती ने यह विनिर्णय किया था कि प्रश्न-काल में औचित्य प्रश्न नहीं उठाया जा सकता । मुझे यह पता नहीं कि क्या इसे संशोधित कर दिया गया है । मैं यह औचित्य प्रश्न माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये औचित्य प्रश्न पर उठा रहा हूं ।

†अध्यक्ष महोदय : मेरे पूर्ववर्ती का देहान्त दुर्भाग्यवश १९५६ में हो गया था, अतः वह १९५७ अथवा १९५८ में विनिर्णय कैसे दे सकते थे ? यह बात मेरी समझ में नहीं ।

†श्री न० रा० मुनिस्वामी: हो सकता ह कि वह विनिश्चय इससे पहले दिया गया हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : मैं किसी सदस्य को यह कहने से नहीं रोक सकता कि यह औचित्य प्रश्न है। किन्तु जब कोई सदस्य कुछ कहता है तो यह मेरा कर्तव्य है कि मैं देखूं कि यह ठीक है अथवा गलत। आपने यह कैसे सोच लिया कि मैं औचित्य प्रश्न को स्वीकार कर लूंगा।

मैं जो कहना चाहता था, वह यह है। प्रश्न-काल गैर-सरकारी कार्य के लिये निश्चित होता है। केवल शुक्रवार का कुछ समय ही गैर-सरकारी कार्य के लिए निर्धारित नहीं होता बल्कि हर रोज़ पहला घंटा गैर-सरकारी कार्य के लिए निश्चित होता है। यह संसदीय प्रणाली और संसदीय संस्थाओं की विशेषता है। अमरीका में ऐसा नहीं है। आस्ट्रेलिया में किसी भी समय प्रश्न पूछा जा सकता है और मंत्रियों को तत्काल उसका उत्तर देना होता है। यदि कोई मंत्री दो अथवा तीन बार उत्तर नहीं देता तो प्रधान मंत्री को उसके स्थान पर कोई अन्य मंत्री नियुक्त करना पड़ता है।

†श्री गोरे : तब हमें बार बार परिवर्तन करना पड़ेगा।

†अध्यक्ष महोदय : यह देश काफी बड़ा है, इसलिए हमने संचार-साधनों के विकास के बावजूद १० दिन पहले सूचना देने की व्यवस्था की है। मैं माननीय मंत्रियों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने सहायकों को यहां पर रखें ताकि वे सारी कार्यवाही को देख सकें। यह मंत्रिमंडल की जिम्मेवारी है। वे रेलवे मंत्री और इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के बीच बैठक का आयोजन नहीं कर सकते। उनके लिए यह सम्भव नहीं है। इसलिए उपमंत्रियों को माजूद रहना चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि क्या हो रहा है जिससे वे अपने मतभेदों को दूर कर सकें।

†श्री रघुनाथ सिंह : मेरा प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है।

†अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

†श्री रघुनाथ सिंह : मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाय। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

†अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। माननीय सदस्य सभा की कार्यवाही को इस प्रकार जकड़ नहीं सकते।

†श्री गोरे : श्रीमान्, जैसा कि आप जानते हैं, इस सभा में कोयले की कमी का प्रश्न कई बार आया है। अभी कुछ दिन पहले इस्पात, खान और ईंधन मंत्री ने कहा था कि इस्पात कारखानों और उर्वरक कारखानों को कोयले की कमी से नुक्सान हो रहा है। सामान्य तौर से यह ख्याल किया जाता था कि रेलों द्वारा कोयले की ढुलाई नहीं हो रही। अब रेलवे मंत्रालय यह कह रहा है कि वह सब कुछ कर रहा है। क्या आप कोई ऐसा तरीका नहीं निकाल सकते जिससे दोनों मंत्रालय मिल बैठें और हमें बतायें कि दोष किसका है ? क्योंकि इससे तीसरी पंचवर्षीय योजना को धक्का पहुंच रहा है।

†श्री त्यागी : यह केवल कुप्रबन्ध है।

†अध्यक्ष महोदय : अब इस्पात, खान और ईंधन मंत्री भी यहीं हैं। यदि वह आज इस स्थिति में नहीं हैं कि इसका उत्तर दे सकें, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह कल इसका उत्तर दे दें। अभी कुछ दिन पहले हम ने इस सभा में कोयले के बारे में चर्चा की थी अर्थात् कोयले के परिवहन के बारे में। माननीय सदस्य स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न पूछते हैं कि क्या अगली योजना में निर्धारित लक्ष्य पूरा किया जायेगा। रेलवे उपमंत्री ने कहा है कि रेलवे विभाग प्रत्येक कदम उठा रहा है और इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय को कुछ कदम उठाने चाहिएं। एक

---

†मूल अंग्रेजी में

माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि जब कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं हो रहे तो अगली योजना की अवधि में ८ करोड़ ५० लाख टन का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, वह कहां तक पूरा होगा। रेलवे उपमंत्री ने कहा है कि रेलवे विभाग कोयला नियंत्रक को ५००० वैगन दे रहा है, हालांकि उन्होंने केवल ४८०० वैगनों की मांग की थी। इसलिए जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है, उन की ओर से कोई कमी नहीं रही। जब प्रश्न दुहराया गया तो रेलवे उपमंत्री ने फिर कहा कि यह बात तो इस्पात, खान और ईंधन मंत्री से पूछनी चाहिए।

†**इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : श्रीमान्, मैं यहां पर उपस्थित हूं। यदि मुझ से कोई प्रश्न पूछा जायेगा, तो मैं उत्तर दूंगा।

†**श्री गोरे** : जब हम प्रश्न पूछ रहे थे तो माननीय मंत्री महोदय यहां पर नहीं थे। अब वह आ गये हैं अतः वह उत्तर दे सकते हैं।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यदि माननीय सदस्य अब मुझ से प्रश्न पूछेंगे तो मैं उनका उत्तर दूंगा। मैं उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता, जिनको मैंने सुना ही नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : जो कुछ हुआ है, मैं ने उसका विस्तारपूर्वक उल्लेख किया है। यदि माननीय मंत्री महोदय के पास इसका कोई जवाब है जिससे सदन का समाधान हो जाये, तो वह कृपया जवाब दे देवें।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : उन्हें वक्तव्य देने दिया जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : बात यह है कि कोयले की सप्लाई कम है। हो सकता है कि कोयले को परिवहन करने की सुविधाओं का अभाव हो, किन्तु माननीय रेलवे उपमंत्री का कहना है कि जहां तक परिवहन का सम्बन्ध है, उस बारे में कोई कठिनाई नहीं है और इसलिए हमें इस्पात, खान और इधन मंत्री से पूछना चाहिए।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं किस बात का जवाब दूं।

†**श्री त्यागी** : प्रश्न यह है। कोयला नियंत्रक ने ४८०० वैगनों की मांग की थी ताकि कोयले की सप्लाई हर स्थान पर की जा सके, किन्तु रेलवे मंत्रालय ने ४८०० के स्थान पर लगभग ५००० वैगन दे दिये हैं। क्या कारण है कि इस सब के बावजूद कोयला नहीं उठाया जा रहा ?

†**श्री सें० ु रामस्वामी** : ५००० वैगन, अभी हाल ही में।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जो वैगन दिये गये हैं, उनका उपयोग किया जा रहा है। वास्तविकता यह है कि जितने वैगन उपलब्ध हैं और रेलवे जितने वैगन सप्लाई कर सकती है, वे समग्र देश के लिए सारे कोयले के यातायात के लिए पर्याप्त नहीं हैं। यह तो हिसाब का प्रश्न है; जितने वैगन दिये गये हैं उनके द्वारा एक निश्चित मात्रा में माल भेजा जा सकता है। एक वैगन में एक निश्चित मात्रा तक माल भरा जा सकता है। उपलब्ध वैगनों की संख्या का निर्धारण परस्पर विचार-विमर्श द्वारा इन बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है कि ये वैगन किन स्थानों पर सप्लाई किये जा सकते हैं, किन कोयला खानों पर सप्लाई किये जा सकते हैं और किन रेलों पर सप्लाई किये जा सकते हैं। अतः रेलवे विभाग और कोयला नियंत्रक के बीच कोई विवाद नहीं है। विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध सभी वैगनों को उपयोग में लाने की जो सर्वोत्तम व्यवस्था की जा सकती है, वह की जा रही है और हर प्रकार के कदम उठाये जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री त्यागी : काम में तालमेल नहीं है ।

†श्री मुहम्मद इलियास : इस पर हम अलग चर्चा कर सकते हैं । हम इस प्रश्न पर अब तक १५ मिनट से अधिक समय व्यय कर चुके हैं । इसके पश्चात और भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले को निपटा देता हूं । हमने रेलवे उपमंत्री से यह सुना है कि कोयला नियंत्रक ने ४८०० वैगन मांगे थे पर रेलवे ने ५००० वैगन प्रदान किये हैं ।

†श्री सें० वें० रामस्वामी : अभी हाल ही में ।

†अध्यक्ष महोदय : यदि कोयला नियंत्रक ने अधिक वैगनों की मांग की होती तो हम निश्चित रूप से रेलवे उपमंत्री से पूछ सकते थे कि उनकी सप्लाई क्यों नहीं की गयी । किन्तु रेलवे ने उससे अधिक वैगन दिये, जितनी कि मांग की गई थी । इसलिए यदि कोयले का लदान नहीं हुआ तो इसका कारण यह है कि कोयला नियंत्रक ने अधिक वैगनों की मांग नहीं की । हम इस स्थिति को समझने में असमर्थ हैं ।

†सरदार स्वर्ण सिंह : मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं कि कोयला नियंत्रक ने कुछ वैगनों की मांग की हो और रेलवे ने उससे अधिक वैगन सप्लाई किये हैं । वैगनों की संख्या पारस्परिक बातचीत द्वारा तय की जाती है । मैं नहीं जानता कि माननीय रेलवे उपमंत्री ने क्या कहा है, किन्तु इस सम्बन्ध में मेरा रेलवे मंत्री और रेलवे बोर्ड के साथ सम्पर्क है और मेरे अधिकारियों, अर्थात कोयला नियंत्रक और खान और ईंधन विभाग के अधिकारियों का भी रेलवे बोर्ड से सम्पर्क है और इस बात को आपसी वार्तालाप द्वारा तय किया जाता है कि वे कितने वैगन उपलब्ध कर सकते हैं । इस बात का कोई प्रश्न नहीं कि कोयला नियंत्रक ने ४८०० वैगनों की मांग की हो और रेलवे ने ५००० वैगन प्रदान किये हों । संख्या का निश्चय हमेशा पारस्परिक बातचीत द्वारा किया जाता है । रेलवे विभाग कितने वैगन दे सकता है और कोयला नियंत्रक कितने वैगनों का प्रयोग कर सकता है, इस बात को समय समय पर तय किया जाता है । इसलिए कुछ मांगने का और उससे अधिक दिये जाने का कोई प्रश्न नहीं है ।

†श्री त्यागी : क्या मैं यह समझूं कि दोनों मंत्रालयों के अनुमान गलत थे ?

†अध्यक्ष महोदय : मैं अब और प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे सकता । दोनों मंत्रियों को चाहिए कि वे इकट्ठे बैठ कर सभा की कार्यवाही को पढ़ें और अपने मतभेदों को दूर करने का प्रयत्न करें । यदि सप्लाई कम है, तो यह सभा यह नहीं कहती कि उसे आकाश से लाकर पूरा करो । सभा का कहना यही है कि इस विषय पर ध्यान दिया जाना चाहिए । एक माननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि वैगनों की सप्लाई पर्याप्त है जबकि दूसरे मंत्री महोदय का कहना है कि इनकी सख्या पारस्परिक परामर्श से तय की जाती है । सभा में आज जो कुछ कहा गया है, उसको देखते हुए दोनों मंत्रियों को चाहिए कि वे इस मामले पर पुनः गौर करें । मैं इस मामले को अब और आगे नहीं बढ़ाना चाहता ।

†श्री ब्रजराज सिंह : क्या मैं आपसे एक प्रार्थना कर सकता हूं ? उन्हें चाहिए कि कल सभा-पटल पर इस बारे में एक संयुक्त वक्तव्य रखें । वस्तुस्थिति यह है . . .

†अध्यक्ष महोदय : इस बारे में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए । अब अगला प्रश्न ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कठुआ और जम्मू के बीच रेल सम्पर्क

+

†*१०६४ { श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या रेलवे मंत्री ५ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कठुआ और जम्मू के बीच रेल सम्पर्क स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है; और

(ख) वास्तविक निर्माण कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) माधोपुर से केवल कठुआ तक लाइन बनाने की मंजूरी दे दी गयी है। कठुआ से आगे लाइन ले जाने की मंजूरी नहीं दी गयी। इस लाइन को कठुआ से और आगे ले जाने के लिए यातायात सम्भावनाओं की जांच करने के उद्देश्य से सर्वेक्षण करने की मंजरी दे दी गयी है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : क्या मैं जान सकता हूं कि माधोपुर में रेलवे पुल के निर्माण का कार्य किस प्रक्रम पर है ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : अभी हमने यही निश्चय किया है कि पुल किस स्थान पर बनाया जाये। अभी निर्माण-कार्य शुरू किया जाना है। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि यह कार्य लगभग दो से तीन वर्ष तक पूरा हो जायगा।

†श्री डी० चं० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि कठुआ और जम्मू के बीच लाइन के यातायात सर्वेक्षण का कार्य कब पूरा होगा ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : अभी अक्तूबर में तो इसकी मंजूरी दी गयी है। कार्य समाप्त होने में समय लगेगा।

†श्री रघुनाथ सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इसका सर्वेक्षण कब किया गया था, काम कब शुरू होगा और इस कार्य के लिए कितना धन निर्धारित किया गया है ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : क्या माननीय सदस्य लाइन के विस्तार के बारे में पूछ रहे हैं ?

†श्री रघुनाथ सिंह : जी हां।

†श्री सें० वें० रामस्वामी : इस कार्य को यथासम्भव शीघ्र हाथ में लिया जायेगा, और जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया है, इसके समाप्त होने में २, ३ वर्ष लग जायेंगे।

†अध्यक्ष महोदय : इस पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : अभी धन की मंजुरी नहीं दी गयी। अनुमान १.७७ करोड़ रु० का है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अ० मु० तारिक: क्या मैं जान सकता हूं कि इस परियोजना को कब हाथ में लिया गया था ? पहले यह निश्चय किया गया था कि यह लाइन माधोपुर से कठुआ गांव अथवा शहर में से होते हुए जायेगी किन्तु अब यह निश्चय किया गया है कि अब यह कठुआ के बाहर से जायेगी। यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि इसके क्या कारण हैं ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : हम अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों से परामर्श करते रहे हैं और इस बात को जम्मू तथा काश्मीर राज्य की मंजूरी भी प्राप्त है।

†श्री रघुनाथ सिंह : प्रश्न यह है कि जब वहां पर कठुआ नगर है तो यह रेलवे लाइन नगर के पास से हो कर क्यों नहीं गुजरती और इसे शहर से ६ अथवा ७ मील दूर से क्यों निकाला जा रहा है ? और अन्य किस मंत्रालय से सलाह की जा रही है ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : यह ६ अथवा ७ मील दूर नहीं है। यह केवल ३ मील दूर है। हम प्रतिरक्षा मंत्रालय से सलाह करते रहे हैं।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाले रेलवे लाइन चंडीगढ़ नगर के साथ नहीं हो कर गुजरती ? चंडीगढ़ कस्बे को रेलवे के साथ मिलाने के लिए क्या प्रयत्न किये जायेंगे ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : इसका मूल प्रश्न से भला क्या सम्बन्ध है ?

गैर-सरकारी विमान कम्पनियों को गैर-अनुसूचित पर्मिट

†*१०६५. { +श्री मुहम्मद इलियास :
श्री साधन गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दशरथ देव :
श्री चिन्तामणि देब : }

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा गैर-सरकारी विमान कम्पनियों को यात्री विमान सेवाओं तथा मालवाही विमान सेवाओं को चलाने के लिए गैर-अनुसूचित परमिट दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कितने परमिट दिये गये हैं;

(ग) इन परमिटों पर चलायी जाने वाली कितनी विमान सेवाओं का संचालन निश्चित कार्य-क्रम के आधार पर किया जाता है; और

(घ) ये परमिट किस विधि के अन्तर्गत दिये गये हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) जी हां।

(ख) सात।

(ग) गैर-अनुसूचित संचालक अपनी सेवायों के कोई कार्यक्रम प्रकाशित नहीं करते।

(घ) भारतीय विमान नियम, १९३७ के नियम १३४ के उप-नियम ३ के अन्तर्गत।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुहम्मद इलियास** : गैर-सरकारी हवाई कम्पनियों द्वारा पूर्वी ज़ोन के ३३२ हवाई अड्डों में से कितनों का उपयोग किया जाता है और इनमें से कितने अड्डों की देखभाल असैनिक उड्डयन विभाग द्वारा की जाती है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : मेरे पास इसके आंकड़े नहीं हैं।

†**श्री साधन गुप्त** : यद्यपि वे अपने कार्यक्रम प्रकाशित नहीं करते, तथापि क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ये गैर-अनुसूचित संचालक नियमित रूप से उड़ानें करते हैं, उदाहरणार्थ दैनिक, सप्ताह में दो बार अथवा तीन बार ? यदि हां, तो क्या यह एयर कारपोरेशन अधिनियम की धारा १८ के विरुद्ध नहीं है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : मैं नहीं समझता कि यह अधिनियम के सैक्शन १८ के विरुद्ध है।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या वे नियमित उड़ानों का संचालन करते हैं ?

†**श्री रंगा** : एक गैर-अनुसूचित सेवा नियमित किस प्रकार हो सकती है ?

†**श्री साधन गुप्त** : वे नियमित उड़ानों का संचालन करते हैं।

†**डा० प० सुब्बरायन** : जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री रंगा ने बताया है, एक गैर-अनुसूचित उड़ान नियमित उड़ान नहीं हो सकती। ये विमान तभी उड़ान करते हैं; जब इन के पास यात्री होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये सप्ताह में दो बार उड़ान करते हैं और कई दफा तीन बार। जब तक उन के पास लाइसेंस हैं, तब तक हम उन्हें ऐसा करने से रोक नहीं सकते।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : नियमों के अन्तर्गत 'गैर-अनुसूचित परमिट" नाम की कोई शब्दावलि नहीं है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उन्हें हर बार पुनर्नवीकरण के समय विशेष परमिट (अनुमति-पत्र) दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या ये विशेष अनुमति-पत्र किन कारणों से दिये जाते हैं ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : जैसा कि माननीया सदस्य को ज्ञात है, विशेष अनुमति-पत्र तभी दिये जाते हैं जब हमारे पास उड़ान के लिये विमानों की कमी हो अथवा उन उड़ानों से पर्याप्त आय न होती हो। इसलिये यदि कई गैर-सरकारी संचालक यात्रियों की सुविधानुसार उड़ान की व्यवस्था करने का इच्छक हो, तो हम कई बार इस की अनुमति दे देते हैं।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन हवाई अड्डों पर, जिन के मालिक गैर-सरकारी लोग हैं, और जिन का प्रबन्ध गैर-सरकारी लोगों द्वारा होता है। रेडियो-संचार की व्यवस्था है ? यदि नहीं है, तो हम यह कैसे जान सकते हैं कि गैर-अनुसूचित संचालक इन हवाई अड्डों का प्रयोग नियमानुसार करते हैं अर्थात् जब वे उड़ते हैं अथवा उतरते हैं तो उन्हें रेडियो-संचार सेवायें उपलब्ध होती हैं ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : जहां तक हो सकता है, हम इन हवाई अड्डों का निरीक्षण करते हैं और देखते हैं कि क्या उतरने तथा उड़ान करने की सुविधायें उपलब्ध हैं, ताकि दुर्घटनायें न हों। माननीय सदस्य जानते हैं कि गैर-अनुसूचित उड़ानों की संख्या को देखते हुए दुर्घटनाओं की संख्या सचमुच बड़ी कम है।

---

†मूल अंग्रेजी म

†श्री साधन गुप्त : क्या यह सच है कि एक गैर-अनुसूचित सेवा के विमान प्रतिदिन दो बार जलपाईगुड़ी जाते हैं और एक अन्य गैर-अनुसूचित सेवा के विमान आसाम में चाबिया नामक स्थान तक सप्ताह में तीन बार उड़ान करते हैं ? यदि हां, तो उन्हें ऐसा करने की किस प्रकार अनुमति दी जाती है ?

†डा० प० सुब्बरायन : जब हम समझते हैं कि इन उड़ानों का संचालन उन के लिये सुविधा-जनक है तो उन्हें इसकी अनुमति दी जाती है ।

†श्री साधन गुप्त : यह कानून के विरुद्ध है ।

†अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य यह समझते हैं कि किसी नियम अथवा विनियम का उल्लंघन हुआ है तो वह इस बात की ओर माननीय मंत्री का ध्यान दिला सकते हैं ।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : कई बार ऐसा किया जा चुका है ।

†श्री साधन गुप्त: वायु निगम कर्मचारी संघ द्वारा कई बार उन के नोटिस में यह बात लायी गयी है किन्तु अभी तक इस बारे में कुछ नहीं किया गया ।

†अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य का यह कहना है कि लाइसेंस कभी कभी उड़ान करने के लिये दिये जाते हैं किन्तु उड़ाने बार बार की जाती है ? वह क्या कहना चाहते हैं ?

†श्री साधन गुप्त : मैं "अनुसूचित वायु परिवहन सेवा" की परिभाषा पढ़ता हूं ।

†अध्यक्ष महोदय : मैं गैर-अनुसूचित सेवा की बात कर रहा हूं ।

†श्री साधन गुप्त : जो अनुसूचित नहीं है, वह गैर-अनुसूचित है ।

†अध्यक्ष महोदय : गैर-अनुसूचित उड़ानों में बुराई क्या है ? प्रश्न क्या है ?

†श्री साधन गुप्त : वायु निगम अधिनियम के सैक्शन १८ के अन्तर्गत अनुसूचित वायु परिवहन सेवा का संचालन केवल वायु निगम द्वारा किया जा सकता है और अनुसूचित वायु परिवहन सेवा की परिभाषा इस प्रकार की गयी है कि ऐसी वायु परिवहन सेवा . . . . .

†अध्यक्ष महोदय : हम गैर-अनुसूचित सेवा के बारे में चर्चा कर रहे हैं ।

†श्री साधन गुप्त: अनुसूचित वायु सेवा एक ऐसी सेवा है जिसमें उड़ानें नियमित रूप से और बार बार होती हैं कि उन्हें एक क्रमबद्ध माला के रूप में माना जा सकता है । दिन में दो बार अथवा सप्ताह में तीन बार उड़ान करना एक क्रमबद्ध श्रंखला है । और यह एक गैर-अनुसूचित वायु परिवहन सेवा नहीं है । मैं पूछता हूं कि इन उड़ानों के संचालन की अनुमति किस प्रकार दी जाती है ?

†अध्यक्ष महोदय: वह यह जानना चाहते हैं कि क्या इसे अनुसूचित सेवाओं का रूप नहीं दिया जा सकता क्योंकि एक गैर-अनुसूचित सेवा के नाम पर वास्तव में एक अनुसूचित सेवा का संचालन हो रहा है । जब एक अनुसूचित सेवा की आवश्यकता है तो गैर-अनुसूचित सेवा की छट क्यों दी जा रही है ? स्पष्टत:, माननीय सदस्य का विचार है कि ये सेवायें नियमित रूप से संचालित की जा रही हैं । यह कोई कभी कभी की जाने वाली उड़ान नहीं है, जिस के लिये उपबन्ध किया गया है । इसे किसी गैर-सरकारी अभिकरण के हाथ में क्यों दिया जाये ? इसे सरकार अपने हाथ में क्यों नहीं लेती ? क्या यही बात है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री साधन गुप्त : इसे निगम को अपने हाथ में लेना चाहिये । गैर-सरकारी कम्पनियों को नहीं ।

†अध्यक्ष महोदय : मैंने सरकार कह दिया है, बात वही है ।

†डा० प० सुब्बरायन : हम ऐसा केवल इसलिये नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास उन सेवाओं के संचालन के लिये पर्याप्त संख्या में विमान नहीं हैं ।

श्री पद्म देव : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या १०७४ बहुत जरूरी है और अगर इस को लिया जाय तो बड़ी कृपा होगी ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, माफ कीजियेगा ।

दक्षिण रेलवे में वर्षा के कारण क्षति

†*१०६७. श्री न० रा० मुनिस्वामी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, १९६० में निरन्तर वर्षा से दक्षिण रेलवे के रेल मार्गों को जो क्षति पहुंची है क्या सरकार ने उस का अनुमान लगाया है ;

(ख) कितनी क्षति पहुंची है । और

(ग) क्या सरकार ने रेल मार्गों में सुधार करने का कोई कार्यक्रम बनाया है ताकि भविष्य में बाढ़ अथवा वर्षा से ऐसी क्षति न हो ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) १,३६,००० रु० ।

(ग) जी नहीं । जांच कार्य जारी है और यदि किसी अतिरिक्त जल मार्ग की अथवा किसी रेल मार्ग को ऊंचा करने की अथवा किसी अन्य सुरक्षात्मक कार्य की आवश्यकता समझी गयी, तो उस कार्य को प्राथमिकता आधार पर हाथ में लिया जायेगा ।

†श्री न० रा० मुनिस्वामी : सरकार को यह पता है कि गुदूर और मद्रास के बीच का मार्ग कुछ विशेष स्थानों पर हर वर्ष क्षतिग्रस्त हो जाता है, वर्षा चाहे २ अथवा ३ इंच ही क्यों न पड़े । और इस के परिणाम स्वरूप जी० टी० गाड़ी को अरकोनम और रेनीगुन्ता के रास्ते ले जाना पड़ता है । क्या सरकार कम से कम इस मार्ग के उस भाग को मजबूत बनाने की योजना तैयार करेगी ताकि समय का जो नुकसान होता है, उसे गुदूर और मद्रास के बीच कहीं न ठहरते हुए पूरा किया जा सके ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : मेरा निवेदन यह है कि जो बात कही गयी है, वह बिल्कुल ठीक नहीं है । हर वर्ष ऐसा नहीं होता । कोई तीन वर्ष पहले बड़ी भारी वर्षा हुई थी । इस बार फिर असाधारण वर्षा हुई है । मार्ग के जलमग्न होने और रेलगाड़ी का रास्ता बदलने का कारण यही बात है । हम यह बात देखने के लिये जरूरी कदम उठा रहे हैं कि क्या इसमें कोई और सुधार की आवश्यकता है ।

†श्री न० रा० मुनिस्वामी : क्या इसके कारण कोई जानी नुकसान हुआ है, और यदि हां, तो क्या इसके लिये क्षतिपूर्ति की गयी है ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : जहां तक मुझे पता है, जानी नुकसान बिल्कुल नहीं हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री तंगामणि : क्या सरकार के ध्यान में यह बात लायी गयी है कि मदुराई के निकट एक बड़े जलाशय में दरार पड़ गयी थी और मन्त्रालय को एक रिपोर्ट भेजी गयी थी कि जलाशय से पानी ले जाने वाली नहर पर बने पुल को चौड़ा करना ज़रूरी हो गया है ? यदि हां, तो सरकार क्या कदम उठाने वाली है ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या इस दरार के कारण उस क्षेत्र में कोई दुर्घटना हुई है, और यदि इसे रोका गया है, तो कैसे ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : भारतीय रेलों पर हजारों पुल हैं । मेरे लिये किसी एक पुल के बारे में जानकारी देना बड़ा कठिन है । मैं यही कह सकता हूं कि यदि कोई रिपोर्ट आयी है तो रेलवे विभाग अवश्य ही इसकी जांच करेगा । विभाग इस सारी बात की जांच कर रहा है ।

†श्री स० र० अरुमुगम : क्या मैं जान सकता हूं कि दक्षिण रेलवे पर मानसून के कारण कौन से स्थानों को बार बार क्षति पहुंचती है और रेलवे को क्षति न हो, इसके लिये क्या स्थायी उपाय किये गये है ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : मुख्यतः ऐसे पांच स्थान हैं । एक अरकोनम और रेनीगुन्ता के बीच है । मद्रास और गुदूर, रेनीगुन्ता और गुदूर, रेनीगुन्ता और नन्दलूर; और मद्रास तथा विल्लेपुरम के बीच भी कहीं कहीं दरारें आ जाती हैं । भारी वर्षा के कारण रेलमार्ग को काफी क्षति पहुंची है जिससे गाड़ियों का रास्ता बदलना पड़ता है और कभी कभी गाड़ियों का चलाना बन्द करना पड़ता है ।

†श्री न० रा० मुनिस्वामी : क्या यह सच नहीं है कि ये दरारें केवल पुलियों और पुलों के निकट ही आयी हैं जहां कि रेलमार्ग बड़े कमजोर थे और जहां यथोचित निरीक्षण कार्य नहीं होता रहा ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : रेल की लाइनें कमजोर नहीं थीं । पुल किसी खास आधार पर बनाये गये थे और यदि असाधारण वर्षा हो तो पानी सम्भवतः जलमार्गों में नहीं जा सकता । हम इस सारे प्रश्न की जांच कर रहे हैं ।

†श्री रंगा : इन बाढ़ों और उनके परिणामस्वरूप होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए क्या सरकार ने इन चीज़ों के इंजीनियरी पहलू का विशेष अध्ययन करने का निश्चय किया है ताकि भविष्य में जब इन पुलों का पुनर्निर्माण हो, तो वह इस प्रकार किया जाये कि ये बाढ़ के जल के नीचे न डूब जायें और बाढ़ के पानी को बहने का रास्ता न मिले, जिसके कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : जैसा कि सभा को विदित है, एक आयोग नियुक्त किया गया था, जिसने एक रिपोर्ट पेश की थी । इस रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है ।

डाक-टिकट

+

†*१०६८. { श्री हीं० ना० मुकर्जी :
श्री तंगामणि :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि अभी हाल में जारी किये गये एक स्मारक डाक-टिकट पर कविवर कालिदास के अभिज्ञान शाकुन्तलम की जो उक्ति दी गयी थी, वह प्राकृत की मूल उक्ति का (किसी बाद के टीकाकार द्वारा किया गया) संस्कृत अनुवाद था; और

(ख) कालिदास द्वारा प्रयुक्त मूल शब्दों को क्यों उद्धृत नहीं किया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी हां।

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कालिदास की कृतियों का प्राकृत की बजाय अधिकतर संस्कृत में होता है, मूल प्राकृत उक्ति के स्थान पर उसके संस्कृत अनुवाद (छाया) को विशेष रूप से चुना गया था।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या स्मारक टिकटों के लिये प्राचीन लेखकों की उपयुक्त उक्तियों को लेने के वास्ते सरकार के पास कोई उचित व्यवस्था है और इसका क्या कारण है उन प्राचीन लेखकों की उक्तियों को, जिन को हम उद्धृत करते हैं, तोड़ मोड़ कर पेश किया जाये, जो कि एक गलत बात है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : हम इस सम्बन्ध में संस्कृत विशेषज्ञों की एक समिति से परामर्श करते हैं, जिसमें मद्रास विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक डा० राघवन भी हैं, और उन्होंने यह सुझाव दिया कि यदि यह उक्ति प्राकृत की बजाय संस्कृत में हो तो इसे विश्वभर के संस्कृत विद्वान् अधिक अच्छी प्रकार से समझ सकेंगे।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या अपने प्राचीन लेखकों के प्रति हमारा यह कर्तव्य नहीं है कि यदि हम उन्हें उद्धृत करें, तो उद्धरण शब्दशः सही हो और उसका अनुवाद अलग से दिया जाये; अन्यथा यह तो एक प्रकार से उनका निरादर होगा क्योंकि इन नाटकों में वार्तालाप और सम्भाषण के लिये प्राकृत का भी प्रयोग किया जाता है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : मैं अच्छी तरह से समझता हूं कि संस्कृत रचनाओं में वार्तालाप की भाषा प्राकृत ह। इसके साथ साथ, मैं समझता हूं कि विशेषज्ञों की राय का आदर किया जाना चाहिये।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : इस बारे में किन विशेषज्ञों ने परामर्श दिया था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हों ने अभी बताया तो है कि डा० राघवन ने।

†**श्री तंगामणि** : जिस उक्ति को उद्धृत किया गया है उसे प्राकृत में कहा गया था। क्या माननीय मन्त्री इस बात पर विचार करेंगे कि कम से कम भविष्य में प्राचीन लेखकों की मूल पंक्तियों को ही उद्धृत किया जाये, उनके अनुवाद को नहीं ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : पुस्तिका प्रकाशित हो चुकी है और मैं समझता हूं कि इसका विश्व भर में अच्छा स्वागत हुआ है। वास्तव में, यह तो कार्य के लिये सुझाव है, जिस पर, मैं विचार करूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

अदीस अबाबा में भारतीय

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८. श्री अ० मु० तारिक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अदीस अबाबा में, जहां पर गलियों में भी उपद्रव हो रहे हैं, भारतीयों की सुरक्षा के लिये कोई कदम उठाये हैं; और

(ख) उनका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी नहीं ।

(ख) राजदूतावास से प्राप्त अन्तिम तार में यह कहा गया है कि वहां पर सभी भारतीय सुरक्षित हैं । १४ दिसम्बर को, जबकि सम्राट् ब्राजील में थे, सम्राट् के अंगरक्षकों द्वारा अचानक विप्लव कर दिया गया । इन परिस्थितियों में भारतीयों की सुरक्षा के लिये हमारे द्वारा विशेष कदम उठाने का प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है । हमारे राजनयिक दूत मण्डल पर हमेशा यह जिम्मेवारी होती है कि वह इस कार्य के लिये जो भी कदम उठाये जा सकते हैं, उठायें ।

†श्री अ० मु० तारिक : क्या परराष्ट्र मन्त्रालय को वहां पर हमारे प्रतिनिधि से कोई रिपोर्ट मिली है कि वहां पर यह सब कैसे हुआ, और क्या मैं प्रधान मन्त्री का ध्यान . . . .

†अध्यक्ष महोदय : कुछ भी नहीं हुआ । जहां तक भारतीयों का सम्बन्ध है, कुछ भी नहीं हुआ ।

†श्री अ० मु० तारिक : इस सारी . . . .

†अध्यक्ष महोदय : मैं यह प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दे सकता । माननीय सदस्य केवल यह जानना चाहते थे कि क्या वहां पर भारतीय सुरक्षित हैं; और प्रधान मन्त्री ने बता दिया है कि वे पूर्णतया सुरक्षित हैं ।

†श्री अ० मु० तारिक : मैं जानना चाहता हूं कि क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय को अदीस-अबाबा में हुई घटनाओं से अवगत कराया गया था और क्या हमारे मन्त्रालय को वहां की घटनाओं के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : हमें तार के द्वारा संक्षिप्त प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ।

†श्री रघुनाथ सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि अबीसीनिया में इस समय कितने भारतीय राष्ट्रजन तथा भारतीय मूल के व्यक्ति हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । प्रत्येक भारतीय सुरक्षित है ।

नाहरकटिया तेल क्षेत्र से प्राप्त प्राकृतिक गैस का उपयोग

+

†अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६. { श्री गोरे : श्री प्र० चं० बरुआ : श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नाहरकटिया तेल क्षेत्र से प्राप्त सम्बद्ध गैस[1] को उपयोग करने के पश्चात् भी लगभग १.६० करोड़ घन फुट गैस को जलाना पड़ेगा ;

(ख) क्या सरकार अपनी इस नीति में, कि गैर-सरकारी उद्योग क्षत्र को इस बात की अनुमति नहीं दी जायेगी कि इसका उपयोग पेट्रो-कैमिकल उत्पादों के निर्माण के लिये किया जाये, परिवर्तन करने के बारे में विचार करेगी ; और

(ग) ऐसी सम्बद्ध गैस (नान-एसोशियेटेड गैस) की मात्रा कितनी है, जिसका उपयोग किया जा सकता है, किन्तु जब तक सरकारी क्षेत्र इसका उपयोग करने के योग्य नहीं हो जाता इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1]Associated gas

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) औद्योगिक और घरेलू उपयोग के लिये लगभग ३.८ करोड़ घन फुट प्राकृतिक गैस प्रति दिन उपलब्ध हो सकेगी। नाहरकटिया से प्राप्त प्राकृतिक गैस का उपयोग करने के लिये परियोजनाओं का सुझाव देने के वास्ते विशेषज्ञों की जो समिति नियुक्त की गई थी, उसने अभी तक ५ परियोजनाओं का सुझाव दिया है जिनमें लगभग ३.८ करोड़ एस० सी० एफ० डी० प्राकृतिक गैस का उपयोग होगा। प्राकृतिक गैस पर आधारित अन्य परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है। प्रत्येक परियोजना के लिए कुल कितनी प्राकृतिक गैस की आवश्यकता पड़ेगी, इसका पता तभी लग सकेगा जब परियोजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट मिल जायेंगी। इन परिस्थितियों में, इस प्रक्रम पर यह कहना सम्भव नहीं कि गैस को जलाया जायेगा अथवा नहीं।

(ख) देश के सर्वोच्च हितों को ध्यान में रखते हुए पेट्रो-कैमिकल परियोजनाओं की स्थापना करने में गैर-सरकारी क्षेत्र की भी सहायता ली जा रही है।

(ग) तेल क्षेत्रों का पूर्ण विकास होने के पश्चात् ही इस बात का पता चल सकेगा कि कुल कितनी नान-एसोशिएटेड गैस उपलब्ध हो सकेगी। विशेषज्ञ समिति नान-एसोशिएटेड गैस का उपयोग करने की योजनाओं पर भी विचार करेगी। इस समय, यह कहना समयपूर्व होगा कि प्राकृतिक गैस बिना प्रयोग के पड़ी रहेगी।

†श्री गोरे : क्या मैं जान सकता हूं कि यदि सरकार को यह पता लग भी गया कि इस गैस को जलाना अथवा जाया करना पड़ेगा, तो क्या सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र को भी इस गैस का उपयोग करने की अनुमति दे देगी ?

†श्री के० दे० मालवीय : जैसा कि मैंने कहा है, इस गैस के अधिकांश भाग के लिये परियोजनाओं पर अध्ययन किया जा रहा है और आसाम सरकार इस गैस का उपयोग करने को तैयार है। प्राकृतिक गैस का कुछ अंश गैर-सरकारी क्षेत्र को भी देना पड़ेगा और इस बारे में, भारत सरकार के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा कुछ निश्चय किये गये हैं और शायद भारत सरकार जल्दी ही इनके बारे में कुछ जानकारी भी देगी।

†श्री गोरे : क्या यह सच नहीं है कि आसाम सरकार ने एक योजना तैयार की है जिसके अनुसार इस सारी गैस का उपयोग किया जा सकता है, और इस योजना का समर्थन योजना आयोग और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा भी किया गया था किन्तु माननीय मंत्री महोदय के मंत्रालय ने इस योजना को रद्द कर दिया ?

†श्री के० दे० मालवीय : यह सच नहीं है कि आसाम सरकार ने कुछ ऐसी योजनाएं तैयार की थीं जिनके अनुसार राज्य सरकार द्वारा सारी प्राकृतिक गैस का उपयोग हो जाता। किन्तु यह सच है कि हमने सोचा कि आसाम सरकार की सभी योजनाओं से सहमति प्रकट करना समय पूर्व होगा. इसलिये हमने उनसे विचार के लिये कुछ समय मांगा था। उन योजनाओं पर अब विचार कर लिया गया है और हमारी अब भी यही राय है कि नीति सम्बन्धी मुख्य निश्चय अभी किया जाना है, ताकि कुल उपलब्ध गैस का सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में वितरण किया जा सके।

†श्री गोरे : क्या मैं यह समझूं कि इस बात के लिये हर कदम उठाया जायेगा कि उपलब्ध होने वाली गैस को जलने नहीं दिया जायेगा ?

†श्री के० दे० मालवीय : कुछ गैस जल सकती है, किन्तु हर प्रकार की सावधानी बरती जा रही है कि गैस जाया न जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†श्री प्र० चं० बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस अतिरिक्त गैस का उपयोग करने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र को उद्योग स्थापित करने की अनुमति देगी ?

†श्री के० दे० मालवीय : मैं पहले ही बता चुका हूं कि गैर-सरकारी क्षेत्र की कुछ प्रस्थापनाओं पर विचार किया जा रहा है और इनमें से कुछ का भारत सरकार की मंजूरी दी गयी है ।

†श्री विद्याचरण शुक्ल : यह देखते हुए कि आसाम सरकार द्वारा पेश की गयी परियोजना के बारे में अंतिम निश्चय करने में इतना अधिक समय लग गया है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन परियोजनाओं में गैस का उपयोग, गैस उपलब्ध होने के दो वर्ष पश्चात् भी, शुरू हो सकेगा, और बरौनी तेल साफ करने के कारखाने में उत्पादन होने के पश्चात् भारत सरकार गैस का उपयोग किस प्रकार करेगी ?

†श्री के० दे० मालवीय : इन सभी बातों तथा कार्यक्रमों पर विचार किया गया था और मेरा ख्याल है कि भारत सरकार के निश्चयों के कारण गैस बिल्कुल व्यर्थ नहीं जायेगी ।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस बात को देखते हुए कि गैस उपलब्ध नहीं है और अभी कुछ समय और लगेगा, क्या मैं जान सकती हूं कि सरकारी क्षेत्र द्वारा इस गैस का उपयोग करने का क्या कार्यक्रम है ? मैं यह भी जानना चाहती हूं कि इसका अधिकांश भाग सरकारी क्षेत्र द्वारा प्रयुक्त होगा अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा ?

†श्री के० दे० मालवीय : अधिकतर अंश का प्रयोग सरकारी क्षेत्र द्वारा किया जायेगा ।

†श्री प्र० चं० बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या 'एसोशिएटेड' और 'नान-एसोशिएटेड' गैस का कोई अनुमान लगाया गया है ?

†श्री के० दे० मालवीय : आसाम आयल कम्पनी द्वारा अनुमान लगाये गये हैं, किन्तु वे अन्तिम नहीं हैं ।

†श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पेट्रो-कैमिकल उद्योग स्थापित करने के लिये वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा लाइसेंस दिया गया था और क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय तथा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के बीच कोई सम्पर्क है, और जब भारत सरकार की नीति गैर-सरकारी क्षेत्र में इस उद्योग को स्थापित करने की नहीं है, तो यह लाइसेंस क्यों दिया गया था ?

†श्री के० दे० मालवीय : यह लाइसेंस सम्भवतः, मैं इस बारे में निश्चित नहीं हूं, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा दिया गया है, किन्तु इस सारे मामले पर दोनों मंत्रालयों में विचार किया गया था, और जहां तक निश्चयों का सम्बन्ध है, इस बारे में पूरा तालमेल था ।

†श्री बसुमतारी : क्या मैं जान सकता हूं कि यह परियोजना सम्भवत कब शुरू की जायेगी ?

†श्री के० दे० मालवीय : मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि निश्चित रूप से यह बता सकूं कि ये परियोजनाएं किस दिन अथवा महीने में शुरू की जायेंगी ।

†श्री हेम बरुआ : सरकारी क्षेत्र में गैस का उपयोग करने के बारे में आसाम सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाओं के सम्बन्ध में मंत्री महोदय के इस उत्तर को देखते हुए कि नीति सम्बन्धी प्रश्नों का फैसला अभी किया जाना है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ये योजनायें आसाम सरकार द्वारा पेश की गयी थीं और इन्हें योजना आयोग द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया था; और यदि हां, तो मंत्री

---

†मूल अंग्रेजी में

महोदय यह क्यों कह रहेहैं कि नीति सम्बन्धी बातों का निश्चय अभी किया जाना है ? अब जब कि एक वक्तव्य दिया जा चुका है, इसके किन पहलुओं के बारे में निश्चय किया जाना है ? जहां तक आसाम का सम्बन्ध है, गैस उपयोग होने के लिये तैयार है ।

†श्री के० दे० मालवीय : अन्य बहुत से क्षेत्र हैं, जहां से प्राकृतिक गैस, 'एसोशिएटेड गैस' और 'नान-एसोशिएटेड गैस' प्राप्त होने की सम्भावना है । इस विशाल पृष्ठ भूमि में हमें यह विचार करना है कि कार्य के विभाजन की रूपरेखा क्या हो, सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र को कौन कौन-सा कार्य सौंपा जाये ।

†श्री साधन गुप्त : इस बात को देखते हुए कि यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है, जिसे केवल सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया है, इस बात का निश्चय करने के लिए क्या कोशिश की गयी थी कि क्या इस सारी गैस का सरकारी क्षेत्र द्वारा उपभोग नहीं किया जा सकता, और किन प्रयत्नों के पश्चात् यह निश्चय किया गया कि इसे गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंप दिया जाये ?

†श्री के० दे० मालवीय : हमने पेट्रो-कैमिकल उद्योग को सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में बांटने से सम्बन्धित सभी समस्याओं पर पूरी पतरह से विचार किया है । जब गैस उपयोग किये जाने के लिए तैयार हो जायेगी, तब यह विभाजन किया जायेगा ।

†श्री रंगा : क्या मैं यह समझूं कि जब तक यह सारी चर्चा चलती रहेगी और जितनी देर तक सरकार नीति का निर्धारण तथा इस बारे में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र का निश्चय नहीं करेगी, तब तक यह सारी गैस व्यर्थ जाती रहेगी ?

†श्री के० दे० मालवीय : नहीं श्रीमन्, यह व्यर्थ नहीं जायेगी ।

†श्री गोरे : क्या मैं जान सकता हूं कि इटली की इ० एन० आई० नामक प्रतिष्ठान भी, जिनसे तेल के अन्वेषण और उपयोग में काफी सहयोग प्राप्त होने की सम्भावना है, इस कार्य में हमारा सहकारी होगा ?

†श्री के० दे० मालवीय : अभी यह कहना समय पूर्व होगा कि इस बारे में किसी विदेशी फर्म के साथ हमारा कोई करार हो जायेगा ।

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा चीनी का खरीदा जाना

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १०. श्री खुशवक्त राय : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने यह निश्चय किया है कि वे क्यूबा से किसी भी हालत में चीनी नहीं खरीदेंगे ; और

(ख) क्या इस बात के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत से चीनी खरीदे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) सरकार के पास कोई अधिकृत सूचना नहीं है, किन्तु समाचारपत्रों से आभास होता है कि अमेरिका सरकार ने आगामी वर्ष के पहले तीन महीनों में क्यूबा से चीनी न खरीदने का निश्चय किया है ।

(ख) जी हां, इस दिशा में पहले से ही प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री खुशवक्त राय : क्या मैं जान सकता हूं कि संयुक्त राज्य अमरीका ने जो यह निर्णय किया है कि वह तीन महीने तक क्यूबा से शकर नहीं खरीदेगा, इस निर्णय को जानने के बाद आप ने क्या नये प्रयत्न किये हैं ?

श्री स० का० पाटिल : हमारा जो सुझाव है वह इस चीज के साथ कुछ सम्बन्ध नहीं रखता ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** यद्यपि हम अपनी वस्तुओं को विदेशों में बेचना चाहते हैं, तथापि इस बात को देखते हुए कि क्यूबा से चीनी का क्रय एक राजनैतिक प्रश्न है, क्या भारत को इस राजनैतिक प्रश्न में उलझना चाहिये और इस चीज़ को तोड़ने का प्रयत्न करना चाहिये ?

†**श्री स० का० पाटिल :** इस सौदे में राजनीति का कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि संयुक्त राज्य अमरीका ९ अथवा १९ देशों से चीनी खरीदता है और उस की वार्षिक लागत में १२५,००० टन वृद्धि भी हो जाती है । क्यूबा का अथवा इन अन्य देशों का इस से कोई सम्बन्ध नहीं । राजनीति का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि संयुक्त राज्य अमरीका हमारी चीनी तब तक खरीदने के लिय तैयार नहीं, जब तक उसकी किस्म में सुधार नहीं होता ; क्या वे हमारी अर्ध-विधायित (जो पूरी तरह से तैयार न हो) चीनी खरीदने के लिये राज़ी है, यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या निश्चय है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** संयुक्त राज्य अमरीका जिन देशों से चीनी खरीदता है, वह उस की कीमत संसार के बाजार-भाव से ५० प्रतिशत अधिक देता है । अमरीका में ऐसी चीनी का उपयोग होता है जो अधिक 'पोलराइज़ेशन' या तो हम उच्च 'पोलराइज़ेशन' वाली चीनी का उत्पादन करें, हम ऐसा कर सकते हैं, या फिर हमारी चीनी का विधायन अमरीका हो सकता है । किन्तु इस समय ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते क्योंकि इस समय तक दोनों देशों में कोई बात पक्की नहीं हुई । अभी उन्हों ने खरीद के बारें में वायदा नहीं किया ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दिल्ली में गृह-निर्माण सहकारी समितियां

†*१०६०. { **श्री खीमजी :**
श्री क० उ० परमार :
श्री रामजी वर्मा :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गृह-निर्माण सम्बन्धी कितनी सहकारी समितियों को सरकार द्वारा जमीन अलाट की गई है ; और

(ख) कितनी समितियों ने जमीन के लिये आवेदन पत्र भेजे हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर):** (क) सम्भवतः माननीय सदस्य दिल्ली के प्रस्तावित विकास के लिये अर्जन के लिये १३ नवम्बर, १९६० को अधिसूचित ३४,०७० एकड़ भूमि में से

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह निर्माण सहकारी समितियों को भूमि के आवंटन का निर्देश कर रहे हैं। यदि हां, तो ३४,०७० एकड़ में से किसी भी सहकारी समिति को अभी तक कोई भूमि नहीं दी गई है।

(ख) १०६।

डाक तथा तार विभाग में कल्याण समितियां

†*१०६३. **श्री नारायणन कुट्टि मेनन** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग के अधीन कार्यालयों में अभी हाल ही में कल्याण समितियां बनाई गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन समितियों का गठन किस प्रकार हुआ है ; और

(ग) क्या इन समितियों का गठन करने के लिये चुनाव किये गये थे ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन): (क) जी, हां। वर्ष १९५३ से।

(ख) ऐसे कार्यों में रुचि लेने वाले कार्यालय-कर्मचारियों में से कार्यालय के अध्यक्षों द्वारा नाम-निर्देशिन।

(ग) जी, नहीं।

तलकर्षण सम्बन्धी समस्यायें

†*१०६६. **श्री अरविन्द घोशाल** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को तलकर्षण सम्बन्धी समस्याओं के बारे में सलाह देने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रविधिक सहायता योजना के अन्तर्गत किसी विशेषज्ञ की सहायता मांगी गयी है ;

(ख) क्या उस विशेषज्ञ ने कोई सिफारिशें की हैं ; और

(ग) यदि हां, तो वे सिफारिशें क्या हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां। हुगली नदी की तलकर्षण सम्बन्धी समस्याओं के बारे में कलकत्ता पत्तन आयुक्तों को सलाह देने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रविधिक सहायता योजना के अधीन पोलैण्ड से एक तलकर्षण विशेषज्ञ की सेवायें प्राप्त की गयी हैं।

(ख) जी, नहीं। विशेषज्ञ की जांच पड़ताल अभी प्रगति पर है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

तिरुपति में हवाई अड्डा

†*१०६९. **श्री उसमान अली खां** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरूपति देवस्थानम बोर्ड ने संघ सरकार से यह अनुरोध किया है कि दूर दूर के स्थानों से आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिये तिरूपति में हवाई अड्डे की व्यवस्था की जाये ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई निश्चय किया है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । तिरूपति मद्रास हवाई अड्डे से लगभग ९० मील दूर है और वहां रेल और सड़क—दोनों का सम्पर्क है । अतः अखिल भारतीय असैनिक उड्डयन के दृष्टिकोण से तिरूपति में एक हवाई अड्डा बनाने का औचित्य नहीं है । इस के अतिरिक्त स्थानवृत[1] और अन्य प्रविधिक कारणों से भी तिरूपति में हवाई पट्टी बनाना व्यवहाय नहीं है । इस बारे में तिरूपति देवस्थानम बोर्ड को बता दिया गया है ।

दमदम हवाई अड्डे पर उपाहार-गृह

†*१०७०. श्री स० मो० बनर्जी : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दमदम अड्डे पर स्थित उपाहार गृह के संचालन के सम्बन्ध में गम्भीर शिकायतें मिली हैं ;

(ख) क्या इन शिकायतों की जांच की गई है ;

(ग) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला है ; और

(घ) क्या इस उपाहार-गृह का ठेका तीन वर्षों के लिये और बढ़ा दिया गया है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

(घ) जी, हां ३१–१२–१९६० के बाद ।

मनिहारीघाट के निकट रेल मार्ग से फिश प्लेटों का हटाया जाना

†*१०७१. श्री प्र० चं० बरूवा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ३ दिसम्बर, १९६० की रात को मनिहारीघाट के निकट रेलवे लाइन से फ़िश-प्लेटें हटी हुई पाई गईं ;

(ख) क्या इन फिश-प्लेटों के हटने का पता समय पर लग जाने से कोई गम्भीर दुर्घटना टल गई ;

(ग) इन फ़िश-प्लेटों को हटाने की जिम्मेवारी किस की है ; और

(घ) क्या उस 'गैंगमैन' को, जिस के कारण दुर्घटना होने से टल गयी, यथोचित इनाम दिया गया है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) अभी तक पता नहीं लगा है । तथापि, पुलिस मामले की जांच कर रही है ।

(घ) किसी इनाम के प्रश्न पर पुलिस की जांच का परिणाम प्राप्त होने पर ही विचार किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Topography

दक्षिण पूर्व रेलवे पर बुकिंग का बन्द किया जाना

†*१०७२. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री नि० बि० माईति :
श्री रा च० माझी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व रेलवे के गिडनी, झाड़ग्राम, सुरडिया और चकुलिया स्टेशनों से अप और डाउन ट्रेनों के लिये यात्रियों का बुकिंग अभी हाल ही में बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या हर साल इन दिनों में यात्रियों का बुकिंग बन्द कर दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री से० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां। केवल दो अवसरों पर अर्थात् २६-११-१९६० को सम्बलपुर-हावड़ा पैसेंजर से और ८-१२ १९६० को हजारी बाग-रांची-हावड़ा एक्सप्रेस से ।

(ख) भारी भीड़ के कारण और यात्रियों को अनुसूचित असुविधा होने से रोकने के ख्याल से ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हदिया-खड़गपुर लाइन

†*१०७३. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खड़गपुर-हल्दिया रेलवे लाइन के प्रस्तावित निर्माण के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के लगभग २००० गांवों के संबंध में १७ नवम्बर, १९६० को अधिसूचना जारी कर दी गई है;

(ख) क्या भविष्य में इन अधिसूचित गांवों के निवासियों को वहां से निकाला जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस कार्य को विभिन्न दौरों में करने और इस से प्रभावित होने वाले लोगों को क्षतिपूर्ति देने के लिये कोई कार्यक्रम बनाया गया है ?

†रेलवे उप मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) असैनिक प्राधिकारियों से सर्वेक्षण के लिये एक अधिसूचना जारी करने की प्रार्थना की गई थी और तदनुसार वह जारी की गई। तथापि, इस मामले में योजना आयोग द्वारा निर्णय न किये जाने के कारण सर्वेक्षण कार्य आरम्भ नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश में आलू का बीज

*१०७४. **श्री पद्म देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के आलू उत्पादकों का दो लाख मन से अधिक आलू का बीज शिमला और मंडी जिलों में बिना बिका पड़ा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बर्फ गिरने का मौसम बहुत पास आ गया है और आलू बोने का मौसम बहुत जल्दी समाप्त हो जायेगा;

(ग) क्या यह भी सच है कि सर्दी के मौसम में आलू ही कृषकों की आय का एक मात्र साधन है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) (ख) और (ग) के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) से (घ). सभा की टेबिल पर एक विवरण रख दिया गया है ।

विवरण

हिमाचल प्रदेश उत्पादकों ने अपने उत्पादन का अधिकतर हिस्सा बेच दिया है । रिपोर्ट से मालूम हुआ है कि लगभग ८०,००० मन रेलवे मालगोदाम, शिमले या पणन केन्द्र, थिओग में और लगभग २०,००० मन जोगिन्द्र नगर जिला मंडी में पड़ा हुआ है ।

क्योंकि आलू के भंडार का अधिक भाग शिमले के रेलवे माल-गोदाम में पड़ा हुआ है, इसलिए बर्फ के गिरने से इन के परिवहन पर कोई असर न होगा । जैसा कि पिछले साल हुआ था, आशा है कि शिमले से आलुओं को विभिन्न स्थानों को भेजने का काम जनवरी, १९६१ के प्रथम सप्ताह तक चलता रहेगा ।

किसानों के लिये सेव और अदरक को छोड़ कर सर्दी के मौसम में आय के मुख्य साधनों में से एक साधन आलू है ।

आलुओं के क्रय और विक्रय का काम गैर-सरकारी व्यक्तियों के पास है । प्रशासन प्राथम्य आधार पर आलुओं के परिवहन के लिये वैगनों की प्राप्ति में व्यापारियों की तमाम मुमकिन सहायता कर रहा है ।

कृषि आयोग

†*१०७५. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री इन्द्रजीत लाल अरोड़ा :
श्री विद्याधरण शुक्ल :
श्री सरजू पांडे :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री २६ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि के सभी पहलुओं का सर्वेक्षण करने के लिये एक कृषि आयोग नियुक्त करने का प्रश्न किस प्रक्रम पर है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : राज्य सरकारों के परामर्श से यह मामला अभी विचाराधीन है ।

रंगपुर सड़क पुल (आन्ध्र प्रदेश) के लिये इस्पात

†*१०७६. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रंगपुर- आन्ध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर सड़क पुल के निर्माण के लिये अपेक्षित १२०० टन इस्पात में से राज्य सरकार को अक्टूबर, १९६० के अन्त तक कुल कितना इस्पात दिया गया;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इस्पात की सप्लाई कम होने के कारण कार्य की गति धीमी हो गयी है; और

(ग) इस परियोजना पर अब तक कुल कितना व्यय किया जा चुका है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ठेकेदारों को ३-१-१९६० को १२८७ टन के लिये एक उप कोटा सर्टिफिकेट दिया गया था ।

(ख) प्रगति, सामान्यतः मन्द रही है परन्तु यह इस्पात सप्लाई की कमी के कारण नहीं है ।

(ग) नवम्बर, १९६० के अन्त तक ६,८७,६०० रुपये (पुस्त-व्यय) हुआ है; इस के अतिरिक्त ६१,००० रुपये का दात-व्यय है ।

पीपलिया स्टेशन के निकट गाड़ी का पटरी से उतरना

†*१०७७. **श्री मो० ब० ठाकुर :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३ दिसम्बर, १९६० को पश्चिम रेलवे की मोरवी-नवलाखी लाइन पर पीपलिया और दाहीनसरा रेलवे स्टेशनों के बीच ४१२ डाउन सवारी गाड़ी पटरी से उतर गयी; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) और (ख) जी, हां । ३ दिसम्बर, १९६० को लगभग ६.४५ बजे जब ४१२ डाउन पैसेंजर गाड़ी पश्चिम रेलवे के पीपलिया रोड और दाहीनसरा स्टेशनों के बीच जा रही थी, तो गाड़ी के पांच डिब्बे पटरी से उतर गये । किसी को चोट नहीं आयी । दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही है ।

गाड़ी पर गोली चलाया जाना

†*१०७८. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री सरजू पांडे :

क्या रेलवे मंत्री, २६ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २७ दिसम्बर, १९६० को भिवानी खेरा और सात रोड स्टेशनों के बीच १ बी० डी० बी० ट्रेन पर गोली चलाये जाने की घटना के बारे में की जा रही जांच समाप्त हो चुकी है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस के क्या निष्कर्ष हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). जी, हां। इस घटना के में पुलिस की जांच पूरी हो गयी है और मामले का पता नहीं चला।

खोसला समिति की रिपोर्ट

†*१०७९. { श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या रेलवे मंत्री २३ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १२९६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे पुलों के बारे में खोसला समिति की रिपोर्ट पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो कौन सी सिफारिशें स्वीकार की गयी हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) समिति द्वारा अल्प-कालीन योजना के रूप में की गयी पांच सिफारिशों में से तीन मंजूर कर ली गयी हैं, और वे क्रियान्वित भी की जा चुकी हैं। शेष दो सिफारिशें भी मंजूर तो कर ली गयी हैं परन्तु उन की कार्यान्विति वास्तविक क्षेत्र प्रेक्षकों के परिणामों के संकलन और अध्ययन के बाद ही की जा सकती हैं। दीर्घ-कालीन योजना में समिति ने जिन पांच सिफारिशों का सुझाव दिया है, वे मंत्रालयों के अधीन कई विभागों द्वारा भविष्य में समेकित कार्यवाही करने के बारे में हैं और उन पर कार्यवाही की जा रही है '

चिकित्सा कर्मचारी

†२२२५. श्री मुरारका : क्या स्वास्थ्य मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह बताया गया हो कि :

(क) १९५०-५१ में

(१) कितने अस्पताल थे;

(२) उन में कितने पलंग थे।

(३) कितने डाक्टर थे; और

(४) कितनी नर्सें थीं;

(ख) प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के लिये इस सम्बन्ध में क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, उक्त अवधि में इस सम्बन्ध में लक्ष्य कितनी सीमा तक पूरे किये गये थे, इस सम्बन्ध में कितनी कितनी राशियां निर्धारित की गयीं थीं और वास्तव में कितनी राशियां खर्च की गयी हैं ; और

(ग) लक्ष्य पूर्ति में यदि कोई कमी रह गयी है तो उस के क्या कारण हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

मध्य प्रदेश से चावल और गेहूं की खरीद

†२२२६. **श्री पांगरकर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई से सितम्बर, १९६० तक की अवधि में मध्यप्रदेश से चावल और गेहूं की खरीद के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च की गयी थी; और

(ख) उक्त अवधि में उस राज्य से कितना चावल और गेहूं खरीदा गया था ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) और (ख). १ मई से ३० सितम्बर, १९६० तक केन्द्र द्वारा मध्य प्रदेश से चावल की खरीद पर लगभग २.८३ करोड़ रुपये खर्च किये गये थे। इस अवधि में ६६,००० टन चावल वसूल किया गया था।

इस अवधि में केन्द्र द्वारा मध्यप्रदेश से जरा भी गेहूं नहीं खरीदा गया था।

खाने योग्य मूंगफली की खली और आटे का उत्पादन

†२२२७. **श्री पांगरकर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री ५ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ३०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि खाने योग्य मूंगफली की खली और आटे के वाणिज्यिक उत्पादन के लिये अग्रिम परियोजनाओं के रूप में दो कारखाने स्थापित करने की योजना की इस समय क्या स्थिति है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म०थामस) :** बम्बई की एक तेल मिल इस के लिये अस्थाई रूप से चुनी गयी है जो भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र बाल आपात निधि (यूनिसेफ) के सहयोग से परियोजना की कार्यान्विति करेगी। आशा है कि दूसरी मिल के चुनाव को भी शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जायेगा। आशा है कि उत्पादन १९६१ में आरम्भ कर दिया जायेगा।

चलते फिरते अस्पताल

†२२२८. **श्री धर्मलिंगम :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चलते फिरते अस्पतालों की कोई योजना प्रारम्भ करने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में राज्यवार कितने ऐसे अस्पताल प्रारम्भ किये जायेंगे ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) द्वितीय, तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार की कोई योजना सम्मिलित नहीं की गई है। परन्तु कुछ राज्यों ने तृतीय पंचवर्षीय योजना में चलते फिरते अस्पतालों की योजना लागू करने की योजना बनायी है।

(ख) अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है।

अम्बाला में ऊपरी पुल

†२२२९. **श्री दी० च० शर्मा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्बाला में ऊपरी पुल के निर्माण सम्बन्धी योजना के बारे में राज्य सरकार के साथ बातचीत को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) वह पुल कब तक बन कर पूरा हो जायेगा ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). योजना की वास्तविक कार्यान्विति रुक गई है क्योंकि राज्य सरकार ने कई स्मरण-पत्रों के बावजूद भी अभी तक आवश्यक व्ययवर्तन मार्ग (डाइवर्जन रोड) नहीं बनाई है। अतः इस अवस्था में यह बताना सम्भव नहीं है कि कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

दिल्ली में कृषि विकास

†२२३०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०-६१ में कृषि विकास के लिये दिल्ली के लिये कितनी राशि निर्धारित की गयी है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : कृषि विकास के लिये, जिस में पशु पालन, मुर्गी पालन, और मत्स्यपालन भी सम्मिलित है अब तक कुल ३४.१५ लाख रुपये आवंटित किये गये हैं ।

डेरा बाबा नानक और कादियां स्टेशन पर आय

†२२३१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ अप्रैल, १९५९ से ३१ मार्च, १९६० तक उत्तर रेलवे के डेरा बाबा नानक और कादियां के स्टेशनों पर माल परिवहन तथा यात्री परिवहन से कुल कितनी आय हुई थी ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : एक विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९७]

पंजाब में परिवार नियोजन केन्द्र

†२२३२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०–६१ में पंजाब राज्य के गुरदासपुर ज़िले में कितने नये परिवार नियोजन केन्द्र खोले जायेंगे और वे कहां-कहां पर खोले जायेंगे ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : १९६०-६१ में पंजाब सरकार द्वारा गुरदासपुर ज़िले के फतेहगढ़ चूढ़ियां में एक परिवार नियोजन केन्द्र स्थापित किया गया है। १९६०–६१ में उस ज़िले में खोले जाने वाले नये केन्द्रों के सम्बन्ध में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है ।

भारतीय नदियों की सिंचाई तथा विद्युत् क्षमता

†२२३३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री २९ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २८९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि शेष नदी क्षेत्रों और उपक्षेत्रों की सिंचाई तथा विद्युत् सम्बन्धी क्षमता के सम्पूर्ण अध्ययन सम्बन्धी कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : २९ अप्रैल, १९६० को अंतारांकित प्रश्न संख्या २८९७ के उत्तर में दी गयी जानकारी के बाद निम्नलिखित और अधिक प्रगति हुई है :—

सिंचाई क्षमता

अरब सागर में गिरने वाली पश्चिमी नदियां

अरब सागर में नर्मदा से ऊपर और सिन्ध से नीचे गिरने वाली नदियां	सुझावों और टिप्पणों के लिये प्रारूप प्रतिवेदनों की प्रतियां राज्य सरकारों के पास भेज दी गयी हैं ।

बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली पूर्वी नदियां

पन्नार नदी . . .	प्रारूप प्रतिवेदन पूरा कर लिया गया है ।

ब्रह्मपुत्र बेसिन

ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन . .	प्रतिवेदन का संकलन किया जा रहा है ।

विद्युत् क्षमता

सम्पूर्ण देश की विद्युत् क्षमता का अध्ययन पूरा कर लिया गया है ।

जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजपथ

†२२३४. **श्री बहादुर सिंह :**
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजपथ को चौड़ा करने के सम्बन्ध में किसी योजना पर विचार किया जा रहा है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ग) क्या किसी अन्य वैकल्पिक मार्ग के सम्बन्ध में भी विचार किया जा रहा है; और

(घ) इस परियोजना को कब प्रारम्भ किया जायेगा ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) सड़क को सामान्य रूप से चौड़ा करने के सम्बन्ध में कोई योजना नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) और (घ). भारत सरकार का किसी वैकल्पिक मार्ग का विकास करने का कोई इरादा नहीं है । परन्तु जम्मू तथा काश्मीर सरकार तृतीय पंच वर्षीय योजना की अवधि में पीर पंजाल के पार राजौरी और सोफियां के रास्ते जम्मू को श्रीनगर से मिलाने की सम्भावना पर विचार कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दामोदर घाटी निगम का सिंचाई राजस्व

†२२३५. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम के सिंचाई राजस्व की काफी रक़म अभी तक वसूल नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कुल कितनी रक़म है; और

(ग) उनकी शीघ्र वसूली के लिये क्या कार्यवाही की गयी है या करने का विचार है ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). दामोदर घाटी निगम ने यह सूचना दी है कि उसने १९५६ से १९५८ तक के वर्षों में खरीफ़ सिंचाई के लिये संभरित किये गये पानी के सम्बन्ध में पश्चिमी बंगाल सरकार से ५९ लाख रुपयों का दावा किया है। निगम को अभी तक वह राशि प्राप्त नहीं हुई है। निगम बंगाल सरकार से इस बारे में बातचीत कर रहा है।

सोनपुर–गण्डक पुल पर दुर्घटना

†२२३६. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या रेलवे मंत्री ३१ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १७९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच सोनपुर–गण्डक पुल के निर्माण में हुई मजदूरों की मृत्यु के सम्बन्ध में पुनर्विलोकन समिति की रिपोर्ट पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री वें० वें० राजस्वामी) : (क) जी, हां। पुनर्विलोकन समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है।

(ख) जिम्मेवार व्यक्तियों को आरोपपत्र जारी किये जा रहे हैं। कामगार प्रतिकर अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, दुर्घटना में मरे नैमित्तिक श्रमिकों के परिवारों को एक मज़दूर पीछे ३००० रुपये के हिसाब से मुआवज़ा अदा कर दिया गया है। पांच घायल व्यक्तियों को, जब तक वे अस्थायी रूप से असमर्थ रहे, तब तक अर्ध मासिक वेतन अदा किया गया।

टेलीफ़ोन के कनैक्शन

†२०३७. **श्रीमती इला पालचौधरी : क्या** परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ तथा १९६० में (३० नवम्बर तक) सम्पूर्ण देश में 'अपना टेलीफोन' योजना के अन्तर्गत और साधारण प्रकार से टेलीफोन कनेक्शनों के लिये कुल कितने आवेदनपत्र प्राप्त हुए; और

(ख) १९५९ तथा १९६० के उन आवेदनपत्रों में से कितने आवेदनपत्र अस्वीकार कर दिये गये हैं और कितने अभी विचाराधीन हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

	कुल प्राप्त आवेदनपत्र	
	१९५९ में	१९६० में ३०-११-६० तक
(१) 'अपना टेलीफोन' योजना के अन्तर्गत	११,२०८	१०,७१४
(२) साधारण प्रकार से टेलीफोन लगाने के लिये	७०,८३९	५१,६७२
विचाराधीन आवेदनपत्र		
	१९५९ के आवेदन पत्रों में से	१९६० के आवेदन पत्रों में से
(१) 'अपना टेलीफोन' योजना के अन्तर्गत . .	६,४२८	६,७५३
(२) साधारण प्रकार के टेलीफोन लगाने के लिये .	५०,९६३	४५,८४०

किसी भी आवेदनपत्र को अस्वीकार नहीं किया गया।

कोलम्बो के लिये विमान सेवा

†२२३८. { श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री तंगामणि :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन बम्बई-कोचीन विमान सेवा को कोलम्बो तक बढ़ा देने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो उसके ब्योरे क्या हैं और कितना खर्च आयेगा ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

परिवार नियोजन

२२३९. श्री भक्त दर्शन : क्या स्वास्थ्य मंत्री १९ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १०८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि परिवार नियोजन कार्यक्रम में अविवाहित नवयुवतियों को नियुक्त न करने का जो निश्चय किया गया था, उसे कार्यान्वित करने की दिशा में स्वयं केन्द्रीय सरकार और भिन्न-भिन्न राज्यों सरकारों ने अब तक क्या प्रगति की है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : अपेक्षित सूचना का एक नोट संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९८]

†मूल अंग्रेजी में

ऊपर और नीचे के पुल

२२४०. श्री भक्तदर्शन :
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या रेलवे मंत्री १६ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १०६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सड़कों के ऊपर और नीचे के पुलों की योजना तैयार करने के बारे में विभिन्न राज्य सरकारों ने किस प्रकार के प्रस्ताव भेजे हैं और उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : अभी तक बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा और केरल सरकारों से १७२ मौजूदा समपारों की जगह/ऊपर नीचे के पुल बनाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकारों से यह सूचना मिलने पर कि वर्तमान नियमों के अनुसार वे इन योजनाओं पर होने वाले खर्च की अपने हिस्से की रकम अपनी योजना के किस वर्ष में देंगी, इन योजनाओं को कार्यान्वित करने की रूप-रेखा तैयार की जायेगी।

ठंडे गोदाम

†२२४१. श्री रा० च० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, बंगलौर और हैदराबाद में ठंडे गोदामों पर आने वाले खर्च को केवल केन्द्रीय सरकार ही वहन कर रही है; और

(ख) इन गोदामों की स्थापना के कार्य में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) और (ख). केन्द्रीय भांडागार निगम द्वारा उसी के खर्च पर दिल्ली, बंगलौर और हैदराबाद में ठण्डे गोदाम बनाने के सम्बन्ध में जांच की जा रही है। आशा है कि जांच शीघ्र ही पूरी हो जायेगी।

एकीकृत प्रशिक्षण संस्थायें[1]

†२२४२. श्री रा० च० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक जिले में एकीकृत प्रशिक्षण संस्थायें चला के सम्बन्ध में कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** :(क) जी, हां।

(ख) मामला अभी विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

1Cluster Type Training Institutions

विमान सेवाओं में लगे हुए विदेशी

२२४३. **श्री पद्म देव :** क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल भारत में हवाई सर्विसों में कितने विदेशी कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ख) इन कर्मचारियों के क्या पद हैं; और

(ग) उनके पदों पर भारतीय कब तक रखे जायेंगे ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन): (क) से (ग). मांगी गई सूचना इकठ्ठी की जा रही है और कालान्तर में लोकसभा की मेज पर रख दी जायगी ।

हिमाचल प्रदेश में बस-दुर्घटना

२२४४ **श्री पदम देव : क्या परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में होने वाली बस-दुर्घटनाओं की सूचना संचार व्यवस्था न होने के कारण बहुत देर से मिलती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि देर से सूचना मिलने के कारण वे जरूमी व्यक्ति भी मर जाते हैं जिन्हें बचाया जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार मोटर की सड़क के साथ-साथ टेलीफोन या टेलीग्राफ के तार लगाने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रशासन को इस प्रकार की किसी भी घटना की सूचना नहीं मिली है ।

(ग) यहां टेलीफोन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष आवश्यकता के अनुसार और अधिक टेलीफोन व तार की सुविधाएं दी जा रही हैं ।

हिमाचल प्रदेश में ऋण

†२२४५. **श्री शि० न० रामोल :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक द्वारा कितना कृषि-ऋण दिया गया था और कितनी राशि वसूल कर ली गयी है;

(ख) उस पर ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई है ;

(ग) ऋण की राशि की वसूली करने वाले कर्मचारियों पर कितना खर्च हुआ है; और

(घ) हिमाचल प्रदेश प्रशासन को उक्त कृषि-ऋण के सम्बन्ध में तिपवन कर्मचारियों के वेतनों और यात्रा भत्तों पर कितनी राशि खर्च करनी पड़ी है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति):** (क) १९५९–६० में कृषि-ऋण के रूप में दी गई कुल २,३४,६५१ रुपये की रकम में से ३१–१०–१९६० तक २,०२,८४५ रुपयों की वसूली कर ली गयी थी ।

(ख) ३१–१०–६० तक ८,०९२ रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) ३१-१०-६० तक १,०४९ रुपये ।

(घ) प्रशासन ने उन ऋणों की वसूली के लिये कोई विशेष कर्मचारी नियुक्त नहीं किये हैं । सहकार विभाग के कर्मचारी अपने अन्य कार्यों के अतिरिक्त राज्य सहकारी बैंक में ऋणों की वसूली के कार्य में भी सहायता करते हैं । अतः प्रशासन द्वारा उन पर खर्च की गयी राशि को अलग से नहीं बताया जा सकता ।

बिजली से चलने वाले रेल के इंजन

†२२४६. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या रेलवे मन्त्री २ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस बीच कितने बिजली के इंजन आयात किये गये हैं;

(ख) उन पर कितना खर्च आया है ;

(ग) १९६१ के बाद, जबकि चितरंजन से बिजली से चलने वाले इंजन तैयार होकर आने प्रारम्भ हो जायेंगे, इनके आयात में कितनी कमी कर दी जायेगी; और

(घ) उसके बाद प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा की बचत की आशा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) बिजली से चलने वाले इंजनों के आयात के लिये नये कोई आर्डर नहीं भेजे गये हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) और (घ). बिजली से चलने वाले इंजनों को यान्त्रिक पुर्जे तो चितरंजन में तैयार किये जायेंगे, परन्तु जब तक भोपाल के हैवी इलैक्ट्रिक्ल्स में विद्युत् पुर्जे तैयार होने प्रारम्भ नहीं हो जाते तब तक के लिये इन पुर्जों का विदेशों से आयात करना ही पड़ेगा ।

इन स्वदेशी इंजनों के निर्माण के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा में प्रतिवर्ष होने वाली बचत के सम्बन्ध में इस समय बताना कठिन है । परन्तु यह सच है कि ज्यों-ज्यों स्वदेशी उत्पादन बढ़ता जायेगा त्यों-त्यों विदेशी मुद्रा में अधिक बचत होती जायेगी ।

गुजरात में खण्ड विकास समितियां

†२२४७. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात की खण्ड विकास समितियों में जिन व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है या चुना गया है वे सभी केवल एक ही राजनीतिक दल से सम्बन्ध रखते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) क्या सरकार निकट भविष्य में ऐसी खण्ड विकास समितियां स्थापित करने का विचार रखती हैं जिनमें किसी भी राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति नहीं हो ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

साबरमती स्टेशन पर माल का रुकना

†२२४८. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या रेलवे मंत्री २२ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १९५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि साबरमती स्टेशन पर जलमार्ग द्वारा भेजे जाने वाले माल के रोके जाने के बारे में कमी करने के लिये इस बीच क्या सुधार किये गये हैं।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : जल मार्ग द्वारा माल भेजने की अधिक से अधिक सुविधायें देने तथा साबरमती पर अधिक माल न पड़े रहने देने के लिये निम्नलिखित प्रबन्ध किये गये हैं :

(१) छोटी पटरी तथा बड़ी पटरी के यार्डों को फिर से बनाया गया है तथा माल उतारने, भेजने तथा छांटने की अधिक सुविधायें दी गई हैं।

(२) नावान्तरण यार्ड में अतिरिक्त नावान्तरण प्लेटफार्म बनाये गये हैं।

(३) भारी सामान के नावान्तरण के लिये इलेक्ट्रिक जेन्ट्री क्रेन बनाये गये हैं।

(४) अतिरिक्त कर्मचारी लगाये गये हैं।

(५) बड़ी पटरी तथा छोटी पटरी दोनों पर अतिरिक्त शंटिंग इंजनों का प्रबन्ध किया गया है।

(६) छोटी पटरी के माल डिब्बों में अधिक मात्रा में कोयला उठाने की सुविधा देने के लिये अतिरिक्त छोटी पटरी की लाइन दी गई है।

(७) अधिक इंजनों के लिये लोको शेड फिर से बनाया गया है।

(८) आबू रोड की मुख्य लाइन तथा साबरमती वोटाड दोनों सेक्शनों पर जलमार्ग से आने वाले अतिरिक्त माल को भेजने के लिये अधिक इंजनों की व्यवस्था की गई है।

(९) मालगाड़ियों में भारी इंजनों के लगाने की व्यवस्था की गई है ताकि वे अधिक माल डिब्बे ले जा सकें।

(१०) माल जमीन पर न पड़ा रहे इस उद्देश्य से बड़ी पटरी से छोटी पटरी पर तथा छोटी पटरी से बड़ी पटरी पर सीधे माल भेजने की व्यवस्था की गई है।

(११) पशुओं के माल डिब्बों को तेजी से ले जाने के लिये साबरमती से/बम्बई तक एक पूरी पशुओं की गाड़ी चालू की गई है जो साबरमती से १८.२० बजे चल कर अगले १२.३० बजे बम्बई पहुंचती है।

(१२) माल डिब्बों के रोके जाने के बारे में निगरानी रखने तथा उनके जल्दी आने-जाने का प्रबन्ध करने के लिये वैगन अेन्जरों की व्यवस्था की गई है।

पश्चिम रेलवे में रेलवे क्वार्टर

†२२४९. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या रेलवे मंत्री २९ अगस्त, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच में पश्चिम रेलवे में कोई और रेलवे क्वार्टर तैयार किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कितने क्वार्टर तैयार किये गये हैं और उन पर कितना धन खर्च किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) इस बीच ५,२५४ क्वार्टर तैयार किये गय हैं जिन पर २७८.०७ लाख रुपयों का खर्च आया है। उनके ब्योरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९९]

गाड़ियों का देरी से चलना

†२२५०. श्री सुबिमन घोष : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० के वर्ष में १० अक्तूबर, १९६० तक कितने दिन पूर्व रेलवे और दक्षिण-पूर्व रेलवे की सभी अप मेल तथा एक्सप्रैस गाड़ियां हावड़ा स्टेशन से देर से चली थी ;

(ख) वे गाड़ियां अधिक से अधिक और कम से कम कितनी देर से चली थी ; और

(ग) हावड़ा स्टेशन से गाड़ियों के समय पर चलने के सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क)—

पूर्व रेलवे .	.	८४ दिन
दक्षिण-पूर्व रेलवे	.	६१ दिन

(ख) रेलवे	न्यूनतम	अधिकतम
पूर्व रेलवे .	३ मिनट	७५ मिनट
दक्षिण-पूर्व रेलवे . .	१० मिनट	२२० मिनट

(ग) रेलवे प्रशासन द्वारा हावड़ा स्टेशन से यात्री गाड़ियों को समय पर चलाने की दृष्टि से सभी संभव यत्न किये जा रहे हैं। कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में समझाया जा रहा है कि यात्री गाड़ियों को समय पर चलाना कितना आवश्यक है। जिम्मेवार कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है ।

छोटे पत्तन

†२२५१. श्री प्र० के० देव :
श्री कोडियान :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने सब तटवर्ती राज्यों को छोटे पत्तनों को छांटने और उनके विकास के लिये योजना बनाने के लिये लिखा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन राज्यों ने ऐसे पत्तन चुन लिये हैं और यदि हां, तो वे कौन से हैं ; और

(ग) इन सुझाव पर राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (ग). छोटे पत्तनों के विकास का सम्बन्ध मुख्यत: राज्य सरकारों से है । भारत सरकार प्रविधिक सहायता देती है और पंचवर्षीय योजनाओं में सम्मिलित ऐसी योजनाओं की कार्यान्विति के लिये राज्य सरकारों को ऋण के रूप में वित्तीय सहायता देती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

छोटे पत्तनों के विकास के लिये एक अस्थायी तृतीय पंचवर्षीय योजना समुद्रीय राज्य सरकारों और योजना आयोग के परामर्श से तैयार की गयी है और इस पर ११ नवम्बर, १९६० को राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड की विशेष बैठक में विचार किया गया था। बोर्ड ने सामान्यतः रत्नागिरी और पोरबन्दर के मामलों में कुछ परिवर्तन करके तृतीय योजना में छोटे पत्तनों के लिये किये गये अस्थायी उपबन्धों पर स्वीकृति दे दी। पत्तन-वार अस्थायी उपबन्ध और राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड द्वारा सुझाये गये परिवर्तन दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १००]

मदुरै में नीरोगन संयंत्र[1]

†२२५२. श्री बालकृष्णन् : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदुरै में संयुक्त राष्ट्र बाल आपात निधि (यूनिसेफ) की सहायता से एक नीरोगन संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा): (क) और (ख). मदुरै को प्रतिदिन २५,००० लिटर दूध का संभरण करने के लिये एक योजना संयुक्त राष्ट्र बाल आपात निधि (यूनिसेफ़) को प्रविधिक मूल्यांकन के लिये भेजी गयी है जो कि उनके सहायता कार्यक्रम में एक आवश्यक शर्त है। इस योजना की फरवरी/मार्च, १९६१ में खाद्य तथा कृषि संगठन/'यूनिसेफ़' के प्रविधिक विशेषज्ञों के एक दल द्वारा जांच की जायेगी। उसके बाद 'यूनिसेफ़' की सहायता के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

पश्चिम बंगाल में अंडे सेने का केन्द्र[2]

†२२५३. श्री अरविन्द घोशाल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में खोले जाने वाले अंडे सेने के केन्द्र की परियोजना का परित्याग कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जावेगी।

टूंडला स्टेशन के भंगी

२२५४. श्री ब्रजराज सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले १०–११ वर्षों में उत्तर रेलवे के टूंडला स्टेशन के कुछ भंगी इस कारण नौकरी से हटा दिये गये हैं कि उन्हें निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत एक वर्ष तक बन्दी रखा गया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या-क्या हैं और उन्हें नौकरी से कब हटाया गया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Pasteuzation Plant.

[2]Goose Incutation Centre.

(ग) क्या इन भंगियों में से किन्हीं भंगियों ने रेलवे से यह प्रार्थना की थी कि उन्हें उनकी नौकरी पर बहाल कर दिया जाये ;

(घ) यदि हां, तो कब और उसका क्या परिणाम रहा ;

(ङ) क्या किसी भंगी ने आगरा में विधि-न्यायालय में रेलवे पर दावा किया था जिसमें रेलवे पर ३० अप्रैल, १९६० को ७२०० रु० ८ आने की डिग्री हो गई ;

(च) यदि हां, तो क्या उक्त कर्मचारी या कर्मचारियों को उनकी नौकरियों पर बहाल कर दिया गया है ;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उन्हें कब तक बहाल किये जाने की सम्भावना है ; और

(ज) क्या उन्हें बहाल न करने के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है और क्या रेलवे को हुई हानि उनसे वसूल की गई है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : (क) जी, नहीं :

(ख) से (ज). सवाल नहीं उठता ।

रामेश्वरम् के निकट पुल

*२२५५. **श्री सुबिमल घोष** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के पाम्बन और रामेश्वरम् स्टेशन के निकट कोई पुल है ;

(ख) यदि हां, तो पुल की लम्बाई कितनी है और इस पर से गुजरने के लिये रेलगाड़ी को सामान्यतः कितना समय लगता है ;

(ग) यह पुल किस वर्ष में बनाया गया था ; और

(घ) क्या रेलगाड़ियां पुल पर सावधानी के आदेश के साथ चलायी जाती हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : (ज) जी, हां । पम्बन के निकट मन्दापम और पम्बन स्टेशनों के बीच एक रेलवे पुल है ।

(ख) पुल की लम्बाई लगभग १ $^{1}/_{4}$ मील है और सामान्यतः रेलगाड़ियों को इस पर से गुजरने के लिये १० मिनट का समय लगता है ।

(ग) यह पुल वर्ष १९१४ में बनाया गया था ।

(घ) २१४ फुट लम्बे 'शर्जर' लिफ्ट स्पैन होने के कारण इन पुल पर १० मील प्रतिघंटा की स्थायी रफ्तार निर्धारित की गयी है ।

चीनी कारखाने

†२२५६. **श्री कुन्हन** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होने के समय से देश के विभिन्न भागों में चीनी के कारखाने चालू करने के लिये कितने लाइसेंस जारी किये और उनके राज्य-वार पृथक पृथक आंकड़े क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से विभिन्न राज्यों में निम्न ३९ चीनी कारखाने स्थापित करने के लिये लाइसेंस दिये गये हैं अथवा मंजूर किये गये हैं।

राज्य	दिये गये अथवा मंजूर किये गये लाइसेंसों की संख्या
१. आन्ध्र प्रदेश	७
२. बिहार	१
३. गुजरात	२
४. केरल	२
५. महाराष्ट्र	७
६. मद्रास	९
७. मैसूर	३
८. उड़ीसा	१
९. पंजाब	३
१०. पांडिचेरी	१
११. उत्तर प्रदेश	३
कुल	३९

कलकत्ता पत्तन आयोग

†२२५७. श्री सुबिमल घोष : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन आयोग के भण्डार नियंत्रण के अधीन एम० डी० आई० से कुछ इस्पात की प्लेटें चोरी हो गयी हैं.

(ख) यदि हां, तो चोरी का पता कब चला और कितनी प्लेटों चोरी गयीं और उन प्लेटों का साइज़ और मूल्य क्या था ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) इस हानि का २४ अक्तूबर, १९६० को पता लगा। प्लेटों की संख्या, साइज़ और मूल्य निम्न प्रकार है :

संख्या	४२
आकार	१२ फुट × ४ फुट × $^{3}/_{16}$ फुट
मूल्य	पुस्त मूल्य ९,९५४ रुपये

†मूल अंग्रेजी में

(ग) (१) पुलिस को इस मामले में जांच करने के लिये कह दिया गया है। इतने समय में हल्के इस्पात के सामान पर भारी प्लेटें रख दी गयी हैं जो केवल क्रेनों से ही संभाली जा सकती हैं, जिससे सामान का हटाना कठिन हो गया है।

(२) सब से ऊपर रखी प्लेटों पर निशान लगा दिये गये हैं ताकि उन की जांच की जा सके और उन को पहचाना जा सके।

(३) सुरक्षात्मक उपाय और अधिक अपनाये गये हैं और एम० डी० आई० यार्ड के चारों ओर दीवार बनाने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

(४) सुरक्षा पदाधिकारी ने दिन और रात—दोनों में पर्यवेक्षण कार्य दृढ़ करने की व्यवस्था की है।

गुजरात में पानी की उपलब्धता

†२२५८. **श्री आसर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने भूतत्वीय विभाग के अध्यक्ष, प्रोफ़ेसर एम० एस० कृष्णन् ने पिछले महीने अहमदाबाद में बताया है कि कच्छ के रान (गुजरात) में गहराई में अत्यधिक मात्रा में पानी मिलने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस क्षेत्र में पानी निकालने की कोई योजना बनाई है ; और

(ग) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृज्णप्पा) :** (क) समाचार-पत्रों में यह खबर थी कि आन्ध्र विश्वविद्यालय के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष, प्रोफ़ेसर एम० एस० कृष्णन् ने एक वक्तव्य दिया है कि कच्छ के रान (गुजरात में) अत्यधिक मात्रा में पानी मिलने की संभावना है। गुजरात राज्य के झालावाड़ और कच्छ जिलों में समन्वेषी नल-कूप संगठन द्वारा किये गये समन्वेषी छिद्रण से पता चला है कि इस क्षेत्र में नलकूपों से पानी कृषि के अयोग्य होगा।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

दक्षिण-पूर्व रेलवे द्वारा ली गई भूमि के लिये क्षतिपूर्त्ति

†२२५९. **श्री का० च० जेना :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे के बालासोर जिले में बालासोर रेलवे स्टेशन से नीलगिरि तक एक शाखा रेलवे लाइन बिछाने के लिये सरकार ने भूमि अर्जित कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो यह भूमि किस वर्ष अर्जित की गई और क्या उस भूमि के मालिकों को क्षतिपूर्ति दे दी गई है ;

(ग) यदि कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी गई, तो उस के क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार किस तिथि को क्षतिपूर्ति देना चाहती है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी, हां।

(ख) पिछले युद्ध के समय सैनिक अधिकारियों ने बालासोर जिले में पट्टे वाली जमीन पर बालासोर रेलवे स्टेशन से नीलगिरि राज्य में एक स्थान तक एक १० मील लम्बी साइडिंग बनाई।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा सेवाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिये बालासोर के जिला मजिस्ट्रेट ने १०-५-४४ को इस जमीन को लेने का आदेश जारी किया । प्रतिरक्षा विभाग ने मई, १९४७ से इस साइडिंग का इस्तेमाल करना छोड़ दिया और १-१-४८ से यह रेलवे ने ले लिया । पट्टे का मूल्य प्रतिवर्ष दिया जाता रहा । दिसम्बर, १९५९ में असैनिक अधिकारियों को भूमि के विक्रय मूल्य के लिये अन्तिम रूप से भुगतान की अदायगी का अधिकार दिया गया । इस कार्य के लिये बालासोर जिले के कलेक्टर को ६६,२०२.०४ रुपये की रकम दी गयी ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे पर यात्रियों का रेलगाड़ी से बाहर फेंका जाना

†२२६०. **श्री का० च० जेना** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे पर खडगपुर और खुर्दा रोड के बीच जून से नवम्बर, १९६० तक की अवधि में कितने यात्रियों को रेलगाड़ी से बाहर फेंका गया ; और

(ख) इन घटनाओं का क्या ब्यौरा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, कोई नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

वेस्पा स्कूटरों पर सड़क-कर

२२६१. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कुछ वेस्पा स्कूटरों पर ३० रु० वार्षिक सड़क-कर लगाने के क्या कारण हैं जबकि अन्य वेस्पा स्कूटरों पर वार्षिक सड़क-कर १५ रु० ही लिया जाता है हालांकि दोनों का भार समान है ;

(ख) क्या यह भूल सुधारी जा सकती है ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक सुधारी जायेगी ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) दिल्ली में वेस्पा स्कूटरों पर टैक्स मोटर गाड़ी अधिनियम में दी गई दर के अनुसार लिया जाता है जो इस प्रकार है :—

(१) अगर खाली गाड़ी का वज़न २०० पौंड से ज्यादा नहीं है तो १५ रुपया प्रति वर्ष,

(२) अगर खाली गाड़ी का वज़न २०० पौंड से ज्यादा है तो ३० रुपया प्रति वर्ष ।

यह कर कानून के अनुसार गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के समय उन के मालिकों से वज़न की रसीद मिलने पर निश्चित किया जाता है । यह वज़न अनुमोदित मशीनों से लिया जाता है । वेस्पा स्कूटरों का वज़न एक्ससरीज़ के बिना १९६ से १९८ पौंड तक पाया जाता है । जब इन स्कूटरों में एक्ससरीज़ लगा दी जाती हैं तो सहज ही इन का वज़न २०० पौंड से बढ़ जाता है और इस से गाड़ी पर अधिकतम कर ३० रुपया प्रति वर्ष लगाना उचित हो जाता है । इसलिये वेस्पा स्कूटरों पर कर लगाने में कोई भूल नहीं की गयी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डाक तथा तार कर्मचारी

†२२६२. **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग ने कर्मचारियों के विरुद्ध वर्ष १९६० के अध्यादेश १ की धारा ४ के अधीन आरोपों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की है जबकि उन्हें अध्यादेश की धारा ४ के अधीन उसी प्रकार के आरोपों के लिये विधि न्यायालय ने मुक्त कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो मद्रास सर्किल में ऐसे कितने मामले हैं ; और

(ग) ऐसे आरोपों पर कर्मचारियों के मुक्त किये जाने के बाद विभाग ने उन्हीं आरोपों पर कार्यवाही क्यों की है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी, नहीं। विभागीय कार्यवाही में कर्मचारी के आचार पर विचार किया जाता है। ये कार्यवाही किसी 'विधि' के अधीन अपराध से सम्बन्धित नहीं है ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

ट्रेन एग्ज़ामिनर

†२२६३. { **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री याज्ञिक :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १ जुलाई, १९६० से १४ जुलाई, १९६० तक की अवधि में सरकारी प्रेस विज्ञप्ति और आकाशवाणी की घोषणाओं में यह कहा गया कि ट्रेन एग्ज़ामिनरों का वर्तमान वेतन-स्तर १००–१८५ रुपये से बढ़ा कर १८०–२४० रुपये कर दिया गया है और इस क्रमोन्नति से तीन हजार ट्रेन एग्ज़ामिनरों को लाभ हुआ ; और

(ख) यदि हां, तो कितने ट्रेन एग्ज़ामिनरों के लिये क्रमोन्नत वेतन-स्तर लागू किया जा चुका है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) सरकार द्वारा कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की गई। तथापि, सरकार को यह पता चला है कि आकाशवाणी ने वेतन आयोग की सिफारिशों के बारे में अन्य श्रेणियों के साथ साथ ट्रेन एग्ज़ामिनरों का भी जिक्र किया था ।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

ट्रेन एग्ज़ामिनर

†२२६४. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड के निर्देश के बावजूद भी पूर्व रेलवे के सियालदह डिविज़न, पश्चिम रेलवे, और पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के अधिकारी अधिवार्षिक ट्रेन एग्ज़ामिनरों की पुनर्नियुक्ति कर रहे हैं जबकि इस पदाली में पदोन्नति के लिये उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो जब ऐसी पुर्नियुक्ति से काम कर रहे व्यक्तियों की पदोन्नति का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, तो अधिवार्षिक ट्रेन एग्जामिनरों की पुर्नियुक्ति करने को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) केवल उपयुक्त व्यक्ति न मिलने पर ही पुर्नियुक्ति की गई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में रेलवे श्रमिकों का दम घुट जाना

†२२६५. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में एक सिलन्डर में लीकेज हो जाने के फलस्वरूप आठ श्रमिकों का दम घुट गया ; और

(ख) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) गैस के एक खाली सिलन्डर से, जो उस रोज उतारा गया था, अवशिष्ट क्लोरिन गैस के लीक होने के फलस्वरूप दिल्ली के एक माल गोदाम में २०–११–६० को एक रेलवे सुरक्षा बल के सैनिक और ११ आग बुझाने वाले व्यक्तियों पर इस का असर हुआ और किसी श्रमिक का दम नहीं घुटा ।

(ख) जी, हां और प्राथमिक जांच से पता चला है कि एक खाली सिलन्डर की टोपी ढीली हो गई थी जिस से अवशिष्ट गैस लीक कर गयी ।

रेलवे पर सामान की चोरी

†२२६६. **श्री आचार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में दक्षिण रेलवे के विरुद्ध मार्ग में माल की चोरी और शिकायतों पर ध्यान देने में विलम्ब के एक हाल के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री एम अनन्तनरोगनन् के कथन की ओर ध्यान दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां ।

(ख) इस मामले में यह क्षति उचित सावधानी बरते जाने के बावजूद भी चलती गाड़ी में संगठित चोरी के कारण हुई और दावे को वर्तमान नियमों के अनुसार माना नहीं गया और माननीय न्यायाधीश ने भी रेलवे के निर्णय को बहाल रखा । दावेदारों के साथ हानि के लिये सहानुभूति रखते हुए, रेलवे द्वारा किये गये फैसले को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

दावेदारों को उत्तर देने में विलम्ब के बारे में, दक्षिण रेलवे तब तक उनको अन्तिम रूप से उत्तर नहीं दे सकती थी जब तक कि पुलिस जांच से यह बात प्रमाणित न हो जाती कि यह क्षति चलती गाड़ी में चोरी के कारण हुई । तथापि, रेलवे ने यह सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाही की है कि ऐसे विलम्ब फिर न हों ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे क्वार्टरों का आवंटन

†२२६७. **श्री तंगामणि :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य में रेलवे कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा आवंटित क्वार्टर नहीं मिलते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या किराये की वसूली के लिये मजूरी भुगतान अधिनियम में उचित संशोधन कर दिये गये हैं ; और

(घ) क्या रेलवे बोर्ड यह फैसला मद्रास की राज्य सरकार और अन्य सम्बन्धित सरकारों को बतायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष १९५७ में मद्रास की राज्य सरकार ने मजूरी भुगतान अधिनियम से प्रशासित रेलवे कर्मचारियों को इमारतों का आवंटन करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया था क्योंकि इस अधिनियम के अधीन ऐसे कर्मचारियों के वेतन से किराये की बकाया रकम वसूल नहीं की जा सकती ।

(ग) जी, हां ।

(घ) मद्रास की राज्य सरकार प्रतिबन्ध हटाने को राजी नहीं हुई है यद्यपि उन्हें कहा गया है कि मजूरी भुगतान अधिनियम में उचित संशोधन कर दिया गया है और अब रेलवे कर्मचारियों के वेतन से बकाया रकम वसूल की जा सकती है । इस मामले पर राज्य सरकार पर जोर डाला जा रहा है ।

मद्रास म सर्कुलर रेलवे

†२२६८. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास शहर में सर्कुलर रेलवे बनाने के लिये संघ सरकार को मद्रास सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

वेल्लोर–कांजीवरम् लाइन

†२२६९. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वेल्लोर और कांजीवरम् को एक मीटर गेज रेलवे लाइन से मिलाने का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). इस प्रस्ताव पर विचार इसलिये छोड़ दिया गया था क्योंकि इस लाइन को रेलवे की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थान नहीं मिल सका ।

---

†मूल अंग्रेजी में

यौन परिवर्तन

†२२७०. **श्री ना० रा० मुनिस्वामी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० में अब तक सब राज्यों से यौन परिवर्तन के कितने मामलों का पता लगा ;

(ख) उनमें से कितनों में पुरुष के लक्षण नजर आये ;

(ग) क्या उन व्यक्तियों ने आपरेशन कराने से इन्कार कर दिया ;

(घ) यदि हां, तो परिवर्तन को रोकने में कितने मामले अब तक सफल हुए हैं ; और

(ङ) क्या भारत में हाल ही में सर्जिकल आपरेशन का कोई मामला असफल रहा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (ङ). दिल्ली में एक केस का पता चला है और रोगी की जांच और उपचार किया जा रहा है ।

अन्य क्षेत्रों के बारे में अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

टेलीफोन आपरेटरों की क्रमोन्नति[२]

†२२७१. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **रेलवे** मंत्री १० फरवरी, १९५७ को घोषित रेलवे कर्मचारियों के लिये क्रमोन्नति योजना के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में कुल कितने टेलीफोन आपरेटर हैं ;

(ख) ऐसे कितने टेलीफोन आपरेटर हैं जिनका धरणाधिकार लिपिक (क्लेरिकल) पदावली में निर्धारित किया गया है ;

(ग) ऐसे कितने टेलीफोन आपरेटर हैं जिन्हें लिपिक (क्लेरिकल) पदों पर स्थानान्तरित कर दिया गया है ;

(घ) करीब साढ़े तीन वर्ष पहले घोषित योजना की क्रियान्विति में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ङ) योजना की क्रियान्विति में कितना समय लगेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) ३७

(ख) ३९

(ग) ५

(घ) यह विलम्ब वर्तमान टेलीफोन आपरेटरों के स्थान पर उचित रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों के मिलने में कठिनाई के कारण हुआ ।

(ङ) लगभग छः महीने ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[१]Change of Sex.

[२]Upgrading.

कुन्दा परियोजना

†२२७२. **श्री नंजप्प** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुन्दा जलविद्युत परियोजना की तृतीय प्रावस्था की कार्यान्विति के सम्बन्ध में नवम्बर, १९६० के उत्तरार्ध में कनाडा सरकार के प्रतिनिधियों की मद्रास सरकार के प्रतिनिधियों से जो बातचीत हुई थी उसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ख) क्या कार्यान्विति के लिये अभी भी विदेशी सहयोग की कोई आवश्यकता है ; और

(ग) योजना की तृतीय प्रावस्था की कार्यान्विति के लिये स्वदेशी मशीनरी को कहां तक इस्तेमाल किया जा सकेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) कोलम्बो योजना के अधीन इस योजना की सहायता के सम्बन्ध में एक अस्थायी करार कर लिया गया है । कनाडा सरकार की मंजूरी की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) विदेशी मुद्रा की स्थिति अच्छी न होने के कारण विदेशी सहयोग लाभकारी सिद्ध होगा ।

(ग) तृतीय प्रावस्था के आवश्यक लगभग सम्पूर्ण मशीनरी और उपकरणों का आयात करना पड़ेगा ।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर घड़ी

†२२७३. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की मुख्य घड़ी के डायल के अंक अन्तर्राष्ट्रीय अंकों के स्थान पर देवनागरी में परिवर्तन कर दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या लोगों से इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें आयी हैं कि इन अंकों से भ्रम हो जाता है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). यह घड़ी १९५५ में लगायी गई थी और उसी समय से इसके अंक देवनागरी में हैं ।

(ग) इस सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं आयी है ।

वाल्टेयर और खड़गपुर के प्रादेशिक दफ्तर

†२२७४. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाल्टेयर और खड़गपुर में शीघ्र ही दो प्रादेशिक दफ्तर खोलने के सम्बन्ध में योजनायें तैयार कर ली गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो खुरदा रोड में एक डिवीजनल हेडक्वार्टर खोलने की आवश्यकता के बारे में क्या किया गया है ; और

(ग) क्या रेलवे मंत्रालय द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सरकार ने यह निर्णय किया है कि फिलहाल दक्षिण पूर्व रेलवे के लिये डिवीजन बनाने की आवश्यकता नहीं है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे की जमीन

२२७६. **श्री सरजू पांडेय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बलिया म्युनिसिपल बोर्ड ने बनारस-बलिया लाइन पर अवस्थित कटहर नाले के पास लगभग २ एकड़ रेलवे की जमीन मंगल पाण्डेय स्मारक के लिये मांगी थी ;

(ख) यदि हां , तो उस सम्बन्ध में विभाग ने क्या कार्यवाही की ; और

(ग) क्या विभाग ने उक्त जमीन को म्युनिसिपल बोर्ड को देने का फैसला कर लिया है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) मगल पाण्डेय स्मारक के लिये रेलवे की इस जमीन को देने के बारे में पूर्वोत्तर रेल-प्रशासन को बलिया नगरपालिका से कोई प्रार्थना-पत्र नहीं मिला है ।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता ।

भानुपली और नंगल बांध के बीच नया स्टेशन

†२२७७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे में भानुपली और नंगल बांध के बीच एक नया रेलवे स्टेशन खोलने सम्बन्धी योजना की इस समय क्या स्थिति है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : भानुपली और नंगल बांध के बीच एक संविदा-संचालित हाल्ट स्टेशन खोलने का विचार किया गया है । इस बारे में जाब सरकार की मंजूरी की इन्तजार की जा रही है क्योंकि पंजाब सरकार इसका खर्च वहन करेगी ।

अन्तर्राष्ट्रीय तार घर

†२२७८. **श्री मान** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय तार घर, नई दिल्ली में आवश्यकता से कम कर्मचारी काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उस तार घर के कर्मचारियों को अतिरिक्त काम करना पड़ता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उस तार घर के अधिकांश कर्मचारी ऐसे हैं जिन की सेवा अभी दस वर्ष की भी पूरी नहीं हुई है और वे इतने प्रशिक्षित नहीं हैं कि इतनी उच्च श्रेणी के कार्य को अच्छी प्रकार से निभा सके ; और

(घ) यदि प्रश्न भाग (क), (ख) और (ग) के उत्तर हां में हैं, तो उच्च स्तर की कार्यकुशलता लाने के लिये उस दफ्तर की स्थिति सुधारने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) वह दफ्तर १-८-१९६० में खोला गया ह और दफ्तर के काम की वृद्धि के साथ साथ कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जब भी संचार का कार्य बढ़ता है, उस समय सभी तार कर्मचारियों को ओवरटाइम ड्यूटी (अधिसमय कार्य) करनी पड़ती है। इस अतिरिक्त कार्य के लिये उन्हें अतिरिक्त भत्ते दिये जाते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) दफ्तर के कार्य में सुधार करने के बारे में विचार किया जा रहा है। प्रश्न के भाग (ख) को दृष्टि में रखते हुए विभाग की नीति यह है कि काम बढ़ जाने पर या कर्मचारियों की अनुपस्थिति में उपस्थित कर्मचारियों को ओवरटाइम (अधिसमय) के आधार पर काम में लगा लिया जाता है। यह प्रबन्ध मितव्ययी भी है और सुविधाजनक भी।

कवाली नहर योजना

†२२७९. **श्री उस्मान अली खां**: क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश की कवाली नहर योजना के लिये मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

परिवार नियोजन के विरुद्ध प्रचार

†२२८०. **श्री बाल कृष्णन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि कुछएक समाचारपत्र परिवार नियोजन योजना के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं;

(ख) उस प्रचार से योजना की प्रगति में कितनी बाधा पड़ी है; और

(ग) इस प्रचार की रोकथाम के लिये क्या क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां। कुछएक पत्रों ने ऐसी रिपोर्टें प्रकाशित की हैं जो कि योजना के पक्ष में नहीं हैं।

(ख) इस प्रचार का परिवार नियोजन की योजना पर कुछ भी असर नहीं पड़ा है, क्योंकि इस योजना को जनता से समर्थन प्राप्त हो रहा है।

(ग) योजना के विरुद्ध होने वाले प्रचार को रोकने के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है। परिवार नियोजन प्रत्येक परिवार के स्वास्थ्य, सामञ्जस्य और प्रसन्नता के लिये आवश्यक योजना समझी गई है। यह परिवार कल्याण सम्बन्धी एक सामाजिक नीति है जिस में प्रत्येक परिवार को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपनी मरजी के अनुसार अपने बच्चों के सम्बन्ध में व्यवस्था कर सकते हैं। आबादी में प्रतिवर्ष २ प्रतिशत की वृद्धि हो जाना चिन्ताजनक है। आबादी को देश के संसाधनों के अनुसार स्थिर रखने की आवश्यकता है। इसलिये देश के विकास को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या की स्थिरता को अत्यन्त आवश्यक तत्व समझा जाता है। परिवार नियोजन सेवाऐं स्वयंसेवी आधार पर प्रस्तुत की जा रही हैं। यह एक ऐसा जन कार्यक्रम है जिस में सरकार भी सहायता दे रही है और इस में शुद्ध आपत्ति करने वालों के दृष्टिकोणों का भी आदर किया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

बीकानेर डिवीजन में रेल के फाटक

२२८१. { **श्री प० ला० बारूपाल :**
श्री लच्छी राम :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीकानेर डिवीजन में जो ग्राम रास्तों पर रेलवे क्रासिंग हैं वे देहाती क्षेत्रों में स्लीपर लगा कर बिल्कुल बन्द कर दिये गये हैं जिस से ग्रामीणों को लाइन पार करने में बड़ी कठिनाई और खतरे का सामना करना पड़ता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जो रास्ते पक्के थे और जिन पर बसें चलती थीं वे रास्ते भी बन्द कर दिये गये हैं, परन्तु फिर भी बस के ड्राइवरों और अन्य गाड़ी वानों ने उन सड़कों के आस पास से रास्ते निकाल लिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). बीकानेर डिवीजन में जानवरों के लिये कुछ 'डी' दर्जे के समपार हैं जिन से हो कर गुजरने वाली सड़कों में राजस्थान सरकार ने हाल ही में रेल प्रशासन को सूचना दिये बिना और वाहन-यातायात के लिये उन समपारों का दर्जा ऊंचा करने की जिम्मेवारी लिये बिना, सुधार कर दिया ह । यह उल्लेखनीय है कि 'डी' दर्जे के ऐसे समपार न तो वाहन-यातायात के लिये बनाये गये हैं और न उस के योग्य हैं; इसलिये सुरक्षा के लिये रेलवे को मजबूर हो कर ऐसे समपारों पर बाढ़ लगानी पड़ी । ऐसे समपारों की बगल से बसों द्वारा रेलवे लाइन पार किये जाने के कुछ मामले रेलवें के नोटिस में आये और रेलवे द्वारा राजस्थान सरकार को तुरन्त बता दिया गया कि सुरक्षा की दृष्टि से इस तरह आना जाना खतरनाक है । राज्य सरकार से यह बताने के लिये भी कहा गया है कि वाहन-यातायात के लिये वह किस किस समपार का दर्जा बढ़ाना चाहती है । वर्तमान नियमों के अनुसार इस प्रकार दर्जा बढाने का खर्च सड़क अधिकारियों को देना पड़ेगा । राजस्थान सरकार से निश्चित प्रस्ताव और समपारों का दर्जा बढ़ाने का खर्च देने की मंजूरी मिलने पर आगे कार्यवाही की जायेगी ।

सेंट्रल स्टोरेज डिपो, कानपुर

†२२८२. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछएक ठेकेदारों ने सेंट्रल स्टोरेज डिपो, कानपुर में, १८ जून, १९६० के टेन्डर के अनुसार खाद्यान्नों को उतारने, भरने और उस के परिवहन के ठेके के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये हैं;

(ख) यदि हां, तो उस ठेके का ब्यौरा क्या है;

(ग) किस प्रकार के आरोप लगाये गये हैं; और

(घ) क्या सरकार ने उन आरोपों के बारे में जांच की है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) से (घ). मई, १९६० में खुला टेण्डर नोटिस जारी किया गया था जिस में सितम्बर, १९६० से जब कि पूर्ववर्ती ठेका समाप्त होता था, कानपुर के सेन्ट्रल स्टोरेज स्टोर में खाद्यान उतारने, चढ़ाने तथा परिवहन के लिये एक ठेकेदार की नियुक्ति के लिये टेण्डर मांगे गये थे। ये टेण्डर जून, १९६० में प्राप्त हुए थे और वे खुले टेण्डर भरने वाले

---

†मूल अंग्रेजी में

११ व्यक्तियों की उपस्थिति में खोले गये थे। उस में प्रक्रिया सम्बन्धी कोई भी अनियमितता नहीं दिखायी दी और सभी के समान यहां भी पहले वर्ष की गई सेवा के स्वरूप के आधार पर ही आवश्यक गणना की गयी थी। यह ज्ञात हुआ कि पहले ठेकेदारों ने टेण्डर में सब दर नहीं भरे थे। जुलाई, १९६० में जब सब से कम दर वाला टेण्डर देने वाले व्यक्ति को नियुक्त करने का निर्णय किया गया, तो उस समय पहले ठेकेदार और नियंत्रक के अधीन दो अन्य मुद्रक फर्मों ने अपने अभ्यावेदन सरकार के पास भेज दिये जिन में यह कहा गया था कि बोरियों पर स्टेसल से निशान लगाने और उन के प्रभावीकरण की सेवाओं की व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं और इसलिये लागत के सम्बन्ध में विचार करते समय इन सेवाओं को छोड़ दिया जाये। आरोप के बारे में शिकायत प्राप्त होने पर सारे मामले की जांच की गई थी और यह ज्ञात हुआ है कि पहले ठेकेदार ने वस्तव में बोरियों पर निशान लगाने के लिये नये टेण्डर में आने वाली दर से अधिक उच्च दर पर राशि वसूल की थी। प्रभावीकरण की सेवा भी पहले ठेके में सम्मिलित थी। इन कारणों को ध्यान में रखते हुए सब से कम दर का टेण्डर देने वाले को ठेका देन के लिये पहले किये गये निर्णय का पुनरीक्षण करना आवश्यक नहीं समझा गया।

लाहोरी गेट स्टेशन का ठेकेदार

†२२८३. **श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने लाहोरी गेट रेलवे स्टेशन पर माल उतारने और लादने का काम करने वाले ठेकेदार को हटा दिया है और अब वह कार्य विभाग की ओर से प्रारम्भ कर दिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि मजदूरों के गैंग के मजदूर जमादारों को हटा दिया गया है क्योंकि वे मजदूरों से पैसे मांगते थे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि मजदूरों को ठेकेदार से मजूरी के पैसे प्राप्त नहीं हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) जी हां।

(ख) जी नहीं ।

(ग) ज्ञात हुआ है कि १-४-६० से ३१-५-६० तक के सम्बन्ध में कुछ मजूरी की आदायगी रह गई थी ।

(घ) वैसे तो सामान्यतया ठेकेदारों और मजदूरों के मजूरी की अदायगी के सम्बन्ध में झगड़े स्वयं मजदूरों और ठेकेदारों द्वारा ही सुलझा लिये जाते हैं, परन्तु फिर भी रेलवे प्रशासन को यह हिदायत दी गयी है कि वह विचार करे कि क्या ठेकेदारों को माल उतारने या लादने के सम्बन्ध में राशि अदा करने से पहले उन से यह नहीं कहा जा सकता कि पहले वे मजदूरों का हिसाब चुका दें।

मदुरै डिवीजन का इंजीनियरिंग विभाग

†२२८४. **श्री तंगामणि** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे के मदुरै डिवीजन के इंजीनियरिंग विभाग की स्वीकृत सूची के लगभग १०० अभ्यर्थियों को जो कि १९५४ से काम कर रहे हैं, केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा निर्धारित वेतनक्रम नहीं दिये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या सरकार उन के स्थायी हो जाने तक पुराने वेतनक्रमों के अनुसार उन्हें वेतन देती रहेगी; और

(घ) उन्हें स्थायी बनाने और नियमित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या ७

†२२८५. **श्री तंगामणि** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजपथ संख्या ७ को मदुरै नगर के बाहिर से ले जाने का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) जी, नहीं । लगभग ५० प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है ।

(ख) भूमि के अधिग्रहण में कुछ विलम्ब हो गया है ।

(ग) भूमि के अधिग्रहण के बाद लगभग एक वर्ष की अवधि में ।

अवकाश प्राप्त रेलवे कर्मचारियों के पेंशन सम्बन्धी सुविधायें

†२२८६. **श्री तंगामणि** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अवकाश प्राप्त रेलवे कर्मचारियों के संगठन की ओर से पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या पेंशन सम्बन्धी सुविधायें उन कर्मचारियों को भी दी जायेंगी जो १ अप्रैल, १९४७ से १ अप्रैल, १९५७ तक की अवधि में रिटायर हुए;

(घ) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि अवकाश प्राप्त कर्मचारी बकाया रकम के सम्बन्ध में अपना दावा छोड़ देने के लिये तैयार हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) जी, हां, तथाकथित अखिल भारतीय अवकाशप्राप्त रेलवे कर्मचारी फैडरेशन की ओर से ।

(ख) इस प्रश्न पर कई अवसरों पर विचार किया जा चुका है और यह निर्णय किया गया है कि १६ ११-५७ की अपनाई गई पेंशन सम्बन्धी योजना १-४-५७ से पहले अवकाश प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर लागू न की जाये । इस फैडरेशन को इस बारे में सूचित कर दिया गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) जब सरकार अपने कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन मंजूर करती है तो नियम के अनुसार वे दीर्घकालीन भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किये जाते हैं क्योंकि भूतकाल के सम्बन्ध में हिसाब लगाने में आने वाली कठिनाइयों के अतिरिक्त ऐसा करना सिद्धान्ततः गलत है ।

(ङ) जी हां । फैडरेशन ने ऐसा ही कहा था । फैडरेशन यह चाहता था कि भविष्य निधि सम्बन्धी जो सुविधायें उन्हें पहले ही दी जा चुकी हैं उन के अतिरिक्त उन्हें पेंशन सम्बन्धी लाभ भी १-१-१९६० से दिये जायें ।

कृषि उत्पादन

†२२८७. **श्री तंगामणि** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री २३ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २२९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादन के लिये १९६०-६१ के लिये राज्य सरकारों के लिये आवंटित की गयी केन्द्रीय राशि उन सरकारों को पूरी पूरी अदा कर दी गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो विभिन्न राज्य सरकारों को अभी तक कितनी राशि अदा की गयी है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). जी, नहीं। राज्य सरकारों को विभिन्न योजनाओं के लिये (जिन में कृषि उत्पादन भी सम्मिलित है) केन्द्रीय सहायता देने की नयी प्रक्रिया के अनुसरण में १९६०-६१ के लिये राज्य सरकारों के लिये निर्धारित राशियों में से तीन चौथाई राशियां स्वयमेव अर्थोपाय पेशगी राशियों के रूप में नौ बराबर मासिक किश्तों में अदा कर दी गई हैं। १९६०-६१ की तीसरी तिमाही के सम्बन्ध में खर्च का विवरण प्राप्त हो जाने पर, जो कि जनवरी, १९६१ में प्राप्त होगा, फरवरी/मार्च, १९६१ में अर्थोपाय में से बकाया राशियां तथा कुल में से बकाया राशियां उन राज्य सरकारों को विभिन्न विकास शीर्षों के अधीन अदा कर दी जायेंगी ।

मदुरै में कृषि कालेज

†२२८८. **श्री तंगामणि** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदुरै में एक कृषि कालिज स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई योजना है;

(ख) क्या मदुरै के रामनाड वाणिज्य मण्डल की ओर से इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) मदुरै में वह कालिज कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) और (ख). मदुरै में एक कृषि कालिज प्रारम्भ करने के लिये वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में त्यागराजन शिक्षा न्यास, मदुरै की ओर से मद्रास सरकार के द्वारा एक अभ्यावेदन पत्र १९५९ के प्रारम्भ में प्राप्त हुआ था । परन्तु वह प्रार्थना स्वीकार न की जा सकी ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में डाक्टर

†२२८९. { श्री बांगशी ठाकुर :
श्री दशरथ देव :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में डाक्टरों के वेतनक्रम कम होने के कारण वहां डाक्टरों की बड़ी कमी है और जो डाक्टर वहां इस समय काम कर भी रहे हैं वे भी वहां से नौकरी छोड़ कर अन्य राज्यों जैसे पश्चिमी बंगाल आदि में जाने का विचार कर रहे हैं क्योंकि वहां वेतनक्रम बेहतर हैं;

(ख) त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद् द्वारा चलाये जा रहे ऐसे कितने चिकित्सालय हैं, जहां डाक्टर ही नहीं हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी, हां ।

(ख) १७ ।

(ग) त्रिपुरा प्रशासन के अधीन ग्रेड १ के सिविल असिस्टेंट सर्जन का वेतनक्रम जो पहले २००-१०-४५० रुपये था, अब बढ़ा कर २५०-२०-६५० रुपये कर दिया गया है। पश्चिमी बंगाल सरकार का मंजूर वेतनक्रम भी यही है। आशा है कि अब स्थिति में सुधार हो जायेगा।

त्रिपुरा के झूमिया

†२२९०. श्री बांगशी ठाकुर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पेराटिया फारेस्ट आफिस के वन कर्मचारियों द्वारा त्रिपुरा के बेलोनिया के मोथ पुष्करिनी मौजा के झूमिया के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) त्रिपुरा प्रशासन से इस प्रकार की काई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

केन्द्रीय उर्वरक पूल

†२२९१. श्री मणियंगाडन : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५-५६ से आज तक प्रति वर्ष केन्द्रीय उर्वरक पूल द्वारा कितनी मात्रा में और कितनी कीमत के उर्वरकों का लेन देन किया गया था ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : एक विवरण निम्नलिखित है :—

वर्ष	मात्रा	कीमत
१९५५–५६ . .	६,१७,७४७ टन	१८,२९,४३,३८२ रुपये
१९५६–५७ ,	६,६३,५८३ टन	१९,९६,४९,४६१ रुपये
१९५७–५८ .	८,२७,४५९ टन	२६,०४,६७,२५३ रुपये
१९५८–५९	६,९७,३८१ टन	२२,०३,०२,०८२ रुपये
१९५९–६०	९,८६,८०६ टन	२८,५३,८२,९४६ रुपये
१९६०–६१ . .	५,१६,८६७ टन	१३,०५,३१,५८० रुपये
(३०-११-६० तक)		

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर रेलवे का विद्युत् विभाग

†२२९२. **श्री रामजी वर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १९६० को उत्तर रेलवे के विद्युत् विभाग में ऐसे कितने प्रवीण और अप्रवीण कर्मचारी थे जिनका सेवाकाल पांच वर्ष से अधिक हो गया था; और

(ख) उत्तर रेलवे में उन्हें अन्तिम रूप से जज़ब कर लेने के लिये क्या क्या शर्तें निर्धारित की गयी हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पश्चिमी बंगाल में रेलवे के लिये भूमि का अधिग्रहण

†२२९३. **श्री हो० ना० मुकर्जी :**
श्री तंगामणि :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के उन शरणार्थियों को निष्कासन के नोटिस जारी कर दिये हैं, जिन्होंने आत्म प्रेरणा से ही पश्चिमी बंगाल के २४ परगना ज़िले के अगरपारा में दस वर्ष पूर्व उसुमपुर नामक एक बस्ती बसा ली थी;

(ख) क्या रेलवे द्वारा अपने आवश्यक प्रयोजनों के लिये उस भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो किस प्रयोजन के लिये; और

(घ) क्या सम्पूर्ण मामले पर पुनः विचार करने का कोई ख्याल है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) जी, हां । रेलवे भूमि पर अनाधिकृत कब्जा जमा लेने वाले ७० व्यक्तियों को निष्कासन नोटिस जारी कर दिये गये हैं ।

(ख) भूमि के अधिग्रहण का कोई प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता क्योंकि वह भूमि पहले से ही रेलवे की भूमि है । वह भूमि आवश्यक रेलवे कार्यों जैसे कि स्थायी मार्ग डिपो, तथा रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों के लिये जरूरी है, क्योंकि कलकत्ता नगर में जमीन की कमी है ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारत की आहार-सम्बन्धी एटलस

†२२९४. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार भारत का एक आहार-सम्बन्धी एटलस तैयार करने की प्रस्थापना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां।

(ख) भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न समुदायों के लोगों की खुराक सम्बन्धी आदतों, आहार तथा खाने पकाने के तरीकों और आहार मात्रा के बारे में जानकारी इकट्ठी करने का तथा इस बात का विवरण प्राप्त करने का विचार है कि इसके लिए किन किन चीज़ों का उपभोग किया जाता है।

(ग) भारतीय मैडिकल अनुसन्धान परिषद् ने राज्यों के पोषाहार अधिकारियों से अनुरोध किया है कि इस सम्बन्ध में उनके पास जो जानकारी है, वह परिषद् को प्रदान करें तथा प्रत्येक राज्य के कुछ प्रतिनिधि क्षेत्रों में और जानकारी प्राप्त करने के लिए कदम उठायें। जानकारी इकट्ठा करने के तरीके और इस कार्य के लिए आवश्यक कर्मचारियों के बारे में, भारतीय मैडिकल अनुसन्धान परिषद् और राज्यों के पोषाहार विभागों के प्रतिनिधियों के बीच हैदराबाद में अभी हाल ही विशेष रूप से बुलायी गयी बैठक में चर्चा हुई थी। यह जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों को, जिन्हें आवश्यकता हो, विशेष सहायता देने का निश्चय किया गया था। जानकारी इकट्ठी करने और कार्य में तालमेल लाने के लिए, भारतीय मैडिकल अनुसन्धान परिषद् ने एक विशेष समिति भी नियुक्त की है।

अमरीकी कृषकों का दौरा

†२२९५. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को अमरीकी किसानों के दल से, जिसने इस वर्ष के प्रारम्भ में भारत की यात्रा की थी, कोई रिपोर्ट मिली है; और

(ख) यदि हां, तो भारत को अमरीका की ओर से कृषि सम्बन्धी सहायता तथा इन मामलों के बारे में क्या मुख्य सिफारिशें की गयी हैं ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) और (ख). इस वर्ष भारत सरकार के आमंत्रण पर किसी अमरीकी किसान ने भारत की यात्रा नहीं की। इसलिए सरकार को उन से कोई रिपोर्ट प्राप्त होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

संयुक्त राज्य अमरीका के फिलोडेल्फिया राज्य की 'दि फार्मर एण्ड वर्ल्ड अफेयर्स' ('कृषक और विश्व-कार्य') नामक संस्था ने, जो एक लाभ न उठाने वाली, बिना सदस्यों वाली शिक्षा संस्था है और जिसकी स्थापना १९५६ में "पारस्परिक जानकारी और परिचय द्वारा विश्व शान्ति को बढ़ावा" देने के उद्देश्य से की गयी थी, भारत कृषक समाज के सहयोग से इस संस्था के पुरुषों और स्त्रियों को भारत के लोगों से परिचित कराने के लिए एक तीन वर्षीय परियोजना प्रारम्भ की है। इस परियोजना के अन्तर्गत १२ अमरीकी किसान और इस संगठन के सहायक सचिव भारत कृषक समाज के अतिथियों के रूप में २५ नवम्बर, १९५९ को भारत आये थे।

रेलवे में विवादों को सुलझाने के लिये मध्यस्थता

†२२९६. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेल कर्मचारियों की राष्ट्रीय फैडरेशन की सामान्य परिषद् ने संघ सरकार से समस्त विवादों को निपटाने के लिए मध्यस्थ-निर्णय के सिद्धान्त को स्पष्ट रूप से स्वीकार करने का अनुरोध किया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) सरकार को भारतीय रेल कर्मचारियों की राष्ट्रीय फैडरेशन की सामान्य परिषद् द्वारा अभी हाल ही में पारित संकल्प की प्रति अभी तक नहीं मिली।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

डाकखाने से बीमाशुदा पार्सल का गुम होना

†२२९७. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली डाकखाने से ३० नवम्बर को एक ऐसे पार्सल के गुम हो जाने का समाचार मिला है, जिसका १०० रु० का बीमा कराया गया था, किन्तु जिसमें ५०,००० रु० के नोट थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) विभागीय जांच से पता चला है कि बीमाशुदा पार्सल नई दिल्ली के मुख्य डाकखाने में १४.३० बजे बुक किया गया था और १६.३० बजे उसे अन्य पार्सलों के साथ यथाविधि डिस्पैच क्लर्क को सौंप दिया गया। इसके लगभग १५ मिनट पश्चात् जब कि डिस्पैच क्लर्क भेजी जाने वाली चीज़ों की सूची तैयार कर रहा था, तो यह नहीं मिला। मामले की रिपोर्ट पुलिस को दी गयी। पुलिस द्वारा अभी जांच समाप्त नहीं हुई और अभी तक अपराधी का पता नहीं लग सका

उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण योजना

†२२९८. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने बाढ़ नियंत्रण की एक योजना पेश की है, जिस पर ४२ करोड़ रु० व्यय होगा;

(ख) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस योजना को तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए कहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रस्थापना पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ). उड़ीसा सरकार ने २७ अगस्त, १९६० को केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत् मन्त्री को, जब वह उस राज्य के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के दौरे पर थे, एक ज्ञापन पेश किया था। इस ज्ञापन में उस कार्यक्रम की केवल एक स्थूल रूपरेखा दी हुई थी,

†मूल अंग्रेजी में

जिसे राज्य सरकार महानदी दहाना क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिये क्रियान्वित करना आवश्यक समझती है । इन कार्यों पर ४२ करोड़ रु० व्यय होने का अनुमान लगाया गया था और राज्य सरकार ने यह सुझाव दिया था कि इसके लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में व्यवस्था की जाये । राज्य सरकार को यह सूचित कर दिया गया था कि निश्चित योजनाओं के न होने के कारण, इस प्रस्थापना पर विचार नहीं किया जा सका ।

जिला तार घर, पालघाट

†२२९९. **श्री वें० ईश्वरण** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालघाट (मालाबार) में जिला तार घर खोलने की प्रस्थापना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो इस तार घर में काम कब शुरू होने की सम्भावना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) और (ख). पालघाट में एक संयुक्त डाक और तार घर मौजूद है। इसे विभागीय तार घर में बदलने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

नोरोजी नगर, नई दिल्ली के निकट श्मशान भूमि

†२३००. **श्री राम गरीब** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नोरोजी नगर, नई दिल्ली के रिहायशी क्वार्टरों के निकट मृत शरीरों की दाह-क्रिया पर सरकार ने कुछ समय पहले प्रतिबन्ध लगाया था;

(ख) क्या यह सच है कि वहां पर मुर्दे जलाना पुनः शुरू हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : दिल्ली नगर निगम ने १५ मार्च, १९६० को नोरोजी नगर के रिहायशी क्वार्टरों के नजदीक मुर्दों को जलाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया था ।

(ख) जी हां ।

(ग) मुर्दों के जलाने पर प्रतिबन्ध लगाने वाला आदेश, जिसका उल्लेख उपरोक्त भाग (क) में किया गया है, दिल्ली नगर निगम के मैडिकल स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दिल्ली नगर निगम अधिनियम, १९५७ की धारा ३९० के अन्तर्गत इस ख्याल से दिया गया था कि उपरोक्त अधिनियम लागू होने से पहले इस स्थान का उपयोग शमशान भूमि के तौर पर नहीं किया जाता था । किन्तु बाद में दिल्ली नगर निगम के प्राधिकारियों के ध्यान में यह बात लायी गयी कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम १९५७ के लागू होने से पहले भी इस स्थान का प्रयोग मुर्दे जलाने के लिये किया जाता था और इसलिये यह प्रतिबन्ध नगर निगम की स्थायी समिति की पूर्व-स्वीकृति से ही लगाया जा सकता है । अतः दिल्ली नगर निगम के मैडिकल स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा यह मामला निगम की स्थायी समिति को निर्दिष्ट कर दिया गया है ।

सेलम-बंगलौर रेलवे लाइन

†२३०१. **श्री नरसिंहन्** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने होसुर और धर्मपुर से होकर जाने वाली प्रस्तावित सेलम-बंगलौर रेलवे लाइन की यातायात और इंजीनियरी सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच कर ली है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : रिपोर्टों पर अभी विचार हो रहा है ।

दिल्ली में विश्व स्वास्थ्य सभा

†२३०२. { डा० गंगाधर शिवा :
श्री अब्दुल लतीफ :

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के आमन्त्रण पर अगले वर्ष नई दिल्ली में होने वाले विश्व स्वास्थ्य सभा के १४वें अधिवेशन का उद्घाटन किस तिथि को होगा

(ख) इस अधिवेशन में कितने देश भाग ले रहे हैं;

(ग) क्या इस अधिवेशन में यूनानी तथा आयुर्वेद के मान्यता प्राप्त संगठनों के प्रतिनिधियों को अधिवेशन में भाग लेने के लिये निमन्त्रण दिया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :(क) ७ फरवरी, १९६१ ।

(ख) इसके सदस्यों तथा सम्बद्ध (एसोशियेट) सदस्यों की कुल संख्या १०२ है और लगभग सभी सदस्यों के भाग लेने की आशा है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) अन्तर्सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं को, जिनका विश्व स्वास्थ्य सभा से औपचारिक रूप से सम्बन्ध है, विश्व स्वास्थ्य सभा में पर्यवेक्षकों के तौर पर बुलाया जाता है । इन संगठनों का चुनाव कार्यकारी बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसका मूलाधार यह है कि संगठन का गठन और क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रीय हो ।

पिथौरगढ़ में डाक और तार भवन

†२३०३. श्री जं० ब० सिं० बिष्ट : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ९ मार्च, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिथौरगढ़ में डाक और तार भवन का निर्माण इस बीच पूरा हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह कार्य कब पूरा होगा ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :(क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). इस कार्य को क्रियान्वित करने के लिये उपयुक्त ठेकेदार को ढूंढ़ने में कठिनाई आ रही है । इस सम्बन्ध में बनाये गये अनुमानों का भी पुनरीक्षण किया जाना है । इस बीच इस कार्य को एक नये ठेकेदार को सौंपने का प्रबन्ध कर लिया गया है, जो इस काम को सर्दियों के समाप्त होने पर शुरू कर देगा । अनुमान है कि यह कार्य नवम्बर, १९६१ तक पूरा हो जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कीट परजीविविज्ञान[1]

†२३०४. **श्री दुबलिश** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था के कीट विज्ञान विभाग में कीट-परजीविविज्ञान (कीट नाशिकीट का जीवीय नियन्त्रण) सम्बन्धी अनुसन्धान कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप देश में किसानों को कुछ निश्चित सिफारिशें की गयी हैं, जिन्हें वे क्रियान्वित कर सकते हैं;

(ग) क्या किसी 'नई जाति' की खोज की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो क्या भारत में कीट और नाशिकीटों के नियन्त्रण के लिये इनमें से किसी नई जाति का प्रयोग किया गया है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: (क) भारत में निम्नलिखित जाति के कीटों और नाशिकीटों के नियन्त्रण के लिये परजीवी कीटों का इस्तेमाल करने के उद्देश्य से आवश्यक अनुसन्धान किया गया है :

(एक) कपास को लगने वाला 'कशन स्केल आफ सिटरस' ।

(दो) गन्ने को लगने वाला 'स्टेम बोरर एण्ड पाइरिल्ला' ।

(तीन) मक्की को लगने वाला 'स्टेम बोरर' ।

कपास 'बालवर्म' (Bollworms) के दो परजीवी कीटों की खोज की गयी है और उनकी संख्या में प्रचुर वृद्धि करने के तरीके निकाले गये हैं ताकि इन परजीवी कीटों को खेतों में छोड़ा जा सके ।

(ख) इन अनुसन्धानों के परिणाम वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित किये जाते हैं और राज्यों में काम करने वाले कर्मचारी तथा किसान उनसे आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । राज्यों के कीट-वैज्ञानिकों द्वारा अनुरोध करने पर ये परजीवी कीट उन्हें दिये भी जाते हैं । मैसूर, मद्रास, बम्बई, उड़ीसा और बिहार में गन्ने के 'स्टेम बोरर' का नियन्त्रण करने के लिये परजीवियों का उपयोग किया जा रहा है ।

(ग) और (घ). जी हां, दूसरी पंचवर्षीय आयोजना की एक योजना के अन्तर्गत परजीवी कीटों की नई जातियों का सर्वेक्षण किया जा रहा है । इस सर्वेक्षण से अभी तक ८० परजीवी खोजे जा चुके हैं । इन परजीवियों के बारे में अभी तक इतना अनुसन्धान नहीं हुआ कि भारत में उनका उपयोग किया जा सके ।

टुलिहल हवाई अड्डा (इम्फल)

†२३०५. **श्री ले० अचो० सिंह** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इम्फल में टुलिहल हवाई अड्डे को खोलने की निर्धारित तिथि बीत गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे यातायात के लिये कब खोला जायेगा ?

---

[1]Insect Parasitology.

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :(क) और (ख) . टेलीफोनों और दूरस्थ नियंत्रण लाइनों के उपलब्ध न होने से इम्फल में टुलिहल हवाई अड्डे को खोलने में कुछ देर हो गई है। अनुमान है कि इस हवाई अड्डे को जनवरी, १९६१ के अन्त तक यातायात के लिये खोल दिया जायेगा ।

इम्फल नगरपालिका

†२३०६. श्री ले० अचौ सिंह : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फल नगरपालिका के निर्वाचन के लिये तिथि निर्धारित कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो निर्वाचन कब होने की सम्भावना है और क्या यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा अथवा नहीं ;

(ग) क्या आसाम नगरपालिका अधिनियम का निरसन कर दिया गया है और इम्फल नगरपालिका के प्रयोजनों के लिये इस के स्थान पर कोई और अधिनियम लागू किया गया है ; और

(घ) क्या निर्वाचक नामावलि नगरपालिका के बढ़ाये गये क्षेत्र के आधार पर तैयार की गयी है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :(क) से (घ) . जानकारी इकट्ठी की जा रही है और इसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

मनीपुर में चावल और धान का उत्पादन

†२३०७. श्री ले० अचौ सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कीड़ों आदि तथा असामयिक वर्षा के कारण मनीपुर में चावल तथा धान की आगामी फसलों से अधिक प्राप्ति की सम्भावना नहीं है ; और

(ख) पिछले वर्ष की तुलना में इस मौसम में कितना उत्पादन होने का अनुमान है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा): (क) और (ख) . मनीपुर प्रशासन से जानकारी प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर इसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

मनीपुर में चावल और धान की वसूली

†२३०८. श्री ले० अचौ सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में चालू फसलों के मौसम में राज्य-व्यापार संगठनों द्वारा उत्पादकों से चावल तथा धान की वसूली करने की कई प्रस्थापना है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वसूली करने की कीमतें निर्धारित कर दी गई हैं और चावल और धान को किन कीमतों पर वसूल किया जायेगा ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इम्फल सिविल अस्पताल

†२३०९. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर के लोगों द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों में इस बात की शिकायतें आ रही हैं कि इम्फल सिविल अस्पताल में रोगियों का इलाज सन्तोषजनक ढंग से नहीं किया जाता विशेषतः उन रोगियों का जिन्हें रात को अविलम्बनीय उपचार के लिये दाखिल किया जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि अविलम्बनीय मामलों की ओर ध्यान देने के लिये वार्ड में केवल एक कम्पाउन्डर और नर्स होती है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर 'हां' में हो तो रात को अविलम्बनीय उपचार के लिये भर्ती किये गये रोगियों के उपचार के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और इसे यथासमय सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

डिकोम के निकट ट्रेन-ट्रक भिड़न्त

†२३१०. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ६ दिसम्बर, १९६० को उत्तर पूर्वी सीमान्त रेलवे पर डिकोम के निकट गाड़ी और ट्रक में टक्कर हो जाने के परिणामस्वरूप एक व्यक्ति मारा गया और दो अन्य व्यक्ति घायल हो गये ;

(ख) इस दुर्घटना का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). ६ दिसम्बर, १९६० को लगभग ११.३५ बजे जबकि ३४३ अप सवारी गाड़ी उत्तरी सीमान्त रेलवे के डिब्रूगढ़ टाउन—तिनसुकिया सैक्शन के डिकोम और हटियाली ग्राउंड साइडिंग स्टेशनों के बीच जा रही थी, एक सैनिक ट्रक एक रेलवे 'लैवल क्रासिंग' के पास, जिस की रखवाली के लिये कोई आदमी नहीं रखा गया, गाड़ी से टकरा गया । इस के परिणामस्वरूप ट्रक का ड्राइवर तत्क्षण मर गया और ट्रक और ट्रेन में बैठा एक एक व्यक्ति घायल हो गया ।

(ग) यह दुर्घटना ट्रक ड्राइवर की लापरवाही के कारण हुई है, अतः प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

लखनऊ की कैरिज और वैगन वर्कशाप

†२३११. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लखनऊ की कैरिज और वैगन वर्कशाप में ४०० कर्मचारियों की अनुपस्थिति का सरकारी आदेश के बावजूद विनियमन नहीं किया गया ;

(ख) क्या इन कर्मचारियों के विरुद्ध 'बैठ जाओ हड़ताल' करने का आरोप है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो इन की नौकरियों को नियमित न करने का क्या कारण है : और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामं) :(क) जी नहीं ।

(ख) जी हां, १३-७-६० को लगभग ३०० कर्मचारियों ने 'बैठ जाओ हड़ताल' की थी ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

†श्री हेम बरुआ (गौहाटी): श्रीमान्, आप ने सभा में बताया है कि जिन विषयों को स्थगन प्रस्तावों के द्वारा उठाया जाता है उन विषयों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिये अल्प-सूचना प्रश्न पूछे जा सकते हैं। परन्तु अल्प सूचना प्रश्न को ग्रहीत करने के लिये मंत्री महोदय की सहमति लेना आवश्यक होता है और इसी आधार पर मंत्री महोदय हमेशा यह प्रयत्न करते हैं कि उन को अस्वीकार कर दिया जाये । आप ने कहा था कि इन्हें ध्यान दिलाने की सूचनाओं के रूप में भी ग्रहीत किया जा सकता है लेकिन उस में भी सरकार का प्रयत्न उन्हें अस्वीकृत करने का ही होता है ।

†अध्यक्ष महोदय: मैं जब स्थगन प्रस्तावों के विषय के बारे में जानकारी हासिल करने के अन्य तरीके सभासदों को बताता हूं उस से मेरा यह तात्पर्य नहीं होता, न मैं उस की गारंटी देता हूं कि उन विषयों को सभा में निश्चित रूप से उठाने की अनुमति मिल जायेगी । अल्प सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिये मंत्री महोदय की स्वीकृति आवश्यक है । यही बात अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में है । जब मैं देखता हूं कि तथ्य ठीक नहीं हैं तो उस की इजाज़त नहीं देता । मैं हमेशा विरोध पक्ष को ज्यादा से ज्यादा अवसर देने की कोशिश करता रहा हूं लेकिन कुछ माननीय सदस्य ऐसे हैं जो कभी संतुष्ट ही नहीं होते ।

यह छोटी छोटी बातें हैं जिन को सभा में नहीं उठाया जाना चाहिये ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

'नोट ऑन रेशनेल आफ इंडियन इकनोमिक आर्गनाइज़ेशन'

†श्रम और रोज़गार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं प्रोफ़ेसर जे० के० गालब्रेथ के दिनांक २९ अप्रैल, १९५९ के "सम नोट्स आन दी रेशनेल आफ इंडियन इकनोमिक आर्गनाइज़शन" शीर्षक के एक टिप्पण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—२५५८।६०]

बम्बई चीनी (निर्यात नियंत्रण) आदेश में संशोधन

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ०-म० थामस) : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत बम्बई चीनी (निर्यात नियंत्रण) आदेश, १९५९

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० म० थामस]

में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ३ दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४४० की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—२५५९/६०]

राज्य-सभा से सन्देश

†**सचिव** (१) मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से यह सन्देश मिला है कि भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, १९६० के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(२) मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से यह सन्देश भी मिला है कि राज्य-सभा ने १९ दिसम्बर, १९६० को अपनी बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया है :—

"कि यह सभा लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य-सभा कुछ स्थापनाओं में बच्चा पैदा होने से पहले और बाद में कुछ समय तक महिलाओं को काम पर लगाने को विनियमित करने और उन्हें प्रसूति लाभ देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक से सम्बन्धित दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करती है कि उक्त समिति में कार्य करने के लिये राज्य-सभा के निम्नलिखित सदस्य मनोनीत किये जायें :—

(१) श्री अख्तर हुसैन
(२) श्रीमती अनीस किदवई
(३) श्री अर्जुन अरोड़ा
(४) श्रीमती के० भारती
(५) श्री रोहित एम० दवे
(६) श्री खण्डूभाई के० देसाई
(७) श्रीमती जहांनारा जयपाल सिंह
(८) श्री अकबर अली खान
(९) श्री किशोरी राम
(१०) श्रीमती कृष्णा कुमारी
(११) श्री भागीरथी महापात्र
(१२) डा० ए० सुब्बाराव
(१३) सरदार बुध सिंह
(१४) श्रीमती शान्ता वाशिष्ठ
(१५) श्री आबिद अली ।

†मूल अंग्रेजी में

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

कार्यवाही सारांश

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिंडा) : श्रीमान्, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की बारहवें सत्र में हुई (बहत्तरवीं से छियत्तरवीं) बैठकों का कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रखता हूं।

सभा का कार्य

†**राजा महेन्द्र प्रताप** (मथुरा) : मैंने आपको एक प्रस्ताव भेजा था। मैं जानना चाहता हूं कि उसके बारे में आपने क्या निर्णय किया ? एक सन्त पंजाब में मर रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इन माननीय सदस्य को भी संतुष्ट करने में असफल रहा हूं। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि इन्होंने अमृतसर में किसी व्यक्ति द्वारा अनशन किये जाने पर एक स्थगन प्रस्ताव अथवा ध्यान दिलाने की सूचना की अनुमति मांगी है। यदि कोई व्यक्ति अमृतसर में अनशन करता है तो यह सभा क्या करे ? मैं कई बार बता चुका हूं कि यदि कोई व्यक्ति सरकार के निर्णय को बदलने के लिए अनशन करता है तो मैं उस मामले को सभा में उठाने की अनुमति नहीं दे सकता हूँ।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : यदि वह मर गया तो देश में तहलका मच जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य वहां जायें और उनको अनशन खत्म करने की सलाह दें।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

कार्यवाही सारांश

†**श्री मूलचन्द दुबे** (फ़र्रुख़ाबाद) : श्रीमान्, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की बारहवें सत्र में हुई बाईसवीं बैठक का कार्यवाही-सारांश सभा-पटल पर रखता हूं।

याचिका समिति

कार्यवाही सारांश

†**श्री बर्मन** (कूच-बिहार—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : श्रीमान्, मैं याचिका समिति की बारहवें सत्र में हुई (अड़तालीसवीं से पचासवीं) बैठकों का कार्यवाही-सारांश सभा-पटल पर रखता हूं।

ग्यारहवां प्रतिवेदन

†**श्री बर्मन** : मैं याचिका समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्राक्कलन समिति

एक सौ दोवां प्रतिवेदन

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : मैं वित्त मंत्रालय (आर्थिक-कार्य विभाग) इंडिया सिक्यूरिटी प्रेस, नासिक सम्बन्धी प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) के उन्तालीसवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति का एक सौ-दोवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

रुद्रसागर, आसाम, में तेल मिलने का समाचार

†**श्री रघुनाथ सिंह** (वाराणसी) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर इस्पात, खान और ईंधन मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

'रुद्रसागर, आसाम, में तेल मिलने का समाचार'

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : आसाम में रुद्रसागर स्थान पर तेल मिलने के समाचार की ओर मेरा ध्यान दिलाया गया है। मैं इस सम्बन्ध में तथ्य पेश करता हूं।

आसाम में रुद्रसागर में कुआं नं० १ की खुदाई तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने २९-५-१९६० को आरम्भ की। इस कुयें में खुदाई का काम २१-९-१९६० को पूरा हो गया। इस समय तक कुआं ३८१७.३२ मीटर गहराई तक खोदा जा चुका था। खुदाई के दौरान कटाव के भीतरी भाग तथा किनारों में तेल विद्यमान होने के लक्षण मिले। अभी तक जिन चार स्थानों का परीक्षण किया गया है, उन में से तीन में सिर्फ़ पानी मिला है और एक में ४ प्रतिशत तेल मिला है। दो और स्थानों का परीक्षण अभी किया जाना है। जब तक शेष दोनों स्थानों का परीक्षण पूरा न कर लिया जाये, तब यह बताना असम्भव है कि रुद्रसागर के कुआं नं० १ से कितनी मात्रा में तेल मिलेगा।

ई० एन० आई० के दल के साथ चर्चा के बारे में वक्तव्य

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: ई० एन० आई० के विशेषज्ञों के दल के साथ हो रही सरकार की वार्ता के बारे में प्रगति जानने की माननीय सदस्यों की उत्सुकता की मैं सराहना करता हूं।

सभा जानती है कि विदेशी तेल समवायों को भारत में तेल की खोज तथा तेल के उत्पादन में सहायता देने के लिए आमंत्रित किया गया था। कई विदेशी समवायों ने इसके बारे में प्रस्ताव भेजे, जिनमें से एक प्रस्ताव ई० एन० आई० का भी था। इस प्रस्ताव की जांच के फलस्वरूप तथा सरकार के एक प्रतिनिधि के द्वारा इटली में ई० एन० आई० से की गई चर्चा के फलस्वरूप, यह ठीक समझा गया कि ई० एन० आई० से विस्तृत तौर पर बातचीत की जाये।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

सरकार के कहने पर ई० एन० आई० के चेयरमैन श्री मत्तेई अपने चार विशेषज्ञों के साथ १२-१२-६० और १८-१२-६० के बीच भारत आये और पेट्रोलियम उद्योग के विभिन्न पहलुओं के बारे में किये गये प्रस्तावों पर उनके साथ और उनके दल के साथ बातचीत की गई ।

तेल की खोज और उत्पादन सम्बन्धी प्रस्थापना के अलावा वर्कशापों, तेल शोधक कारखानों, पाइप लाइनों, पेट्रोकेमिकल कारखाने आदि के लिए उपस्कर के रूप में ई० एन० आई० से समुचित शर्तों पर ऋण प्राप्त करने की संभावनाओं पर भी चर्चा की गयी । ऐसा मालूम होता है कि ऋण के बारे में उनसे एक समझौता करना सम्भव हो सकता है ।

तेल की खोज तथा उत्पादन के बारे में ई० एन० आई० के प्रस्ताव से सम्बन्धित कुछ बातों को स्पष्ट कर दिया गया है और कुछ अन्य बातों पर दोनों पक्षों के विचारों पर मोटे तौर पर मतैक्य सा हो गया है । मामले का और अध्ययन करने के पश्चात् समझौता करने के लिए ई० एन० आई० से बातचीत जारी रखी जायेगी ।

ऋण सम्बन्धी सुविधाओं के मामलों पर चर्चा करने के लिए ई० एन० आई० के जो विशेषज्ञ भारत में रह गये थे, उन्होंने सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत की है और जिन विभिन्न परियोजनाओं के लिये ऋण देने के प्रस्ताव हैं उनके बारे में प्रारम्भिक आधार बना लिया गया है ।

सभा इस बात को समझेगी कि जिन बातों पर चर्चा हुई है अथवा जिनको स्पष्ट किया गया है या जिनका तय होना अभी शेष है उनके ब्यौरे बताना मेरे लिए वांछनीय नहीं होगा क्योंकि न केवल ई० एन० आई० से वरन् अन्य पक्षों से भी इस समय जो बातचीत चल रही है उस पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में बताया है कि इटली का दल तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के सहयोग से तेल की खोज करेगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह इटली का दल पश्चिमी बंगाल में स्टैन वैक के समान स्वतंत्र रूप से काम करेगा अथवा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के प्रविधिक अथवा वित्तीय सहयोग से काम करेगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मुझे खेद है कि जो कुछ मैं बता चुका हूं उससे अधिक बताना मेरे लिए सम्भव नहीं है । इन बातों पर विचार हो रहा है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोज़ाबाद) : माननीय मंत्री ने बताया कि वह इससे अधिक और कुछ नहीं बता सकते हैं । परन्तु कल के समाचारपत्रों में समाचार छपा है कि इटली के समवाय ने तेल की खोज तथा उसके वितरण आदि के बारे में भारत सरकार के सहयोग से १०० करोड़ रुपया लगाना स्वीकार कर लिया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सच है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं इसके बारे में केवल इतना बता सकता हूं कि यह अधिकृत वक्तव्य नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब सरकार कोई जानकारी देना ठीक नहीं समझती है तो मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे प्रश्न नहीं पूछें ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री रंगा** (तेनालि) : होता यह है कि मंत्रीगण सभा में जानकारी देने को इच्छुक नहीं होते हैं, परन्तु सभा का सत्र होते हुए भी वह संवाददाता सम्मेलन बुलाते हैं और वहां पर जानकारी दे देते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसका विरोधी हूं और मैंने सभा में बार बार कहा है कि सभा का सत्र होते हुए किसी भी मंत्री को सभा से बाहर नीति सम्बन्धी महत्वपूर्ण वक्तव्य नहीं देना चाहिए ।

बाल विधेयक

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि संघ राज्य-क्षेत्रों में अपेक्षित अथवा अपचारी बच्चों की देख-भाल, उनके संरक्षण, पालन-पोषण, कल्याण, प्रशिक्षण, शिक्षा तथा पुनर्वास की और अपचारी बच्चों पर अभियोग चलाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये ।"

सब से पहले मैं विधेयक में संयुक्त समिति द्वारा किये गये मुख्य परिवर्तनों को संक्षेप में बताना चाहता हूं । हम ने विधेयक में पहले यह व्यवस्था की थी कि बाल अदालत उपेक्षित तथा अपचारी दोनों प्रकार के बच्चों के मामलों को लेगी । परन्तु संयुक्त समिति में काफ़ी चर्चा के बाद समिति के सभी सदस्यों ने यह उचित समझा कि बाल अदालतों में उपेक्षित बच्चों के मुकदमों पर विचार नहीं होना चाहिए । उन्होंने कहा कि दोनों प्रकार के बच्चों में बहुत अन्तर है । अपचारी बच्चे वे हैं जिन्होंने कुछ अपराध किया होता है; इनको बाल अदालतों में ले जाना ठीक होगा । परन्तु उपेक्षित बच्चों पर किसी प्रकार का कलंक लगाना ठीक नहीं होगा । क्योंकि यदि इनको अपचारी बच्चों के साथ साथ बाल अदालत में ले जाया जायेगा तो लोक में एक सामान्य विचार हो जायेगा कि इन उपेक्षित बच्चों ने भी कोई अपराध किया है । इसलिए संयुक्त समिति ने यह ठीक समझा कि अपचारी और उपेक्षित दोनों प्रकार के बच्चों के लिए अलग अलग व्यवस्था की जानी चाहिए ।

यह भी उचित समझा गया कि उपेक्षित बच्चों के मामलों पर विचार करने वाले बाल कल्याण बोर्ड में कम से कम एक स्त्री अवश्य हो । विचार यह था कि जितनी अधिक संख्या में स्त्रियां होंगी उतना ही अच्छा होगा क्योंकि वह बच्चों के साथ पुरुषों की अपेक्षा अच्छी तरह से व्यवहार कर सकती हैं । परन्तु इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि अर्हता प्राप्त स्त्रियों का ज्यादा मिलना कठिन होगा, यह व्यवस्था रखी गई है कि प्रत्येक बाल कल्याण बोर्ड में कम से कम एक स्त्री अवश्य हो ।

इसी प्रकार बाल अदालतों में भी कम से कम एक स्त्री सदस्य रखने की व्यवस्था है । इसीलिये खण्ड ५ का जो मूलतः खण्ड ४ था, संशोधन कर दिया गया है । खण्ड ९ के उपखण्ड (४) में भी कुछ संशोधन किये गये हैं । संयुक्त समिति ने यह महसूस किया कि बाल गृहों को प्रमाणपत्र देने के लिये नियम बनाये जाने चाहियें । यह महसूस किया गया कि कभी कभी बाल गृहों में बच्चों का शोषण किया जाता है और इनके बारे में तरह तरह शिकायतें भी मिलती हैं । इस चीज़ को रोकने के लिये नियम बनाना आवश्यक समझा गया जिससे बाल गृहों को मान्यता और प्रमाणपत्र मिल सकें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खण्ड ११ के बारे में, जो मूल विधेयक में खण्ड ९ था, समिति ने यह अनुभव किया कि देख रेख करने वाले गृह में रहने की जगह, भरण-पोषण, डाक्टरी परीक्षा तथा उपचार की सुविधाओं के साथ साथ ऐसी सुविधायें भी होनी चाहियें जिनसे बच्चों के चरित्र का विकास हो सके और लाभ-दायक पेशों के बारे में भी बच्चों को शिक्षा दी जा सके। उप-खण्ड (३) में ऐसा ही उपबन्ध रखा गया है।

समिति ने यह भी ठीक समझा कि जब बच्चों को संविहित अभिभावक के पास रखा जाय तो अभिभावक बच्चे का विवाह सक्षम अधिकारी की अनुमति से ही कर पायेगा। यह उपबन्ध इसलिये रखा गया है जिससे संविहित अभिभावक किसी भी प्रकार बच्चे का शोषण न कर पायें।

इस विधेयक में यही मुख्य परिवर्तन किए गए हैं। मैं पहले चर्चा के दौरान में बता चुका हूं कि इस विधेयक का सम्पूर्ण दृष्टिकोण शिक्षात्मक है। मेरे विचार से इस विधेयक को एक बहुत प्रगतिशील विधान समझा जाना चाहिये। इसमें यह व्यवस्था रखी जा रही है कि सभी अपराध करने वाले बच्चों के मामले बाल अदालत में ही निबटाये जायेंगे। स्वीडन जैसे प्रगतिशील देशों में भी गम्भीर अपराध के लिये अपराधी बच्चों को साधारण अदालतों में भेजा जाता है परन्तु हमने इस विधेयक में यह व्यवस्था रखी है कि किसी भी अपराधी बच्चे को साधारण अदालत में नहीं भेजा जा सकेगा। हम समझते हैं कि बच्चा परिस्थितियों के कारण, बुरे वातावरण में पलने के कारण कुकृत्य अथवा अपराध करता है। हमारा विचार है कि इस मामले में मनोवैज्ञानिक आधार पर कार्यवाही होनी चाहिये। ऐसा प्रयत्न किया जाना चाहिये जिससे बच्चे को दंडित करने के बजाय पुनर्वासित किया जा सके, इसलिये बच्चों को बाल अदालत अथवा बाल कल्याण बोर्ड में ही भेजा जायेगा ; किसी भी हालत में उन्हें साधारण अदालतों में नहीं जाने दिया जायेगा।

इसके अन्य सभी उपबन्ध बच्चे को ठीक प्रकार से समझने के बारे में हैं जिससे उनकी उचित देख भाल तथा संरक्षण किया जा सके और जो बच्चे समाज के लिये योग्य न रह गये हों उन्हें फिर से सुधारा जा सके। बच्चा ऐसी परिस्थितियों के कारण, जिनके लिए वह जिम्मेदार नहीं होता, समाज के लिये अयोग्य हो जाता है और अवारा हो जाता है। जब यह विधेयक पारित हो जायेगा तब हमारा विचार उचित संस्थायें बना देने का है जिससे इन अभागे बच्चों की देख भाल हो सके। मुझे पूरा विश्वास है कि विधेयक को सभा का सर्वसम्मति से समर्थन मिलेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : इस विधेयक का स्वागत है क्योंकि हमारे देश में बच्चों की दशा बड़ी दयनीय है। कभी भी चले जाइये, बच्चे भीख मांगते हुये मिलते हैं। खेद की बात है कि हमने इन बच्चों को इतना पतित बना दिया है, जिनके हाथों में देश का भविष्य है।

हमारे गांवों में, विशेषतया हमारे क्षेत्र में २० से २५ प्रतिशत ऐसी विधवायें हैं, जिनके छोटे-छोटे बच्चे हैं। वे इधर-उधर भीख मांगते फिरते हैं। उनकी सहायता करना हमारा प्रथम कर्तव्य है।

ऐसी स्थिति में, मेरा निवेदन है कि हमारे यहां बड़े अच्छे अच्छे सामाजिक विधान हैं। पर उन्हें कार्यान्वित नहीं किया गया है। इन विधानों को लागू करने के लिये हमने अपेक्षित व्यवस्था भी नहीं की है। हमें इन सामाजिक विधानों को लागू करने का काम पुलिस अधिकारियों को नहीं सौंपना चाहिये। इस रवैये को बदला जाना चाहिये। इस विधेयक के प्रयोजन का स्वागत है, पर मुझे संदेह है कि इसे ठीक ढंग से कार्यान्वित किया जा सकेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

यह समस्या सामाजिक तथा आर्थिक भी है। जब तक इनके लिये किसी काम-धन्धे का प्रबन्ध हम नहीं कर पाते, तब तक भीख मांगना बन्द नहीं हो पायेगा। विधेयक का एक उद्देश्य इनको आर्थिक दृष्टि से बसाना है। अतः जब तक इनको बसाने का प्रबन्ध नहीं किया जायेगा, सुधारगृहों आदि से कोई लाभ नहीं होगा।

यह विधान इस दिशा में प्रथम कदम है। हम चाहते हैं कि यह सफल हो। परन्तु हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा।

बच्चों के न्यायालय बनाने की बात मंत्री महोदय ने कही है। पर क्या इनमें दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार ही कार्य होगा। मैं समझती हूं कि इनमें इस रवैये को छोड़ कर दोस्ताने के रूप में बच्चे की समस्याओं को समझा जाना चाहिये और इन बच्चों के मामलों को वकीलों या मजिस्ट्रेटों के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिये।

इस सम्बन्ध में प्राबेशन अफसरों से कोई लाभ नहीं होगा। सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद ली जानी चाहिये और अधिकांशतया महिलाओं को इस काम के लिये रखा जाना चाहिये अधिक लाभ-दायक होगा। इस काम में कुछ मनोवैज्ञानिकों की भी सहायता ली जानी चाहिये। अधिकांश मजिस्ट्रेट महिलाओं को बनाया जाये।

बच्चों को मार्ग दर्शन करने वाले पदाधिकारी या महिलायें होनी चाहिये, जो कि उनसे, उनके मां-बाप तथा वातावरण से घनिष्ठता पैदा करके उनकी स्थिति को समझ कर बच्चे की अपचारिता का निदान करें पर विधेयक में इनका कोई उपबन्ध नहीं है। उससे प्राबेशन अफसरों की व्यवस्था है। पर उनके कर्त्तव्यों का निश्चय नहीं किया गया है। यदि विधेयक को सफल बनाना है, तो उसके लिये आवश्यक है कि ये प्राबेशन अफसर अपने कर्त्तव्यों को मानवीय ढंग से पूर्ण करें।

प्रशासकों को जो इतने अधिकार दिये गये हैं, यह भी ठीक नहीं है। यह भी विधेयक में नहीं बताया गया है कि वह निर्णय किन आधारों पर करेगा। इस काम में प्रोबेशन अफसर बड़े सहायक हो सकते हैं। पर खेद की बात है कि उनके कर्त्तव्यों का कहीं भी विवरण नहीं दिया गया है।

यदि ठीक तरह से निर्वाह किया गया, तो इन अधिकारियों का काम बड़े महत्व का है। उन्हीं पर इस विधान की सफलता बहुत हद तक निर्भर होगी। उन्हें उच्च स्तर पर रखा जाना चाहिये।

विधेयक में जिन विशेष स्कूलों का जिक्र है, उनके बारे में स्पष्ट उपबन्ध नहीं किया गया है। साथ ही यह भी नहीं बताया गया है कि इन स्कूलों में क्या विषय पढ़ाये जायेंगे, तथा बच्चों को किस प्रकार रखा जायेगा।

बालगृहों तथा इन विशेष स्कूलों में क्या अन्तर होगा, यह बात और भी स्पष्ट की जानी चाहिये। सिर्फ कानून बना देने मात्र से कोई लाभ नहीं होगा, उन्हें लाग करने से ही लाभ होगा।

बाद में देख भाल करने वाली संस्थाओं के सम्बन्ध में भी बहुत अस्पष्ट व्यवस्था है। इन संस्थाओं का बड़ा महत्व है और इनका होना आवश्यक है। इनसे बच्चों के जीवन के एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति हो सकेगी।

साथ ही इन बालगृहों में बच्चों को कुछ काम-धन्धा सिखाया जाना चाहिये ताकि यहां से निकलने के बाद वे कुछ काम कर सकें और दोबारा भीख मांगना शुरू न कर दें। समाज में उन्हें समुचित सम्मान दिलाना चाहिये। इस सम्बन्ध में राज्य को जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिये।

यह एक अच्छा विधान है, पर कई बातों पर अच्छी तरह ध्यान नहीं दिया गया है। कुछ बातें स्पष्ट नहीं की गई हैं। सभी बातें कानून बनाने की शक्ति पर छोड़ दी गयी हैं। वैसे वे नियम सभा के सामने रखे जायेंगे और हमें उन पर विचार करने का अवसर मिलेगा। पर इस काम के लिये हमें योग्य कार्यकर्त्ताओं की बड़ी आवश्यकता है।

†**श्रीमती रेणुका राय** (मालदा): अस्थायी संसद में हमने मजदूरों की दशा सुधारने के लिये एक विधान पारित किया था, पर आज १० वर्ष बाद भी कई बातें पूरी नहीं हो पाई हैं। अतः इस बाल विधेयक के सम्बन्ध में भी हमें यह कहना है कि हमें इसके उपबन्धों को ईमानदारी से लागू करना चाहिये।

इस विधेयक के लिये मैं शिक्षा मंत्री को बधाई देती हूं। इसे ऐसे ढंग से लागू किया जाना चाहिये कि आगे हमें यह न कहना पड़ कि हम इसे ठोस तरीके से लागू नहीं कर पाये। बालगृहों को समुचित ढंग से चलाया जाना बहुत आवश्यक है।

ध्यान रहे कि इस कार्य के लिये हमें पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित कार्यकर्त्ताओं की आवश्यकता पड़ेगी। उनकी समुचित व्यवस्था बिना विधेयक का उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। यह विधेयक केवल संघ राज्य क्षेत्रों के लिये है, पर आशा है कि यह अन्य राज्यों के लिये एक आदर्श विधेयक का काम देगा।

सबसे आवश्यक बात यह है कि किसी बच्चे को बालगृह में लाये जाने के बाद उसकी देखभाल अच्छी तरह से की जानी चाहिये। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुये उचित प्रकार के बालगृह स्थापित किये जाने चाहिये। वर्तमान बालगृहों में अच्छी व्यवस्था नहीं है। यदि उनका समुचित लाभ उठाना है, तो उनमें सुधार किया जाना चाहिये। समाज कल्याण दलों द्वारा इस सम्बन्ध में दिये गये सुझावों पर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिये।

अन्त में, यह एक अच्छा व वांछनीय विधान है। प्रगतिशील होने के साथ-साथ इसे अन्य राज्यों के लिये एक आदर्श विधान होना चाहिये। आशा है कि राज्य सरकारें भी इस सम्बन्ध में अपनी दिलचस्पी प्रकट करेंगी और इस प्रकार का विधान पारित करेंगी ताकि देश भर में उपेक्षित व अपचारी बच्चों की देख भाल की जा सके।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुईं]

श्रीमती जयाबेन शाह (गिरनार): माननीय सभापति महोदया, इस चिल्ड्रेंस बिल पर बहुत कुछ राज्य सभा में और यहां भी कहा गया है और मुझे तो इसके बारे में पहली बात यह निवेदन करनी है कि यह बिल जो कि यूनियन टैरीटोरीज के वास्ते बनाया गया है अच्छा होता अगर इस तरह का एक यूनिफार्म लेजिस्लेशन सारे देश के वास्ते बना होता और अगर ऐसा हुआ होता तो बहुत अच्छा होता। ऐसा मैं इस कारण से कहती हूं क्योंकि कई स्टेट्स में ऐसे ऐक्ट बने हुए हैं मगर उन पर जितना ध्यान देना चाहिये उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। इस के अलावा दूसरी बात यह है कि ज्वाएंट कमेटी ने जो इस बिल में सुधार किये हैं वे सुधार भी स्टेट्स के ऐक्ट्स में नहीं हैं और वही पुराने ढंग का लेजिस्लेशन वहां पर चल रहा है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस पर भी कुछ सोचा जाय और सारे देश में एक यूनिफार्म लेजिस्लेशन इस तरह का लागू करने की बात सोची जाय।

सही बात तो यह है कि जब हम अपने देश की हालत को देखते हैं तो पाते हैं कि सारे देश के जो बच्चे हैं वे सभी किसी न किसी कैटेगरीज में आ जाते हैं। ज्यादातर डैस्टीट्यूट्स हैं, नैगलेक्टेड भी हैं

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती जयाबेन शाह]

और ऐसा जमाना आया है कि अनकंट्रोल्ड चिल्ड्रेन भी होते जा रहे हैं । इसमें खुशनसीबी की बात यह है कि यहां पर ऐसी हालत होने पर भी डैलीक्वैंसी दूसरे देशों की अपेक्षा बहुत कम है । हमारे देश की अपेक्षा अमरीका वगैरह में डैलीक्वेंसी अधिक है । वहां धन दौलत बहुत अधिक होने पर भी डैलीक्वैंसी बहुत ज्यादा है और हमारे यहां उतनी डैलीक्वैंसी नहीं है । यह अलबत्ता हमारे लिये एक रैंडीमिंग फीचर है ।

जब एक ऐसा बिल आता है तो हमारे दिल में आता है कि हम सारे देश के बच्चों के लिये कुछ कर पायें और हमारे दिल में कुछ इस तरह के करैक्टिव मेजर से बढ़ कर करने की बात आती है । और इसलिये मैं इससे आगे जाकर कुछ कहना चाहती हूं । यह बात बिल्कुल सही है कि प्रीवेंशन इज बैटर दैन क्योर । बच्चे कैसे नैगलेक्टेड होते हैं, डैलीक्वैंट कैसे होते हैं और अनकंट्रोलेबुल कैसे होते हैं, उनके कारणों में हमें जाना चाहिये । अगर उनमें हम नहीं जाते हैं और जब बिगाड़ हो जाता है तो उसके सुधार पर जाते हैं तो मैं समझती हूं कि इस सारे देश का जो मसला है वह हम कभी भी ठीक से हल नहीं कर पायेंगे । हमारे देश के बच्चे क्यों ऐसे हो रहे हैं और नैगलेक्टेड क्यों हैं इस पर भी मैं इस सदन का ध्यान दिलाना चाहती हूं । हमारे देश में गरीबी—पावर्टी—इसका मेन काज हो सकता है । लेकिन मुझे यह कहने में भी दुःख होता है कि हमारे देश में पेयरेन्ट्स को, माता पिता को, अपने बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य को जितना समझना चाहिये, उतना वे नहीं समझते हैं । मैं यह कहना चाहती हूं कि चिल्ड्रेन हमारे देश का सबसे बड़ा धन हैं । उन को कैसे आगे बढ़ाया जाये, उनके लिये कैसा एनवायरनमेंट बनाया जाये, यह सारे देश के लिये सोचने की बात है । लेकिन हम देखते हैं कि आज इस देश में ऐसी हालत नहीं है कि जिसमें बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिल सके और उन पर अच्छे संस्कार डाले जा सकें । इस बारे में खास तौर से विचार किया जाना चाहिये ।

आज हमारे देश में ऐसा वातावरण ऐसा वायु-मण्डल बन गया है, जिसमें सारे समाज में वैल्यूज लुप्त होती जा रही हैं और हम सुपरफ्लुअस और आर्टिफिशल लाइफ़ में पड़ते जा रहे हैं । इस अवस्था में मैं यह समझती हूं कि चाहे हम ऐसे कई विधेयक सदन के सामने रखें, तो भी हमारा कोई मक़सद बर नहीं आयेगा । मुझे माफ़ कीजिये, लेकिन मैं समझती हूं कि आज हमारे देश में फ़िल्म्ज़ और सिनेमा हमारे बच्चों को बिगाड़ रहा है और डेलीक्वेंट बना रहा है । आवश्यकता इस बात की है कि फ़िल्म्ज़ का अच्छी तरह से सेन्सर होना चाहिये, जो कि आज ठीक तरह से नहीं होता है । हमारे छोटे छोटे बच्चे डेलीक्वेंसी की बातें ज्यादातर फ़िल्म्ज़ में देखते हैं और उनसे उन के माइन्डज़ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है । अगर इस बात का सर्वे किया जाये कि बच्चों को बिगाड़ने में ज्यादा से ज्यादा किस का हाथ है, तो मुझे विश्वास है कि फ़िल्म्ज़ भी उसका सबसे बड़ा कारण पाई जायेंगी । मैं एजूकेशन मिनिस्टर से प्रार्थना करती हूं कि फ़िल्मों के ऊपर हमारा कुछ ज्यादा कण्ट्रोल हो और, जैसा कि सब की मांग है, अगर सेन्सर बोर्ड को कुछ रेगुलेट किया जा सके, तो हमारा आधा काम बच जायेगा ।

हम कहते हैं कि हमारे बच्चे अनकंट्रोलेबल हैं, इनडिसिप्लिन्ड हैं । लेकिन प्रश्न यह है कि उनको क्या चाहिये । उन में शक्ति भरी हुई है, जिसके लिये एक्सप्रेशन के साधन होने चाहियें । उनको इस बात का मौका मिलना चाहिये कि उनमें जितनी ताकत है, उसको वे एक्सप्रैस कर सकें । हमारे देश में सामाजिक एवं राजकीय परिस्थिति ऐसी है, जिसकी वजह से बच्चों को ऐसा मौका नहीं मिलता है और इस कारण उनकी शक्ति का बहुत ह्रास हो रहा है ।

माननीय सदस्या, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती, ने कहा है कि सबसे बड़ा सवाल चिल्ड्रेन्ज़ एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन का होता है । इस विषय में मेरी शिकायत यह है कि जब इस प्रकार का कोई बिल बनता है, तो

रूल्ज़ पर उसके इम्प्लीमेंटेशन का ज्यादा भार छोड़ देना खतरनाक होता है. क्योंकि इम्प्लीमेंट करने वाले बहुत छोटे छोटे आफ़िसर होते हैं, जो कि अपने दिमाग़ से चलते हैं और कभी कभी इतने रिजिड हो जाते हैं कि हमारा उद्देश्य, हमारा आबजैक्ट ही मर जाता है। यह बिल्कुल ज़रूरी है कि इस बारे में जो कोर्ट बनेगी, उसका कुछ दूसरा तरीका होगा। जैसा कि पहले भी कहा गया है, अगर सिर्फ़ क्रिमिनल लाज़ पर ध्यान देकर हम चले, तो फिर हम को कोई खास फ़ायदा नहीं होगा। जहां तक स्पेशल स्कूल्ज़ का सम्बन्ध है, हमें ऐसे होम्ज़ स्पेशल स्कूल्ज़, चिल्ड्रेन्ज़ होम्ज़ और दूसरी संस्थायें देखने का मौका मिला है, जिनमें इस तरह काम होता है मानो वे पुरानी रेफ़र्मेटरी या यतीमखाने हों। उस तरफ़ खास ध्यान दिया जाना चाहिये और ऐसी संस्थाओं में ऐसी सुविधा दी जाये कि बच्चों को अच्छा खाने पीने को मिले और उनके लिये अच्छी एजूकेशन की व्यवस्था हो, ताकि उनका मेन्टल और फ़िज़िकल डेवेलपमेंट हो। अगर ऐसा न किया जा सका, तो यह बिल बिल्कुल फ़ेल हो जायेगा।

जहां तक नेग्लेक्टेड चिल्ड्रेन और डेलीक्वेंट चिल्ड्रेन का सवाल है, हमारे देश में नेग्लेक्टेड चिल्ड्रेन की तादाद ज्यादा ही रहेगी, जबकि डेलीक्वेंट चिल्ड्रेन की तादाद कम होगी और उन में भी हैबिचुअल आफेंडर्ज़ की तादाद तो बहुत कम रहेगी। उनमें से हर एक के लिये हम को अलग अलग इलाज करना पड़ेगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह एक बड़ा ह्यूमेन प्राबलम और साइकालिजिकल प्रोबलम है। यदि इस बात को ध्यान में रख कर हम इस सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे, तभी हम बच्चों का सुधार कर सकेंगे और उनको रीहैबिलिटेट कर सकेंगे, वर्ना स्थिति यह होगी कि जितने समय वे हमारे पास रहेंगे, तब तक ठीक रहेंगे, और बाहर जाकर पहले ढंग से काम करने लगेंगे।

इस विषय में एक बात कहने में मुझे दुख और शर्म होती है कि लड़कियों के बारे में जो स्थिति इस समय है, उसकी व्यवस्था इस बिल में नहीं की गई है। जहां तक मेरा अनुभव है, ज्यादातर लड़कियां ऐसी हैं, जो कि इस एक्ट के नीचे आयेंगी, लेकिन इम्मारल ट्रैफ़िक की रोक-थाम करने के लिये यह आवश्यक है कि इस बिल में लड़कियों की एज जो अठारह साल रखी गई है, उसको बीस साल तक बढ़ा देना चाहिये।

†**सभापति महोदया** : लड़कियों के लिये पहले से ही २० वर्ष है।

†**श्रीमती जयाबेन शाह** : मेरा विचार है कि यह १९ या १८ वर्ष है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : लड़कियों के लिये १८ वर्ष।

†**श्रीमती जयाबेन शाह** : जब हमने सौराष्ट्र में ऐसा बिल बनाया तो बहुत सी लड़कियों को उसके नीचे रखा, लेकिन एज के बारे में इतना झगड़ा हुआ कि उनको छोड़ देना पड़ा। ऐसा होता है कि जब लड़कियां छोटी छोटी होती हैं, तो कुछ व्यक्ति उनको उठा कर ले जाते हैं और उन को पाल कर बड़ा करते हैं और फिर उनसे प्रास्टीच्यूशन करवाते हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि ऐसे केसिज़ भी इस कानून के नीचे आयें और ऐसे व्यक्तियों को गार्डियनशिप प्रूव करनी पड़े। ऐसे मामले भी चिल्ड्रेन्ज़ कोर्ट के पास जायें और इसके साथ ही जो अपील का राइट रखा गया है, उसके बारे में कुछ विचार करना चाहिये। हम अक्सर देखते हैं कि हम किसी बहन को बहुत तकलीफ़ उठा कर बचाते हैं, लेकिन वे लोग अपील में छूट जाते हैं। ऐसी कैटेगरी के लिये कोई खास सुविधा होनी चाहिये, वर्ना इस कानून का खास फ़ायदा उन बच्चों को नहीं पहुंचेगा।

इम्मारल ट्रैफ़िक के मामलों से सम्बन्धित लड़कियों का सारे का सारा नाता प्रास्टीच्यूशन के साथ है। इसलिये जब तक हम प्रास्टीच्यूशन को रेगुलेट और प्राहिबिट नहीं कर सकेंगे, तब तक उसको हम इस ऐक्ट से बन्द नही कर सकेंगे। बच्चों को बचाने के साथ ही साथ यह भी हमारा फ़र्ज़ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती जयाबेन शाह]

इसके बाद मैं आफ़टर केयर होम्ज़ के बारे में कुछ कहना चाहती हूं । मैं मानती हूं कि चिल्ड्रेन्ज़ कोर्टस दूसरी कोर्टस से अलग हैं, लेकिन लोग तो समझते हैं कि उनका बच्चा जेल में गया है । वे यह नहीं समझते कि उस बच्चे के सुधार और रिफ़ार्म के लिये व्यवस्था की गई है । इसलिये जब वह बच्चा बाहर आता है, ो लोग उसको स्वीकार नहीं करते हैं । वे कहते हैं कि यह क्रिमिनल है, ऐसा है, ैसा है, स अवस्था में आफ़टर केयर एसोसियेशन बनना बहुत ज़रूरी है । मैं मानती हूं कि गवर्नमेंट के पास इतनी मशीनरी नहीं है कि वह सके लिये कु कर सके । मैं यह प्रार्थना करती हूं कि जिन यूनियन टेरीटोरीज़ में इस को लागू किया जाये, वहां आफ़टर केयर एसोसियेशनज बनाई जायें और इस बारे में पूरा पूरा बन्दोबस्त हो कि बच्चों को इंडस्ट्रीज़ में ट्रेनिंग दी जाये, उनको अच्छी एजूकेशन दी जाये, ताकि वहां से बाहर आकर वे अपने पांव पर खड़े हो सकें और समाज में उचित स्थान पा सकें ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल को वैलकम करती हूं और एजूकेशन मिनिस्टर महोदय को धन्यवाद देती हूं ।

†**डा० अचमम्बा** (विजयवाड़ा) : आज इस विधेयक की बड़ी आवश्यकता थी, अतः इसका स्वागत है ।

अभी तक उपेक्षित बच्चों तथा अपचारी बच्चों में कोई अन्तर नहीं माना जाता था और ोनों के साथ एक-सा ही व्यवहार किया जाता था । प्रसन्नता की बात है कि अब दोनों को भिन्न भिन्न मान कर उनके लिये प्रयत्न किया जायेगा ।

अनेक बार बच्चों के मामलों में बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं । उनसे उनके मां-बाप का पता ले लेना बहुत कठिन काम होता है । अपचारी बालक कई प्रकार के होते हैं । कुछ ऐसे होते हैं, जिनके बारे में जानकारी प्राप्त करके हम उन्हें तुरन्त घर जानेके लिये छोड़ देते हैं, पर कुछ ऐसे होते है, जिन्हें काफी समय तक रखना पड़ता है ।

अभी तक बच्चों के न्यायालय के मजिस्ट्रेट अवैतनिक होते थे और अधिकतर महिलाओं को मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है । मैं जानना चाहती हूं कि आगे क्या मजिस्ट्रेट अवैतनिक होंगे या वैतनिक । इस काम के लिये महिलाओं को ही रखा जाना चाहिये । बच्चों की समस्या महिलायें ही अच्छी तरह समझ सकती हैं । मजिस्ट्रेट तो महिलाओं को ही नियुक्त किया जाना चाहिये, अन्य पदों पर पुरुषों को नियुक्त किया जा सकता है ।

मेरा कहना है कि न मजिस्ट्रेटों को अवैतकि रखा जाना चाहिये अन्यथा हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पायेगा । हमें बच्चों के प्रति मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है न कि दण्ड देने का ।

इन पदों के लिए कोई डिग्री या डिप्लोमा की शर्त होना ठीक नहीं है, हां, यदि सरकार चाहे, तो कुछ ट्रेनिंग दे सकती है ।

विधेयक में कहा गया है कि 'अवैध' बच्चों के मां-बाप से उनका खर्च लिया जायेगा । उनसे खर्च लिया जाये, यह ठीक है, पर 'अवैध सन्तान' शब्द हमारी संस्कृति व परम्परा की दृष्टि से सर्वथा अनुचित है । इस शब्द को विधेयक से निकाल दिया जाना चाहिए । बच्चे पर किसी प्रकार का कलंक नहीं लगने दिया जाना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अपचारी बच्चों की देख-रेख मनोवैज्ञानिक ढंग पर की जानी होगी। इसके लिए मनोवैज्ञानिकों को रखना होगा। बच्चों की समस्या को अच्छी तरह समझने के लिए इनकी अदालतों में मनोवैज्ञानिकों को भी रखा जाना चाहिए।

सब से महत्वपूर्ण काम है यह पता लगाने का कि बच्चा अपचारी क्यों बन जाता है। उसे फुसलाने या बिगाड़ने वाले लोग कौन हैं। इन बच्चों को अपराधी लोगों के चंगुल से छुड़ाया जाना चाहिए।

ऐसे बच्चों को गोद लेने सम्बन्धी बात उचित है। पर उनको देख-रेख में रखने के बाद जब उन में समुचित सुधार दिखाई पड़ने लगे, तभी उन्हें गोद लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। हम चाहते हैं कि ऐसे बच्चों को जल्दी से जल्दी समाज में समुचित स्थान उपलब्ध कराया जाये, अतः उनकी स्थिति सुधर जाने पर उन्हें गोद लेने की अनुमति देना उचित होगा।

यदि बच्चों का समुचित सुधार होने के पूर्व उन्हें गोद दे दिया जायेगा, तो हो सकता है कि वे अपने पुराने ढर्रे पर चल निकलें, जो कि बहुत ही बुरा होगा। इसके अलावा जैसा कि श्रीमती रेणुका राय ने कहा है कि उनके सम्बन्ध में यह व्यवस्था करना आवश्यक है कि बाल-गृहों से जाने के बाद उनके लिए किसी काम-धन्धे की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए ताकि वे समाज में अपना समुचित स्थान प्राप्त कर सक। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो १८ वर्ष की आयु के बाद इन गृहों से निकली लड़कियों के सामने जीवन यापन का कोई रास्ता नहीं होगा और मजबूरन उन्हें गलत रास्ता अपनाना होगा। अतः उनके लिए कुछ न कुछ काम धन्धे की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए।

मेरा अनुभव है कि इन स्कूलों में बच्चों को ऐसे ढंग से रखा जाता है कि वे समाज के प्रति कटुता ले कर बाहर आते हैं। यह कोई अच्छी बात नहीं है। इसका कारण यही है कि बच्चों को इन गृहों में ऐसा वातावरण मिलता है।

अतः मेरा निवेदन है कि इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए और उनके प्रति मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यवहार किया जाना चाहिए।

†श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : हमारे देश के लिये जहां कि जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ यही है और जहां अधिकांश बालकों के उचित लालन पालन की कोई व्यवस्था नहीं है इस प्रकार का विधेयक बहुत पहिले ही पारित हो जाना चाहिए था, तो भी मैं सरकार को इस विधेयक के लिये बधाई देता हूं। निस्संदेह राज्य का यह कर्त्तव्य है कि प्रत्येक बालक का लालन पालन उचित तरीके से किया जाय तथा उनकी बदमाशों तथा अन्य बुरे व्यक्तियों से रक्षा की जाय। अधिकांश बालक केवल उचित आश्रय न मिलने या परिस्थितियों के वश खराब सोहबत में पड़ जाने के कारण ही अपराधी बनते हैं। अतः निराश्रय और अपकारी बालकों की रक्षा करनी चाहिये।

इस विधेयक के अधीन निराश्रय बालकों के लिये बालगृहों तथा अपकारी बालकों के लिये विशेष स्कल खोलने की व्यवस्था की गयी है।

विधेयक के खंड २१(४) में यह कहा गया है कि विशेष स्कूलों में बालक के धर्म के विरुद्ध कोई उसे कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी मेरे विचार से यह उपबंध बालगृहों में भी लागू होना चाहिये।

मेरे विचार से सरकारी बालगृहों को खोलने से यह अच्छा होगा कि गैर-सरकारी संस्थायें यथा रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज और नगरपालिकाओं से अपने अपने बालगृह खोलने को कहा जाय इसका कारण यह है कि सरकार को ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो कि इस प्रकार का कार्य उचित ढंग से

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्र० के० देव]

कर सकते हैं । इसके लिये महिलायें हीं उपयुक्त हो सकती हैं । अतः गैर-सरकारी संस्थाओं को इस सम्बन्ध में प्रोत्साहन देना उचित है ।

इसके अतिरिक्त मेरा सुझाव यह है कि कुछ बालगृहों का निर्माण करने से कोई लाभ नहीं होगा । हमें ऐसे बालकों की नियमित गणना करनी चाहिये और उनके लिये पर्याप्त स्कूल खोलने चाहियें तब कहीं जा कर इस समस्या का हल हो सकता है ।

इस विधेयक के प्रयोजन के लिये लड़के की आयु १६ वर्ष और लड़की की आयु १८ वर्ष रखी गयी है मेरा विचार है कि लड़के की आयु बढ़ा कर उसे २० वर्ष कर दिया जाय ।

जहां तक भिखारी बालकों का प्रश्न है हमें चाहिये कि हम उनके बालकों को उन से हटा कर बालगृहों में रखें जिससे कि वे भीख मांगना न सीखें । यह स्मरण रखना चाहिये कि देश से भिखारियों की समस्या का हल करने के लिये उन्हें उचित रोजगार देना और उनकी आर्थिक अवस्था में सुधार करना आवश्यक है । कोढ़ियों के बालक भी उनके पास से हटा लिये जाने चाहियें ।

इस समय यह विधेयक केवल केन्द्र द्वारा प्रशासित प्रदेशों में ही लागू होगा तथापि मेरा सुझाव है कि केन्द्र को यथाशीघ्र इस विधेयक में संशोधन करने के पश्चात सम्पूर्ण देश के लिये एक विधेयक पारित करना चाहिये और समस्त राज्यों को यह निदेश भेजना चाहिये कि वे भी अपने क्षेत्रों के लिये इसी प्रकार के विधेयक पारित करें । जहां तक पुलिस द्वारा हस्तक्षेप करने का प्रश्न है मेरे विचार में पुलिस द्वारा कम से कम हस्तक्षेप किया जाना चाहिये ।

श्रीमती उमा नेहरू (सीतापुर) : सभानेत्री महोदया, पेश्तर इसके कि मैं इस बिल पर कुछ कहूं मैं एजुकेशन मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्टर साहब को बहुत मबारकबाद देती हूं कि आज वह दिन आया कि यह चिल्ड्रेंस बिल इस हाउस में आया । इस चिल्ड्रेन बिल के बारे में मैं समझती हूं कि पिछले ६, ७ साल से इसका जिक्र मैं सुनती चली आती हूं कि इस तरह का एक ऐक्ट बच्चों के लिए बनने वाला है । इस बिल को तैयार करने और इम्प्रूव करने के लिए जो ज्वाएंट कमेटी बैठाई गई थी उसमें मैं भी थी और हमने वहां इस बिल के हर एक क्लाज को बहुत अच्छी तरह से देखा भाला और जहां तक हम से बन पड़ा हमने इस बिल को सुधार कर मौजूदा शकल में तैयार किया ।

जैसे कि श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कई चीजें बताईं और प्रोबेशन आफिसर्स के नाम का जिक्र किया और कहा कि यह ठीक नहीं है और मैं भी इस चीज को मानती हूं कि यह शब्द जरूर हमारे कानों को कुछ बुरा सा लगता है लेकिन हमारे यहां और कोई दूसरा नाम अभी आया नहीं है और पश्चिमी देशों में जैसे कि बच्चों के वास्ते आफटर केयर आरगनाइजेशंस हैं मसलन चिल्ड्रेन नर्सरीज या चिल्ड्रेन होम्स और औबजरवेशन होम्स वगैरह होते हैं हमारे वहां अभी ऐसी व्यवस्था नहीं हो पायी है और हम अभी उस दिशा में शुरुआत ही कर रहे हैं । पश्चिम में इन संस्थाओं के नाम भी अलग अलग हैं और उन में बच्चों के साथ बर्ताव अलग अलग होता है । इस बिल के बारे में मुझे यही कहना है कि बच्चों की साइकालोजी को समझना और उस के मुताबिक काम करना एक बड़ी सख्त मुश्किल चीज़ है । मेरी राय में यह बिल बड़ा कठिन और सख्त है और इस को चलाना आसान काम नहीं है । थर्ड फ़ाइव यीअर प्लान हमारे सामने है । उसके साथ साथ हम को अपनी नेशन को, अपने राष्ट्र को बनाना है, जिसका मतलब यह है कि हम को देश के हर एक व्यक्ति को तैयार करना है, खासकर बच्चों को तैयार करना है । बच्चों को तैयार करने के बारे में यह सवाल हमारे सामने आता है कि हम किन हाथों से बच्चों को तैयार करें । हमारे मिनिस्टर साहब पुरुष हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन हम को ऐसा लगता है कि पुरुषों के हाथ से यह काम होने वाला नहीं है । इसलिए नहीं कि पुरुषों में

कोई कमी है, बल्कि इस लिए कि स्त्री को भगवान के घर से ही बच्चों की देख-भाल करने का गुण मिला है। उनका ध्यान रखना, उन की देख भाल करना उसका धर्म है। नेचर ने उस को ऐसा बनाया है। जिस पुरुष को पाल-पोस कर, अच्छी बातें सिखा कर मां ने बड़ा किया है, वह यह नहीं कह सकता कि अगर उस के पालन-पोषण में उस की मां का हाथ न होता, तो वह खुद-ब-खुद बड़ा हो जाता और सब कुछ सीख जाता। मां बच्चों के लिए सैक्रीफ़ाइस करती है। इसलिए इन व्याख्यानों को सुन कर मुझे लगता है कि इस बिल को चलाने के लिए हम को बहुत सारे मसाले की ज़रूरत है, मसलन होम्ज़, आफ़िसर्ज़ और कचेहरियां वग़ैरह। लेकिन सब से पहले हम को ऐसे लोगो को तैयार करना है, जो चाइल्ड साइकालोजी को समझते हैं, जिन के हृदय में दया हो, जो बर्दाश्त करना जानते हों, जो बच्चों को ज़रा ज़रा सी बात पर चपत और चांटा न लगायें। अगर हम इन होम्ज़ को चलाने के लिए ऐसे लोगों को तैयार कर पायें, तभी हम इन बच्चों को अच्छे सिटीज़न्ज़ बना सकेंगे अगर ऐसा न हुआ, तो बच्चों को इस बिल से कोई लाभ नहीं होगा। मुझे बच्चों से और खासकर उन की शिक्षा से बहुत शौक है। जो लोग मान्टेसरी सिस्टम को जानते हैं और बच्चों की साइकालोजी को समझते हैं, उन को मेरी तरह यह जान कर हैरत होगी कि मैं ने जो मान्टेसेरी स्कूल देखे हैं, जहां अच्छे बच्चे पढ़ते हैं, उन में टीचर को ज़रा भी पेशेन्स नहीं है, कोई सब्र नहीं है कि बच्चे को समझायें। अगर बच्चा ज्यादा सवाल करता है, तो उस को डांट कर, मार कर बिठा दिया जाता है। यह इस वक्त भी मान्टेसेरी स्कूल में हो रहा है। जब हमारी एजूकेशन की यह हालत है, तो फिर उन होम्ज़ की हालत क्या होगी, जहां मामूली बच्चे नहीं, बल्कि ग़ैर-मामूली बच्चे रखे जायेंगे? इसलिए वहां पर औरतों को मुकर्रर करना ज़रूरी है। मर्दों को भी रखा जाये, लेकिन औरतों को रखना ज्यादा ज़रूरी है।

जैसा कि डा० अचमम्बा ने कहा है, इस बिल में हर एक चीज़ के बारे में एक औरत का ज़िक्र है। मेरे ख्याल में ज्यादा मुनासिब होगा, अगर और औरतों को रखा जाये और रखना पड़ेगा, अगर हम इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वह गाड़ी चल नहीं सकती है, अगर इस काम में औरतों का हाथ ज्यादा न हो।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय (प्रतापगढ़) : इस में यह कहा गया है कि कम से कम एक हो। ज्यादा भी हो सकती हैं।

श्रीमती उमा नेहरू : एक से काम नहीं चल सकता है।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : ज्यादा भी हो सकती हैं।

श्रीमती उमा नेहरू : बच्चों का भीख के लिए हाथ फैलाना और भिक्षा मांगना बहुत तकलीफ़-देह है। जहां तक हो सके, इस को जल्दी बन्द करना चाहिए। जहां तक इस में पुलिस का ताल्लुक है, कुदरती तौर पर हम को पुलिस की वर्दी बुरी लगती है। और उस को देख कर हम परेशान हो जाते हैं। यह अच्छा नहीं लगता है कि जो आदमी बच्चों को पकड़े और कचहरी वग़ैरह में ले जाये, वह पुलिस की वर्दी पहने हुए दिखाई दे। वह पुलिस वाला भले ही हो, लेकिन वह सादे कपड़ों में हो, तो अच्छा होगा। बच्चों के माइन्ड को डेवेलप करने के लिए, उन को सुधारने के लिए निहायत अच्छी फ़िज़ा की ज़रूरत है। यह नहीं होना चाहिए कि एक पुलिस वाला घसीट कर उन को कोर्ट में ले जाये। मुझे यकीन है कि मिनिस्टर साहब इस पर ग़ौर करेंगे।

मुझे यह भी यकीन है कि इन होम्ज़ को खोलने में कोई जल्दबाज़ी नहीं की जायगी। सोशल वैलफ़ेयर बोर्ड ने आफ़टर केयर होम खोले हैं। जब तक सरकार के पास मुनासिब आदमी तैयार

[श्रीमती उमा नेहरू]

न हों, इस काम को करने के लिये स्त्रियां तैयार न हों, तब तक इन होम्ज़ को नहीं खोलना चाहिये, क्योंकि जब तक नींव मज़बूत नहीं होंगा, जब तक पक्की ईंटों से नींव नहीं डाली जायगी, तब तक मकान ठीक तरह से नहीं बनाया जा सकता है। आजकल तो ऐसा मालूम होता है कि हर एक के पीछे शैतान दौड़ रहा है। इस तरीके से सब काम कर रहे हैं। अगर इस बारे में जल्दी जल्दी काम किया जायगा, तो वह सिर्फ़ दिखावट होगी, असलियत नहीं होगी। मैं मिनिस्टर साहब से कहूंगी कि इस में दिखावट बिल्कुल न हो, असलियत हो। एजूकेशन में हम को दिखावट की ज़रूरत नहीं है।

फ़ारेन कन्ट्रीज़ में जब हम जाते हैं, तो वहां की नर्सीज़ को देख कर हैरत में पड़ जाते हैं। बच्चों के साथ वे किस तरह से बात चीत करते हैं, उन को एजूकेशन कैसे दी जाती है, ये लाजवाब चीज़ें हैं, जो हम को उन से सीखनी चाहियें।

मैं फिर मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देती हूं और मुझे खुशी है कि आज इतने दिन बाद यह चिल्ड्रन्ज़ बिल आया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सब भाई बहन इस में मदद करेंगे और यह देखेंगे कि इस बिल पर कामयाबी से अमल हो और हर एक ग़रीब और भिखारी बच्चा देश का अच्छा सिटिज़न हो और सिटिज़न के पूरे राइट्स उस को मिलें।

श्री यादव नारायण जाधव (मालेगांव) : सभानेत्री जी, जिस बिल पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, उस का ताल्लुक एक ऐसे सवाल से है, जिस के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ भी चिन्तित है। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में बाल अपराधियों के बारे में चर्चा होने वाली है और इस सम्बन्ध में एक कांफ़रेंस होने वाली है। हमारे देश में इस समस्या की क्या स्थिति है, हर स्टेट में इस के बारे में क्या अनुभव है और इस को मिटाने के लिये हर स्टेट में जो प्रयोग किये गये हैं, उस के बारे में मान्यवर मंत्री महोदय हमारे सामने कुछ बातें रखेंगे। इतना ही नहीं, जब संयुक्त राष्ट्र संघ में इस के बारे में चर्चा होगी, तो मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान के कुछ प्रतिनिधि वहां जायेंगे और वहां पर, इस समस्या का यहां क्या स्वरूप है, यह रखने की कोशिश करेंगे, ऐसा मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं। आज जो बिल सदन के सामने है उस के बारे में, जैसा श्रीमती उमा नेहरू ने कहा, छः सात साल के पहले से इस सदन में चर्चा थी। अभी अभी माननीय मंत्री श्री पंजाब राव देशमुख ने मुझ से कहा था कि वे जब आर्डिनरी मेम्बर थे तो उन्हों ने ऐसा ही बिल सदन के सामने रक्खा था, लेकिन उस बिल पर उस वक्त चर्चा नहीं हो सकी। यह बिल सदन के सामने आया है। अब जो इस का स्वरूप है, उसे हमें देखना पड़ेगा। जिन बातों के ऊपर खास जोर दे कर यह बिल रक्खा गया है अर्थात् अपराधी बालकों के बारे में और जो नेगलेक्टेड चिल्ड्रेन या दुर्लक्षित बच्चे हैं, उन के बारे में, उन के ही सम्बन्ध में इस में चर्चा है। हिन्दुस्तान की जो आज हालत है, जोकि एक अर्द्धविकसित देश है, उस को देखते हुए हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। यह भी मैं जानता हूं कि जो विकसित देश हैं उन के सामने भी यह समस्या है क्योंकि बाल अपराधियों की संख्या उन देशों में भी कम नहीं है। भारत सेवक समाज की तरफ से बाल स्वास्थ्य के ऊपर जो एक साप्ताहिक निकलता है उस के १३ दिसम्बर के अंक में बाल अपराधियों की समस्या के बारे में एक छोटा सा आर्टिकल शाया हुआ है। सारे देश में यह समस्या कैसी है, उस में इस के बारे में लिखा गया और राष्ट्र संघ इस के बारे में कुछ न कुछ हल ढूंढ निकालेगा ऐसा उस में कहा गया है। लेकिन अभी श्रीमती जयाबेन शाह ने जो कहा मैं उस बात को मानता हूं कि समाज में जो यह समस्या पैदा होती है उस को पैदा न होने देने के लिये हम क्या कर सकते हैं। उन्हों ने यह भी कहा था कि "प्रिवेंशन इज़ बैटर दैन क्योर"। हिन्दुस्तान में बाल अपराधियों के दूसरे हिस्सों को छोड़ कर हम ने इस में केवल नेगलेक्टेड चिल्ड्रेन को लिया है। किन्तु सब से बड़ा सवाल जो मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं वह यह है कि हिन्दुस्तान के जो सर्वसाधारण

आदमी हैं, उन की जो आर्थिक हालत है उस को हम देखें । देहात में रहने वाले किसान, शहरों में रहने वाले मजदूर, मिल में काम करने वाले और दफ्तर में काम करने वाले बाबू की आर्थिक हालत ऐसी है कि उसे अपने बच्चों की तरफ देखने का टाइम नहीं मिलता है ।

अभी अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि इस बिल पर बोलने के लिये वे इस सदन की महिलाओं को पहले समय देंगे । यह बात मैं मानता हूं कि हमारे देश के बच्चों को सही रास्ते पर ले जाने के लिये ज्यादा से ज्यादा काम हमारी मातायें और बहनें कर सकती हैं । लेकिन आज की सामाजिक हालत में और आर्थिक हालत में क्या हमारे सदन की मातायें कह सकती हैं कि समाज में जो महिलायें हैं उन्हें अपने बच्चों की तरफ देखने का टाइम मिलता है ? इतना ही नहीं आज की मातायें अपने बच्चों को दूध पिलाने का टाइम भी नहीं दे सकती हैं और न ही उन के स्तनों में दूध है, यह हमारे देश की आर्थिक हालत है । ज्यादा से ज्यादा एक या दो महीने तक मायें बच्चों को अपने स्तन का दूध पिला सकती हैं । उस के बाद उन के स्तनों में दूध नहीं रहता । ऐसी हालत है हमारे देश की औरतों की । जब ऐसी हालत है हमारे देश की औरतों की कि जिन्दा रहने के लिये उन को घर के बाहर काम करना पड़ता है और बच्चों को देखने का समय नहीं मिलता, तब हमारे हिन्दुस्तान में नेगलेक्टेड बच्चों की तादाद, जिन की तरफ हम तवज्जह नहीं दे सकते, जिन की देख भाल नहीं कर सकते, कितनी होगी ।

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि दुर्लक्षित बच्चों में भिखारियों के बच्चे भी आयेंगे । समाज में जो भिखारी हैं वे किस की गलती से हैं ? आजाद भारत १३ साल बाद भी हमारे देश की गरीबी को खत्म नहीं कर सका । आप बड़े बड़े शहरों में जायें, तीर्थ क्षेत्रों में जायें, रेलवे स्टेशनों पर जायें, भिखारियों की भीड़ लगी रहती है । कुछ लोगों का धन्धा हो बैठा है भीख मांगने का, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब उन्हें भीख मांगने के अलावा कोई चारा नहीं रहता है । भीख मांगना ही उन का पेशा बन जाता है । समाज में काम नहीं मिलता है । काम करने के लिये आदमी तैयार होता है, लेकिन फिर भी काम नहीं मिलता है । हिन्दुस्तान में हर चीज की कीमत है, लेकिन एक चीज ऐसी है जिस की बाजार में कीमत नहीं है, और वह है आदमी । उन में नौजवान हैं, छोटे बच्चे हैं । वे अपना श्रम बेचने के लिये बाजार में खड़े रहते हैं लेकिन उन के श्रम को लेने के लिये कोई तैयार नहीं है । जब ऐसा समय आ जाता है तो मनुष्य उकता जाता है, काम से नफरत करने लग जाता है क्योंकि वह काम करने के लिये तैयार है पर काम नहीं मिलता है । ऐसे समाज में रहने वाले जो बच्चे हैं उन की मन की प्रवृत्ति इसलिये और बिगड़ जाती है कि समाज में जो एक दूसरा हिस्सा है जिस के पास जिन्दगी में चैन करने के लिये या जिन्दगी की दूसरी जरूरियात को पूरा करने के लिये पैसा होता है, साज सामान होता है, उन के आराम और चैन को देख कर इन बच्चों के दिल में यह बात आती है कि आखिर हिन्दुस्तान में रहने वाले लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जिन को यह सब चीजें नहीं मिलती हैं । एक ओर इस देश में ऐसे बच्चे हैं जिन के पास अच्छे अच्छ गरम कपड़े हैं, लेकिन दूसरी ओर ऐसे बच्चे हैं जिन के पास सर्दी से बचने के लिये कपड़े नहीं हैं । जब भी हम रेल में सफर करते हैं तो देखते हैं कि हजारों बच्चे ऐसे हैं जिन के पास कपड़े नहीं हैं । उन के शरीर की तरफ देखें तो उन के बदन पर गर्द होती है, उन के बदन से बू आती है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ी समस्या है जिस को कि हमें देखना पड़ेगा ।

मैं ने यह जो समस्या आप के सामने रक्खी है उस को हल करने के लिये हमारे पास कितने साधन चाहियें, कितनी बड़ी मैशीनरी लगेगी, इस की ओर मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । राज्य सभा में जब उस मैशीनरी के बारे में सवाल उठाया गया तो माननीय मंत्री ने कहा कि हमारे पास बीस स्कूल्स हैं, संस्थायें हैं, जिन में हम इस समस्या को हल

[श्री यादव नारायण जाधव]

करने के लिये ५०० आदमियों को ट्रेन कर सकते हैं। यह संस्थायें केवल यूनियन टेरीटरीज़ में ही हैं या पूरे देश में हैं, इस के बारे में उन्हों ने साफ साफ कुछ नहीं कहा। मैं उन से कहूंगा कि इस के बारे में भी वे अपने जवाब में जरा रोशनी डालें। इस बिल के प्राविजन्स बहुत अच्छे हैं। हमारे राष्ट्रपति जी सदन के सामने जब हर साल तकरीर करते हैं तो हमारी स्टैट्यूट बुक में कौन कौन से नये कानून आये हैं, इसे बतलाने की कोशिश करते हैं। इस साल भी जब उन की तकरीर होगी तो वह बतायेंगे। उन को खुशी होती है, लेकिन यह जो सोशल लेजिसलेशन होते हैं उन को अमल में लाने के लिये जो अधिकारी लोग होते हैं उन में एक तरीके की एपेथी होती है, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। जो सोशल लेजिस्लेशन हमारे यहां पास हुआ है, चाहे वह प्राहिबिशन का हो या दूसरा हो, हम उसे ऐसे नजरिये से देखते हैं कि हम ने जो कुछ लेजिसलेशन पास किया है वह अमल में लाया गया है, सकसेसफुल हो गया है। इस तरीके से इन लेजिस्लेशन्स की तरफ न देखा जाय यह मैं अर्ज करना चाहता हूं।

राज्य सभा में यह पूछा गया कि यह जो बच्चे हैं उन को रिहैबिलिटेट करने के लिये जिन संस्थाओं में उन को पढ़ना पड़ेगा और जहां उन का कैरेक्टर बनेगा, उस के लिये कितना पैसा थर्ड फाइव इयर प्लान में रखा गया है, लेकिन इस के बारे में मान्यवर मंत्री महोदय जवाब नहीं दे सके। मैं चाहूंगा कि ये सब बातें संयुक्त राष्ट्र के सामने रखी जायें, हमारे हिन्दुस्तान की पूरी समस्या, इस बिल को अमल में लाने के लिये पूरी मैशीनरी, और जो कुछ जिम्मेदारी हम ले रहे हैं उस के लिये पैसा और अमल में लाने के लिये जो जिद है वह रखेंगे तो इस सोशल लेजिसलेशन को सदन के सामने रखने का फायदा होगा ऐसा मैं समझता हूं।

†स्वामी रामानन्द तीर्थ (औरंगाबाद) : यह विधेयक काफी व्यापक है, इस विधेयक के अन्तर्गत संघ क्षेत्रों में उपेक्षित बालकों की देख रेख सुरक्षा पालन, कल्याण तथा प्रशिक्षण आदि का उपबन्ध किया गया है।

इस समस्या का मुख्य पहलू आर्थिक है तथापि देश की आर्थिक अवस्था में लोकतंत्रात्मक ढंग से हम शीघ्र सुधार नहीं कर सकते हैं, अतः यह आवश्यक है कि हम ऐसी व्यवस्था करें कि जिस्से वर्तमान अर्थव्यवस्था की बुराइयां कम से कम हों।

विधेयक के खंड २१ का उपखंड (४) बहुत महत्वपूर्ण है। उस के अधीन यह व्यवस्था की गई है कि विशेष स्कूलों में, या ऐसा कोई व्यक्ति जिस के अधीक्षण में बालक रहें, बालकों को उस के धर्म के विरुद्ध शिक्षा न दी जाय। मैं इस उपबन्ध से सहमत हूं। खंड २१ भी इस दृष्टि से उचित है कि अपराध प्रवृत्ति वाले बालक को जेल इत्यादि में न भेज कर बाल गृहों में भेजने की व्यवस्था की गई है।

मैं श्रीमती उमा नेहरू से इस बात में सहमत हूं कि ऐसे गृहों को खोलने में शीघ्रता न की जाय। सरकार की प्रवृत्ति यह होती है कि किसी विशेष मद का रुपया शीघ्र से शीघ्र व्यय किया जाय। यह प्रवृत्ति अच्छी नहीं है विशेषतः इस सम्बन्ध में यह संभावना है कि इस प्रकार के गृह वैश्यालय बन जायेंगे। अतः इस कार्य के लिये व्यक्तियों को उचित प्रशिक्षण देने तथा गृहों की स्थापना के बीच समन्वय होना चाहिये।

निःसन्देह इस प्रकार के गृहों की व्यवस्था का कार्य महिलाओं को सौंपा जाये। गैर-सरकारी संस्थाओं को इस कार्य के लिये अधिक प्रोत्साहित किया जाय तथा इस प्रकार की संस्थाओं में अधिकांश महिला कर्मचारी रखे जायें। तथा इस बात का प्रयत्न किया जाय कि इस कार्य में सरकारी हस्तक्षेप कम से कम हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० सुशीला नायर (झांसी) : मैं माननीय मंत्री को इस विधेयक के लिये बधाई देती हूं। हमें यह तथ्य स्वीकार कर लेना चाहिये कि बालक अपचारी तभी होता है जबकि उस का उचित लालन पालन देखभाल नहीं की जाती है अतः उसे दंड देने के स्थान में उचित शिक्षा और संरक्षण देने की आवश्यकता है। अतः यदि हम अपचारी बालकों को दंड नहीं देना चाहते हैं तो बाल-न्यायालयों में वकीलों की आवश्यकता नहीं रह जाती है। हम ने देखा है कि बाल-न्यायालयों में वकील पैरवी करते हैं, हमें ऐसी परम्परा कायम कर लेनी चाहिये कि इन न्यायालयों में वकील पैरवी न करें।

विधेयक में उपेक्षित और कदाचारी बालक में अन्तर किया गया है। वस्तुतः उपेक्षित बालक ही जब अपनी वर्तमान स्थिति से विद्रोह करने पर उतारू हो जाता है और गलत मार्ग पकड़ लेता है तो कदाचारी बन जाता है। वे दोनों ही समाज के उपेक्षित प्राणी हैं उन से एक परिस्थिति के प्रति आत्मसमर्पण कर देता है तो दूसरा विद्रोह कर सकता है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

कुछ लोगों का कथन है कि यदि एक १५ वर्ष का बालक किसी की हत्या कर देवे तो उसे अपचारी कहा जायेगा और उसे बाल-न्यायालय के सम्मुख उपस्थित होना पड़ेगा। यह ठीक है तथापि हमें प्रयत्न करना चाहिये कि बाल-न्यायालयों के वातावरण में सुधार हो।

मैं शिक्षा मन्त्री से इस बात में सहमत हूं कि इस योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि बालगृहों, विशेष स्कूलों इत्यादि के लिये उपयुक्त अधिकारी चुने जायं। उन लोगों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाय वस्तुतः उन्हीं लोगों पर ऐसे गृहों की सफलता निर्भर करती है। वस्तुतः बालकों की उचित देखभाल पर पर्याप्त ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि यदि बचपन में उनकी उचित देखभाल नहीं की गई तो वे बड़े होकर देश व समाज के लिये खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं।

इस विधेयक में यह भी व्यवस्था की गई है कि बालकों की संस्थाओं को प्रमाणपत्र दिया जायेगा तथा उन्हें मान्यता दी जायेगी। प्रमाण पत्र देने तथा मान्यता प्रदान करने के पूर्व उन संस्थाओं का भली भांति निरीक्षण कर लिया जाना चाहिये।

†श्रीमती इला पालचौधरी (नवद्वीप) : मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करती हूं। इस विधेयक में खण्ड ४ और खण्ड ६ बहुत महत्वपूर्ण हैं। खण्ड चार के अधीन हमने उपेक्षित और अपचारी बालकों में विभेद किया है। खण्ड ६ के अधीन यह कहा गया है कि ऐसे संस्थाओं में काम करने वाले व्यक्तियों को बाल-मनोविज्ञान का अच्छा ज्ञान होना चाहिये। वस्तुतः इस योजना की सारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप इसमें किस प्रकार के कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं। इसके लिये मैं निम्नलिखित सुझाव पेश करती हूं :

समाज कल्याण विभागों या स्वास्थ्य तथा शिक्षा विभागों के उच्च अधिकारी बाल कल्याण सेवाओं का समन्वय करने का प्रयत्न करें।

इस कार्य के लिये जिला स्तर के कर्मचारियों तथा खण्ड अधिकारियों और मुख्य सेविकाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाय।

बालकों के स्वास्थ्य और भोजन इत्यादि के सम्बन्ध में अध्यापिकाओं तथा बाल सेविकाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाय।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती इला पालचौधरी]

इन सेवाओं में अधिकाधिक महिलाओं को स्थान दिया जाय। जहां बालकों के सम्बन्ध में पुलिस की आवश्यकता हो वहां पर महिला पुलिस को ही बुलवाया जाय। इस सम्बन्ध में यह भी महत्वपूर्ण बात है कि हमें अधिक से अधिक इस प्रकार के गृहों की स्थापना करनी चाहिये तथा इन गृहों में बालकों की संख्या कम से कम होनी चाहिये, जिससे कि प्रत्येक बालक की ओर व्यक्तिगत ध्यान दिया जा सके।

श्री प्र० के० देव ने यह सुझाव रखा है कि जो लोग निराश्रित बालकों को गोद लेवें उन्हें सरकार की ओर से सहायता मिलनी चाहिये। मेरे विचार से यह सुझाव उचित नहीं है क्योंकि इसका सरलता से दुरुपयोग किया जा सकता है।

बालकों के विधेयक को उदार और सहानुभूति पूर्ण होना चाहिये तथापि इसमें कुछ ऐसे शब्द प्रयोग किये गये हैं जो कि अनुचित हैं। बालकों के विधेयक में इस प्रकार की शब्दावलि का व्यवहार करना उचित नहीं है। विधेयक में जारज सन्तान का भी जिक्र किया गया है। हिन्दू शास्त्रों के अनुसार जारज सन्तान नहीं हो सकती है। अतः इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ही नहीं करना चाहिये।

मैं आशा करती हूं कि उक्त बातों पर विचार किया जायेगा जहां तक मैं समझती हूं यह बहुत अच्छा विधेयक है और इससे भारत के भविष्य पर रचनात्मक प्रभाव पड़ेगा मैं मन्त्री महोदय को इस विधेयक के लिये बधाई देती हूं।

†श्रीमती मंजुला देवी (ग्वालपाड़ा) : मैं सरकार को इस विधेयक के लिये बधाई देती हूं। वस्ततः इस प्रकार के विधेयक की बहुत आवश्यकता थी और यह विधेयक बहुत पहिले ही प्रस्तुत किया जाना था। तथापि इस विधेयक के उपबन्धों की क्रियान्विति जनता की सामाजिक चेतना से ही सम्भव है।

मुझे प्रसन्नता है कि यह विधेयक व्यापक है और इसमें निराश्रित और अपचारी बालकों में विभेद भी किया गया है। इनमें अन्तर करना उचित ही है क्योंकि उपेक्षित बालक सामान्य बालक होता है जबकि अपचारी बालक असमान्य होता है। अतः दोनों को एक ही कोटि में शामिल करना ठीक नहीं हैं। मेरा सुझाव है कि बालक तथा बालिकाओं के लिये पृथक् पृथक् गृह बनाये जायें क्योंकि दोनों का स्वभाव बिल्कुल भिन्न होता है। इसके अतिरिक्त मेरी राय यह है कि इन संस्थाओं में काम करने वालों में से अधिकांश महिलायें ही होनी चाहियें क्योंकि महिलायें ही बालकों के चरित्र और स्वभाव को भली प्रकार समझ सकती हैं।

मेरा यह भी सुझाव है कि बालकों के मामले विशेष पुलिस के हाथों में दिये जायें और इस पुलिस में महिलायें और समाज सेविकायें हों। इनके अधिकारियों का दर्जा अतिरिक्त पुलिस सुपरिन्टेन्डेंट के बराबर हो। जहां तक सम्भव हो यह मामले पुलिस के हाथों में न दिये जायं वर्तमान पुलिस इन मामलों को लेने के योग्य नहीं है।

इन संस्थाओं में अनिवार्य रूप से डाक्टरी चिकित्सा की सुविधायें प्रदान की जायं। तथा वहां बालक बालिकाओं को टैक्नीकल शिक्षा दी जाय। बाल गृहों में इस बात की व्यवस्था की जाय कि यदि कोई व्यक्ति किसी बालक को गोद लेना चाहे तो वह उसे गोद ले सके। इस प्रकार उन बच्चों का लालन पालन और भी अधिक अच्छी तरह से हो सकता है।

बाल संस्थाओं के प्रशासन में सामाजिक संस्थाओं तथा समाज सेवकों को अधिक स्थान देना चाहिये, उनके अनुभव और ज्ञान से पर्याप्त लाभ उठाया जा सकता है। इन संस्थाओं के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिये विशेष प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्र होने चाहियें जहां कि अधिकारियों को मनो-

---

†मूल अंग्रेजी में

विज्ञान इत्यादि में प्रशिक्षण दिया जा सके। इनके प्रशासन को राजनैतिक दलबन्दी इत्यादि से मुक्त रखने का प्रयत्न करना चाहिये।

गांवों के अपकारी बालकों को गांवों में ही ग्रामीण न्यायालयों में पेश किया जाय उन्हें शहर लाने से उनमें भय और संशय की भावना पैदा हो सकती है जो कि अच्छी नहीं होगी।

बालकों को प्रदर्शन के रूप में प्रयोग करने पर भी पाबन्दी होनी चाहिये। जहां तक बालकों को नशीली वस्तुएं देने का सम्बन्ध है उन्हें न केवल सार्वजनिक स्थानों में अपितु अन्य स्थानों में भी ऐसी वस्तुओं के देने पर रोक लगायी जाय। मैं पुनः इस ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं कि इन संस्थाओं के अधिकारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में बहुत सावधानी बरती जाय। इसके अतिरिक्त माता-पिताओं के पथ प्रदर्शन के लिये एक अभिभावक प्रदर्शन ब्यूरो की भी स्थापना की जाय। तीसरी योजना में बाल कल्याण बोर्डों, बालगृहों तथा विशेष स्कूलों इत्यादि की स्थापना की पूर्ववर्तिता प्रदान की जाय। मैं आशा करती हूं कि निकट भविष्य में देश के सभी राज्यों के लिये इस सम्बन्ध में एकरूप विधि पारित की जायेगी।

†श्री काडियान (क्विलोन, रक्षित-अनुसूचित जातियां): मैंने इस विधेयक पर माननीय सदस्यों के विचार सुने और उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सभी वक्ताओं ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर कोई बात नहीं कही कि बाल गृहों तथा विशिष्ट स्कूलों से निकले हुए बच्चों को किस प्रकार पुनर्वासित किया जायेगा। उनको समाज में किस तरह खपाया जायेगा। इन बच्चों को पुनर्वासित करने में सबसे बड़ी कठिनाई यह सामने आयेगी कि यह बच्चे बाल गृहों तथा विशिष्ट स्कूलों से आये हैं इसलिये लोग उन्हें कलंकित समझेंगे। मैं समझता हूं कि यदि विधेयक के उपबन्धों के अनुसार बाद में देख रेख करने वाली संस्थायें, जेल विभाग द्वारा व्यवस्थित इसी प्रकार की संस्थाओं के समान कार्य करेंगी तो विधेयक का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। इसलिये इन बच्चों को विशिष्ट स्कूलों तथा बाल गृहों से बाहर आने के बाद देख रेख करने वाली संस्थाओं में रख कर, हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिये जिससे यह समाज में सभी से मिल जुल सकें और इस प्रकार जो कलंक इनके नाम पर लगाया है उसको यह मिटा सकें।

इसलिये मेरा सुझाव है कि बाद में देखभाल करने वाली संस्थाओं के अधीन कुछ औद्योगिक कारखाने बनाये जाने चाहियें जिनमें यह काम करें। इन कारखानों में इन बच्चों के साथ साथ जनता के अन्य बच्चे भी होने चाहियें जिससे इन स्कूलों के बच्चे अलग अलग न पड़ जायें और जनता के अन्य बच्चों के साथ मिल जुल कर काम कर सकें और समाज का अंग बन सकें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इन विभिन्न संस्थाओं को चलाने के लिये कर्मचारियों का उचित प्रशिक्षण किया जाना चाहिये। अन्य कई सदस्यों ने भी इसकी आवश्यकता बताई है। मेरा माननीय मन्त्री से अनुरोध है कि वह सभा में बतायें कि इन कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिये वह क्या विशेष प्रयत्न करना चाहते हैं।

इस विधेयक के द्वारा सरकार पर भारी जिम्मेदारियां पड़ जायेंगी, जिनको वहन करने के लिये पर्याप्त धन चाहिये। इसलिये माननीय मन्त्री कृपा करके विधेयक के उपबन्धों को लागू करने के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था भी कर लें।

इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए माननीय मन्त्री ने बताया था कि हमारा विचार अपराध करने वाले बच्चों को दण्ड देने का नहीं है। परन्तु खण्ड २२ के परन्तुक में दिया गया है कि गम्भीर अप-

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कोडियान]

राध करने वाले बच्चों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि उनको किस की तथा कितने समय तक सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा ? इस बारे में परन्तुक मौन है।

इस विधेयक में कई खण्डों के अधीन सक्षम अधिकारी को सर्वोपरि अधिकार दिये गये हैं। मेरा सुझाव है कि ऐसी व्यवस्था करने के बजाये एक विशेष सलाहकार संस्था बनाई जानी चाहिये जो इन मामलों में सक्षम अधिकारी को सलाह दे। इसके अतिरिक्त बालगृहों तथा विशिष्ट स्कूलों का अधीक्षण करने और उस पर प्रतिवेदन देने के बारे में गैर-सरकारी विजिटर नियुक्त किये जाने चाहियें। मैं आशा करता हूं कि इसके अन्तर्गत नियम बनाते समय मेरे इन सभी सुझावों पर विचार किया जायेगा।

†**पंडित मनीश्वरदत्त उपाध्याय** : इस विधेयक का विषय राष्ट्र के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण तथा हितकर है। बच्चे राष्ट्र की निधि होते हैं, इसलिये इनके बारे में विधान बनाते समय हमें बहुत सावधान होना चाहिये। इस विधेयक में कई जगह एक प्रकार के ही उपबन्ध और समस्या के विभिन्न पहलुओं का हल करने के लिये कई अलग अलग संस्थायें बनाई गई हैं।

इसके बारे में मेरा सुझाव है कि अपचारी बच्चों के मामलों को अदालतों में ले जाने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिये। अपितु इनके मामलों को भी बोर्ड के सामने ही पेश किया जाना चाहिये, क्योंकि खंड में बताया गया है कि बोर्ड के सदस्यों को दण्डाधिकारी के अधिकार मिलेंगे। मैं इस प्रकार चाहता हूं कि बच्चों के मामलों को निबटाने के लिये अदालत का वातावरण नहीं बनाया जाना चाहिये।

अभी यह विधेयक केवल संघ राज्य क्षत्रों में ही लागू किया जायगा। परन्तु मैं समझता हूं कि यदि इसको समस्त देश में लागू किया गया तो बहुत बड़ी संख्या में प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होगी और बहुत धन की भी आवश्यकता होगी। यह बड़ा कठिन काम होगा। मैं यही जानना चाहता हूं कि सरकार इस विधेयक को किस प्रकार सफलतापूर्वक लागू करेगी।

विधेयक के अधीन कितनी ही संस्थायें जैसे बाल कल्याण बोर्ड, बाल अस्पताल, बालगृह, देखरेख गृह, बाद में देखरेख संस्थायें बनाने की व्यवस्था है। इन संस्थाओं पर एक प्रशासक नियुक्त करने की भी व्यवस्था है। इस प्रकार सरकार बहुत कुछ करना चाहती है। परन्तु मुझे इस बारे में संदेह है कि संभवतया सरकार अपने सभी उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पायेगी, क्योंकि ऐसा उच्च नतिक स्तर के लोग ही करने में सफल हो पायेंगे। साधारण लोग इन कामों को पूरा नहीं कर पायेंगे, मेरा ऐसा विचार है।

इस विधेयक में यह व्यवस्था है कि जहां पर संस्थायें नहीं होंगी वहां पर बच्चों को अनाथालयों में रखा जायगा अथवा किन्हीं व्यक्तियों को दे दिया जायेगा। परन्तु मेरा अपना अनुभव है कि इनमें से कुछ व्यक्ति बच्चों का दुरुपयोग करते हैं। उनसे नौकरों की तरह काम लेते हैं। इसलिये मैं नहीं चाहता कि बच्चों को परिवारों में दिया जाये। विशेषतया बालिकाओं को तो मैं चाहता ही नहीं कि परिवारों में रखा जाये। इनको तो निश्चित रूप में सुव्यवस्थित गृहों में ही रखा जाना चाहिये। मैं यह भी चाहता हूं कि दुश्चरित्र व्यक्तियों के बच्चों को भी उनके मां बाप के पास से हटा कर गृहों में रखा जाना चाहिये जिससे मां बाप का असर उन पर न पड़ने पाये।

मैं इसका समर्थक हूं कि इन कामों के लिये केवल स्त्रियां ही नियुक्त की जायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

एक माननीय सदस्य ने बताया कि बच्चों के मामले में दण्ड प्रक्रिया संहिता नहीं अपनाई जानी चाहिये । मैं समझता हूं कि उनका विचार ठीक नहीं है । विधेयक में जांच आदि के लिये अलग प्रक्रिया अपनाई गई है और खण्ड ५९ के अधीन नियम बनाये जायेंगे इसलिये डरने की कोई बात नहीं रह जाती है । मैं भी इस बात का समर्थक हूं कि बड़े लड़कों तथा लड़कियों को अलग अलग गृहों में ही रखा जाना चाहिये ।

विधेयक में 'भिखारियों' की परिभाषा में संभवतः साधु, महन्त, अन्य पेशेवर भिखारी तथा सर्वोदय कार्यकर्त्ता जो चन्दा उगाहते हैं भी आ जाते हैं । इसलिये कोई उपबन्ध ऐसा रखा जाना चाहिये जिससे यह लोग इस विधेयक के उपबन्धों से मुक्त हो जायें ।

जब एक वयस्क तथा बच्चों ने मिलकर कोई अपराध किया हो तो दोनों पर मुक़दमा अलग अलग चलाना कठिन होगा । इसलिये स्पष्ट उपबन्ध बनाये जाने चाहियें कि ऐसे मामलों में क्या किया जाये ।

श्रीमती शकुंतला देवी (बंका): उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय ने यह जो चिल्ड्रेंस बिल इस हाउस में पेश किया है उसके लिये मुझे बहुत खुशी है और मैं उसका हृदय से स्वागत करती हूं । वे इसके लिये हमारी बधाई के पात्र हैं । इससे हमारे बच्चों की अवश्य भलाई होगी क्योंकि अभी भी हम अपने देश में बहुत बच्चे ऐसे देखते हैं जो कि अनाथ हैं और सड़कों पर इधर उधर भीख मांगते फिरते हैं । उन बच्चों के लिये कोई ऐसा स्कूल या होम्स नहीं हैं जहां कि उनकी देख भाल की जा सके और उनको शिक्षित किया जा सके ।

रेलवे स्टेशनों पर देखा जाता है कि हजारों बच्चे भीख मांगते फिरते हैं । उनके मां बाप होते हुये भी वे भीख मांगते हैं और हकीकत यह है कि उनके मां, बाप अपने उन बच्चों से भीख मंगवाते हैं क्योंकि भीख मांगना यह उनका एक पेशा हो गया है और लोगों के मना करने पर भी वे भीख मांगना नहीं छोड़ते और कहते हैं कि काम करके कमाने की क्या जरूरत है जब कि हमको इस तरह से भीख मांगने से आमदनी हो जाती है और हमारा गुजर बसर हो जाता है । इसलिये निवेदन है कि ऐसे बच्चों के लिये जल्दी से जल्दी इस ऐक्ट को लागू करें और उनकी भलाई के लिये इंस्टीट्यूट खोलें । नेगलेक्टेड बच्चों की पढ़ाई के वास्ते और उनकी ठीक तरह से देख भाल करने के वास्ते ट्रेंड महिला टीचर्स रखी जायें ताकि उन बच्चों को उचित शिक्षण दिया जा सके और शिक्षा देने के साथ ही साथ उन बच्चों को टेक्निकल ट्रेनिंग भी दिलवाई जाये ताकि वे उपयोगी नागरिक सिद्ध हो सकें और भली भांति अपना जीवन यापन कर सकें ।

दूसरी बात यह है कि आजकल बहुत सी पढ़ी लिखी महिलाओं के बच्चों की भी ठीक से देख भाल नहीं हो पाती .....

उपाध्यक्ष महोदय : अभी तक माननीय सदस्या की आवाज रिपोर्टरों तक नहीं पहुंच सकी है इसलिये वह या तो ज़रा आगे को बढ़ जायें या फिर जरा ज़ोर से बोलें ।

श्रीमती शकुंतला देवी : इसका यह भी कारण है कि हमारी स्त्रियों में शिक्षा की आम तौर से कमी है । इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि सब से पहले वे एक अमेंडिंग बिल लायें, जिससे औरतों को लड़कों का पालन करने की शिक्षा दी जाय, क्योंकि आजकल कालेज में लड़के और लड़कियां पढ़ने जाते हैं परन्तु उनको यह शिक्षा नहीं दी जाती है कि बच्चों को किस तरह से

[श्रीमती शकुंतला देवी]

पाला जाय और किस तरह से रक्खा जाय । इसका नतीजा यह होता है कि जब उनके बच्चे होते हैं तो वे उनको दाइयों और आयाओं को दे देते हैं, और वे बच्चे अच्छी तरह से नहीं रक्खे जाते । इस तरह की बात अधिकतर देहातों में ही होती है क्योंकि बेचारा किसान दिन भर अपने खेत में काम करता है और उसके पास अपने बच्चों को पालने के लिये समय नहीं रहता है । न वहां पर उस के बच्चों को पढ़ने के लिये स्कूल हैं और न उनके खेलने के लिये चिल्ड्रेंस पार्क हैं, जिसके कारण उनकी मनोवृत्ति गन्दे गंदे लड़कों के साथ खेलने की हो जाती है और उनकी आदतें खराब हो जाती हैं । आगे चल कर वही लड़के चोर और डाकू बन जाते हैं । इसलिये शिक्षा मंत्री महोदय से मैं कहना चाहती हूं कि शहरों से पहले देहातों में वे इस तरह के इन्स्टिट्यूट्स खोलें जिनमें किसानों के बच्चों को शिक्षा दी जाये क्योंकि अभी तक जितने अच्छे से अच्छे स्कूल हैं वे शहरों में ही हैं, देहातों में नहीं हैं, और यही कारण है कि देहातों के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं ।

वेलफेअर बोर्ड जो रखे गये हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को रखा जाये क्योंकि महिलायें इस चीज को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकती हैं और ज्यादा अच्छी तरह से काम कर सकती हैं । हिन्दुस्तान में सोशल वेलफेअर बोर्ड हैं, उस में चिल्ड्रेन वेलफेअर बोर्ड हैं जिनको बालबाडी कहते हैं, उन बालबाड़ियों में उन शिक्षिकाओं को रक्खा जाता है जो मिडिल पास की ट्रेनिंग करती हैं, उनको वेतन नहीं मिलता है । वे इस काम को अच्छी तरह से नहीं कर सकती हैं क्योंकि उनकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं होती है । इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि इन इन्स्टिट्यट्स में अच्छी से अच्छी ट्रेंड टीचर्स रखी जायं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (गुड़गांव) : उपाध्यक्ष महोदय, संघ शासित प्रदेशों के बच्चों की अपराधी प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिये जो यह विधेयक सदन में उपस्थित किया गया है, मैं उस का स्वागत करता हूं । जिन बच्चों में अपराधी प्रवृत्ति जागृत होती है उन में से कुछ इस प्रकार के हैं जिन के सिर पर से बचपन में ही माता पिता का साया उठ जाता है, कुछ बच्चे उन में इस प्रकार के हैं जो ऐसी बुरी सोसायटियों में फंस जाते हैं कि जिन में आगे चल कर उन में अपराधी प्रवृत्ति जागृत होती है । कुछ ऐसे भी बच्चे देखे गये हैं जो सौतेली माता आदि के व्यवहार से इस प्रकार उपेक्षित हो जाते हैं कि फिर आगे चल कर उन को अपराध करने के लिये विवश होना पड़ता है । परन्तु केवल इतना ही नहीं, मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जो बच्चे उपेक्षित हैं उन के अन्दर ही अपराधी प्रवृत्ति जागृत हो रही है, ऐसा नहीं है, अपितु सच तो यह है कि जो अपेक्षित बच्चे हैं उन के अन्दर भी अपराधी प्रवृत्ति धीरे धीरे जागृत होती चली जा रही है । माता पिता इस बात के लिये प्रयत्नशील हैं कि किसी प्रकार उन के बच्चे सद्गुण और सद् व्यवहार सीखें परन्तु सोसायटी और वातावरण इस प्रकार का है कि वे इस में सफल नहीं हो पाते । इस लिये मेरा सब से पहला निवेदन, इस विधेयक के सम्बन्ध में विचार करने से पूर्व, शिक्षा मंत्री से, यह है कि कल ही आचार्य विनोबा भावे ने वाराणसी के अन्दर सुझाव दिया है, और मेरा अनुमान है कि वह सुझाव बहुत व्यावहारिक है, कि जिस प्रकार से हमारे देश में और बहुत से दल या संघ बन रहे हैं उसी प्रकार से अगर एक अभिभावक संघ बनाया जाय, माता पिता इस प्रकार का अपना संगठन बनायें जो अपनी ओर से समस्याओं के सम्बन्ध में थोड़ा व्यावहारिक दृष्टि से विचार करे और वे लोग आपस में बैठ कर बच्चों के सम्बन्ध में कोई मार्ग निकालें, तो बड़ा उपयुक्त होगा।

दूसरी बात जो मैं विशेष रूप से शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं वह यह है कि प्रायः यह देखा गया है कि स्वतंत्र होने के पश्चात बालकों के सम्बन्ध में जितनी भी पुस्तकें

प्रकाशित हो रही हैं, उन पुस्तकों के अन्दर भौगोलिक बातें पर्याप्त मात्रा में होती हैं, वैज्ञानिक बातें पर्याप्त मात्रा में रहती हैं, ऐतिहासिक बातें भी पर्याप्त मात्रा में रहती हैं, परन्तु नैतिक और धार्मिक विचारों को प्रोत्साहन देने वाली चर्चायें, जिन में छोटे छोटे बच्चों को सिखलाया जाता था कि चोरी नहीं करनी चाहिये, झूठ नहीं बोलना चाहिये, उनका माता पिता और गुरुओं के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिये, धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। उन पुस्तकों में इतना जरूर मिलेगा कि भारत का मान चित्र कितना है, कश्मीर कहां पर है, किस देश की किस प्रकार की स्थिति है, कौन सी जाति विशेष रूप से कहां पर रहती है । इस लिये मैं चाहूंगा कि अपराधी प्रवृत्तियों पर रोक लगाते समय जहां और बातों पर विचार किया जा रहा है वहां शिक्षा मंत्रालय की ओर से इस बात के ऊपर अवश्य विचार किया जाना चाहिये कि छोटे बच्चों की जो पुस्तकें प्रकाशित की जा रही हैं उन में नैतिकता को प्रोत्साहन देने वाली बातों का जो कि बच्चों के व्यवहार के निर्माण में सहायक होती हैं, अवश्यक समावेश किया जाय।

तीसरी बात जो मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में विशेष रूप से रखना चाहता हूं वह यह है कि जहां तक मेरी अपनी जानकारी है इस प्रकार के विधेयक भारत के कुछ दूसरे प्रान्तों में भी हैं, लेकिन सारे प्रान्तों में इस प्रकार के विधेयक नहीं हैं। यह विधेयक उन विधेयकों की पृष्ठ भूमि के आधार पर तैयार किया गया है और उन विधेयकों में अपराधी प्रवृति पर रोक लगाने की बातों में जो त्रुटियां हैं उन को इस में से हटाने का प्रयास किया गया है । यदि इस में कोई वैधानिक आपत्ति न हो और इस विधेयक को सम्पूर्ण भारत पर प्रचलित किया जाता तो अच्छा होता । जिन प्रान्तों के पास अपराधी प्रवृत्तियों को रोकने के लिये अपने विधेयक हैं, सम्भव है उन के लिये इस की आवश्यकता न हो, लेकिन जिन प्रान्तों में इस प्रकार के विधेयक नहीं हैं, यदि उन पर यह विधेयक लागू किया जाय किसी प्रकार, तो मेरा अपना अनुमान है शिक्षा मंत्रालय की ओर से यह देश की भलाई के लिये बड़ा भारी कार्य होगा ।

चौथी चीज जो मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं वह यह कि इस में दो प्रकार की व्यवस्थायें की गई हैं । एक तो चिल्ड्रेन्स बोर्ड की और दूसरी वेलफेअर बोर्ड की। लेकिन चिल्ड्रन्स बोर्ड और वैलफेअर बोर्ड के जो अधिकार हैं वे लगभग बराबर बराबर हैं। मेरी माननीय बहन श्रीमती जयावेन शाह ने अपने भाषण में एक बात कही थी कि "कोर्ट" शब्द ऐसा है कि जो बालकों के न्यायालय हैं उन में चाहे जितनी सरलतापूर्वक और सुविधा पूर्वक चीजें रक्खी जायें लेकिन इस शब्द के पीछे जो भावना लग गई है वह माताओं पिताओं और बच्चों के मस्तिष्क के लिये एक बहुत भारी चीज हो जायेगी। मेरा अपना विचार इस प्रकार का है कि जो यह वेलफेअर बोर्ड है अगर उस के अधिकार बढ़ा दिये जायें और इस के लिये कोई अलग कोर्ट न बनाये जायें, एक ही वेलफेअर बोर्ड बनाया जाय, तो यह कहीं अधिक सुविधाजनक होगा । जैसा अभी श्री उपाध्याय ने कहा कि जो इन अधिकारियों का चुनाव हो वह केवल उन की परीक्षा सम्बन्धी योग्यता के आधार पर नहीं होना चाहिये अपितु जो वैलफेअर बोर्ड के अधिकारी हैं उन के लिये यह देखा जाय कि उन की पिछली सामाजिक सेवाओं का इतिहास क्या है और जिन व्यक्तियों को इस प्रकार के कार्यों में रुचि हो, उन को यह कार्य सौंपा जाय कि तो इस प्रकार के वेलफेअर बोर्ड अधिक हितकर सिद्ध हो सकेंगे । मैं ऐसी बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इस

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

कथन से सहमति व्यक्त करूंगा कि इस प्रकार के बोर्डों में, जो कि बच्चों की अपराधी प्रवृति पर रोक लगाने के लिये बनाये जायें, अगर उन में महिलाओं के लिये ज्यादा स्थान रहे, तो अधिक उपयुक्त होगा । हमारे यहां माता और पिता शब्दों की जो व्याख्या की जाती है उस को आप देखिये । माता पिता की व्याख्या संस्कृत में क्या है ? माता पिता शब्दों की व्याख्या करते हुए लिखा है :

"माता निर्माता भवति, पातीति पिता "

जो रक्षा करने का काम करता है उसे पिता कहते हैं। लेकिन निर्माण करने का काम माता को ही सौंपा गया है । हम इस विधेयक को बनाते समय बालकों की प्रवृतियों के निर्माण की ओर जा रहे हैं, इसलिये माता अथवा नारी का दायित्व बहुत बढ़ जाता है । इस लिये यदि इस प्रकार के बोर्ड में नारियों का स्थान विशेष रूप से रक्खा जायेगा तो यह विधेयक अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकेगा ।

पांचवीं बात जो मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि हमारे शिक्षा मंत्री उस पर विचार करें। इस विधेयक पर, विचार करते समय इस प्रकार के बोर्डों के जो अधिकारी चुने जायेंगे उन के कार्यालय का कोई निर्देश नहीं किया गया कि कितने दिन तक वे इन बोर्डों के अन्दर काम करेंगे । जब कोई इस प्रकार के संगठन बनाये जाते हैं तो उन में इस प्रकार की बात होती है कि अमुख अमुख व्यक्ति का इतना कार्यकाल होगा, और यदि वह इस संगठन के नियमों के विपरीत कार्य करेगा तो उसे इस संगठन से हटा दिया जायेगा, यदि बीच में ही इस प्रकार की बात हो गई, तो उसे बीच में ही हटा दिया जायगा । लेकिन इस विधेयक को बनाते समय, इस पर ध्यान दिया जाय कि इस में यह न्यूनता रह गई है। मैं समझता हूं कि आगे के लिये कम से कम ऐसी न्यूनता को सम्भाला जा सकेगा ।

एक बात मैं और आवश्यक रूप से कहना चाहता हूं, और वह यह कि हम अपराधी बालकों की प्रवृत्तियों पर रोक लगाने के लिये, नियंत्रण लगाने के लिये, इस विधेयक को सदन में लाये हैं तो उस में इतना ध्यान रक्खा जाना चाहिये कि जितने स्कूल्स हैं, चिल्ड्रन्स होम्स हैं, आब्जर्वेशन होम्स हैं, उन में लड़कों और लड़कियों के एक साथ रहने की जो व्यवस्था है वह न हो तो अधिक उपयुक्त होगा। हम वह बालक लाएंगे जिनमें पहले से अपराधी प्रवृत्तियां जागृत हो चुकी हैं और हम चाहेंगे कि उन प्रवृतियों को रोका जाए, उन पर नियंत्रण किया जाए, लेकिन अगर दोनों को एक ही स्थान में रखने की व्यवस्था की गई तो भय है कि उन प्रवृत्तियों में और कहीं दूसरा मार्ग न खुल जाए। इसलिये मेरी अपनी इच्छा है और हमारा पुराना व्यवस्था क्रम भी इस प्रकार का है कि इन दोनों को पृथक् पृथक् रखा जाए। अगर आपके पास उनको पृथक् रखने के लिये अलग अलग स्थान न हों तो उनके बीच में एक दीवार बना दी जाए, लेकिन अगर बालक और बालिकाओं को पृथक् पृथक रखने की व्यवस्था करेंगे तो अपराधी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखने में कुछ अधिक सफलता आपको मिलेगी ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं । आप बालकों की अपराधी प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगाने के लिये यह विधेयक लाए हैं, लेकिन जो उनको इन प्रवतियों की ओर ले जाते हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आपको इस प्रकार के लोगों के संगठन भी मिलेंगे । आप दूर क्यों जाएं आप दिल्ली स्टेशन पर ही देखिये कि किस प्रकार से बहुत व्यक्ति छोटे छोटे बच्चों की टोलियां

बना कर इनसे इस प्रकार के कार्य करवाते हैं। एक दृश्य मैंने स्वयं देखा। एक व्यक्ति एक बच्चे को बुरी तरह पीट रहा था और बच्चा तिलमिला रहा था। उसके बच्चे को जोर जोर से मारने पर बहुत से लोग जमा हो गए। वह बच्चा जो पिट रहा था एक सज्जन के पैरों में लिपट गया। आप जानते ही है कि इस प्रकार पिटते हुये बच्चे को देखकर आदमी को दया आ जाती है। लेकिन उस बच्चे के उस सज्जन के चिपटने के बाद भी वह व्यक्ति बच्चे को पीटता रहा। खैर किसी प्रकार उस बच्चे का पीटना रोका गया और वह सज्जन रेल के डिब्बे में बैठ गए लेकिन थोड़ी देर बाद देखते हैं तो उनका बटुआ नदारत है। तो इस प्रकार की आदतें बच्चों को डाली जाती हैं। ऐसी स्थिति में उस बच्चे को उतना अपराधी न माना जाए लेकिन जो बच्चे में इस प्रकार की प्रवृत्ति जागृत करते हैं उनको दोषी माना जाए और ऐसे व्यक्तियों के लिये भी कोई व्यवस्था की जानी चाहिये।

एक बात मैं और विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में पुलिस को अधिक अधिकार दे दिए गए हैं। इसमें व्यवस्था है कि बच्चा २४ घंटे तक पुलिस की कस्टडी में रहेगा और अगर उसको केन्द्र तक ले जाने की व्यवस्था न हो पाए तो उसको २४ घंटे से भी अधिक पुलिस की कस्टडी में रखा जा सकता है। मेरा अपना विचार है कि पुलिस की कस्टडी में २४ घंटे या इससे अधिक रखने के बजाए अगर ऐसे सामाजिक केन्द्रों की व्यवस्था की जा सके जिन में बच्चा केन्द्र में जाने तक रखा जा सके तो ज्यादा उपयोगी होगा।

अन्त में अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले जाते हुए मैं एक निवेदन विशेष रूप से करना चाहता हूं। हम देखते हैं कि हमारे शासन की यह प्रवृत्ति हो गई है कि जिन समस्याओं का सामाजिक स्तर पर हल किया जा सकता है उनके लिए भी कानून बनाया जाता है। अगर इस समस्या का सामाजिक स्तर पर हल करने का प्रयास किया जाए तो ज्यादा उपयोगी होगा। इस प्रकार का कार्य करने वाली संस्थाएं हैं, जैसे राम कृष्ण मिशन है, आर्य समाज है और दूसरी बाल संस्थाएं हैं। अगर इन संस्थाओं का सहयोग प्राप्त किया जाए तो यह कार्य अधिक सुविधा के साथ हो सकता है। मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रकार की छोटी छोटी बातों के लिए कानून बनाने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगाया जाना चाहिये और जो समस्याएं सामाजिक स्तर पर हल हो सकती हैं उनको सामाजिक स्तर पर ही हल करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मुझे प्रसन्नता है कि शिक्षा मंत्री ने इतना अच्छा विधेयक प्रस्तुत किया है। मेरी कामना है कि उन्हें इस कार्य में सफलता मिले। विधेयक में जिन समस्याओं को लिया गया है वह हमारे देश में ही नहीं है बल्कि सारे देशों की सरकारों के सामने यह समस्या है। प्रश्न यह सामने आता है कि इस समस्या को किस प्रकार हल किया जाये। मैं समझता हूं कि विधेयक को बड़ी सावधानी से बनाया गया है और सब तरह की व्यवस्था करने का प्रयत्न किया गया है। परन्तु मैं समझता हूं कि न्यायालयों, कल्याण बोर्डों से बच्चों की यह समस्या नहीं सुलझ पावेगी। यह तो तभी सुलझ पायेगी जब जनता का सामाजिक विवेक जागृत होगा।

विधेयक को देखने पर पता लगता है कि यह नगरीय समाज के लिये बनाया गया है। मेरा भी अपना यही विचार है कि सारी बुराइयां नगरीय समाज से उत्पन्न हो कर देश के अन्य भागों में फैलती हैं। परन्तु फिर भी हमें देखना चाहिये कि ८० प्रतिशत जनता भारत के गांवों में रहती है और इसीलिये देहातों के बच्चों पर भी इस विधेयक को लागू करने की व्यवस्था की जाये।

मैं यह भी चाहता हूं कि विधेयक के अध्याय ४ में बच्चों सम्बन्धी जिन विशेष अपराधों का विवरण दिया गया है उनका व्यापक रूप में प्रचार होना चाहिये ताकि प्रत्येक रूप में बच्चों के शोषण को रोका जा सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दो० वं० शर्मा]

माननीय सदस्यों ने बताया कि इसका प्रशासन स्त्रियां अच्छी प्रकार कर पायेंगी। परन्तु मैं सभा को बताना चाहता हूं कि यह स्त्री पुरुष का प्रश्न नहीं हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे कोई स्त्री हो अथवा पुरुष यदि उसका बालक का सा हृदय है तभी वह बच्चों की देखभाल अच्छी तरह कर पायेगा।

मेरा यह भी विचार है कि विधेयक को क्रियान्वित करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति में सामान्य नौकरशाही परिपाटी नहीं अपनाई जानी चाहिए। इस विधेयक के अधीन नियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों की नियुक्ति करते समय यह देखा जाना चाहिये कि उनमें सेवा भावना है अथवा नहीं।

विधि आयोग विधियों में परिवर्तन करने के समय समय पर सुझाव देता है। मैं समझता हूं कि इस आयोग को यह सुझाव भी देना चाहिये कि भारतीय दण्ड संहिता तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर बालकों के लिए बाल संहिता बनाई जानी चाहिये।

शिक्षा मंत्री ने विधेयक के बारे में बहुत सी बातें बताईं परन्तु यह नहीं बताया कि विधेयक के कार्यवहन में कितना धन लगेगा। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री बतायेंगे कि उन को विधेयक के उपबन्धों को लागू करने के लिये कितने धन की आवश्यकता होगी।

†**श्री रामा रमण** (चांदनी चौक) : यद्यपि विधेयक को इतने अधिक समय तक सोच विचार के बाद प्रस्तुत किया गया और संयुक्त समिति ने भी इसमें संशोधन किये परन्तु मैं समझता हूं कि इसमें अभी भी कुछ कमियां शेष हैं और जब तक इन कमियों को दूर नहीं किया जायेगा तब तक इसके उद्देश्य पूरे नहीं होंगे।

उदाहरणतः इस विधेयक में "दण्डाधिकारी', 'न्यायालय', 'पुलिस' आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों का प्रयोग उचित प्रतीत नहीं होता। मेरा माननीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध है कि विधेयक के विभिन्न उपबन्धों तथा नियमों की क्रियान्विति के बारे में उन्हें इस बात पर अधिक जोर देना चाहिये कि बच्चों के साथ अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा दूसरी प्रकार का व्यवहार किया जाता है। बच्चों के साथ व्यवहार करने में हमें समझना चाहिये कि वह एक ऐसा पौधा है जिसको जैसा हम चाहें मोड़ सकते हैं। आज हम देखते हैं कि देश में अधिकांश बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। उन्हें भर पेट भोजन भी नहीं मिल पाता है। मैं आशा करता हूं कि इस विधेयक के द्वारा उनकी स्थिति में कुछ सुधार अवश्य हो जायेगा।

विधेयक में व्यवस्था है कि एक प्रशासक होगा जिसको बाल कल्याण बोर्ड सलाह देगा। परन्तु इसके साथ मैं समझता हूं कि मां-बाप को भी इस बात की शिक्षा दी जानी चाहिये कि बच्चों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिये।

बाल कल्याण बोर्ड तथा अन्य संस्थाओं को ऐसा वातावरण बनाना चाहिये जिसे बच्चे घर जैसा वातावरण समझें और यह न समझें कि वह कलंकित बच्चे हैं।

मैं माननीय सदस्यों की इस बात से सहमत हूं कि इस विधेयक के अधीन नियुक्त कर्मचारियों में सेवा भावना होनी चाहिये। लेकिन मनोवैज्ञानिकों पर जो जोर किया गया है उससे मैं सहमत नहीं हूं। मैं नहीं समझता कि मनोविज्ञान के केवल सिद्धान्तों को जानने वाला व्यक्ति अप-

---

†मूल अंग्रेजी में

चारी बच्चों की समस्या ठीक प्रकार से सुलझा सकने में समर्थ होगा। इसके लिए अनुभव की आवश्यकता है। इस विधेयक के अधीन नियम भी इस प्रकार के बनाये जाने चाहियें जो इन कामों के लिये नियुक्त व्यक्तियों में सेवा भावना पैदा कर सकें।

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् (कुम्बकोणम्) : अमेरिका तथा रूस के बीच चाहे कितने ही सैद्धांतिक मतभेद हों तथापि इस बात में दोनों एक है कि बालकों के लालन पालन पर उचित ध्यान दिया जाये। वस्तुतः जिसे अपचारी बालक कहा जाता है वह एक ऐसी मनःस्थिति है जिसका उपचार हो सकता है। विदेशों में बालकों के अपचारी होने का कारण मुख्यतः यह होता है कि वहां पति पत्नी के बीच सम्बन्ध विच्छेद होने से बालक निराश्रित रह जाते हैं। भारत में इसके दूसरे कारण हैं। तथापि भारत में अभी तक बालकों के सम्बन्ध में बम्बई के एक अधिनियम के अलावा अन्य कोई अधिनियम नहीं है। अतः शिक्षा मंत्रालय इस अधिनियम को प्रस्तुत करने के लिये बधाई का पात्र है।

विधेयक की यह बात महत्वपूर्ण है कि अपचारी तथा उपेक्षित बालकों के लिये पृथक संस्थाओं की स्थापना की जायेगी। मैं इससे सहमत हूं। कि बाल-संस्थाओं में महिलाओं को अधिक स्थान देना चाहिये तथापि प्रशासन में पुरुषों का रहना भी आवश्यक है।

मैं विधेयक के खंड १०, ११ व १२ से सहमत हूं जिसमें बालकों की देखभाल से सम्बन्धित विभिन्न संस्थाओं को मान्यता देने के सम्बन्ध में कहा गया है। हमें सेवासदन, बाल मन्दिर, राम कृष्ण मिशन विद्यार्थीगृह इत्यादि संस्थाओं को मान्यता देनी चाहिय।

भिखारी समस्या को दूर करने के लिये भिखारियों के प्रति कठोरता का व्यवहार किया जाये। मैं आशा करता हूं कि इस विधेयक के फलस्वरूप बालकों का भीख मांगने इत्यादि के प्रयोजन के लिये दुरुपयोग नहीं किया जायेगा।

अपचारी बालकों के पुनर्वास के लिये हमें विशेष अर्हता प्राप्त कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। उनके प्रति सहानुभूति पूर्वक रवैया अपनाने तथा उनके कार्यों को समझने की आवश्यकता है। बाल-गृहों में न केवल अपचारी बालकों व अपेक्षित बालकों को रखने की सुविधा हो अपितु उनमें उनकी शिक्षा, चिकित्सा इत्यादि सभी बातों की सुविधायें होनी चाहिये। एक निश्चित आयु से अधिक के बालक बालिकाओं के लिये पृथक पृथक गृह होने चाहियें।

विधेयक में बालकों के प्रति निर्दयता करने तथा उनका भीख मांगने इत्यादि के प्रयोजन के लिये उपयोग करने में दंड की व्यवस्था की गई है। तथापि दंड देने के पूर्व किसी प्रशासक की स्वीकृति आवश्यक है। इससे इन उपबन्धों का दुरुपयोग नहीं होने पायेगा।

कई स्थानों में बीड़ियों के लपेटने के कार्य में छोटे छोटे बालकों का उपयोग किया जाता है। लखनऊ में जरी का काम भी अधिकांश बालकों से ही करवाया जाता है। उसके लिये उन्हें उचित मजूरी नहीं दी जाती है। इस विभाग को चाहिये कि इन सभी मामलों में जिनमें बालकों का शोषण किया जाता है, उचित कार्यवाही की जाये। इसके लिये विधेयक को अधिक व्यापक बनाया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वे०रा० पट्टाभिरामन्]

हमने देश में प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का निश्चय किया है। इस योजना के क्रियान्वित होने पर स्थिति में निस्सन्देह सुधार होगा तथा बालकों का पैसा कमाने इत्यादि के लिये शोषण नहीं होने पायेगा ।

†श्री कालिका सिंह (आजमगढ़) : हम इस विधेयक का स्वागत करते हैं क्योंकि इसमें बच्चों की समस्या हल करने का प्रयत्न किया गया है । इसके शीर्षक से तो ऐसा मालूम होता है कि इसमें बच्चों से सम्बन्धित सभी चीजें होंगी परन्तु वास्तव में वह केवल उपेक्षित और अपचारी बालकों से सम्बन्धित है । इसलिये इसका नाम उपेक्षित तथा अपचारी बाल विधेयक होना चाहिये था, केवल बाल विधेयक नहीं ।

अभी इन बातों की देखभाल समाज-कल्याण बोर्ड करता है । अब हम बाल न्यायालयों, विशेष स्कूलों आदि की स्थापना कर रहे हैं। यदि इन संस्थाओं को प्रभावपूर्ण बनाना है तो उन्हें पर्याप्त धन दिया जाना चाहिये । अन्यथा वे केवल कागज तक ही सीमित रह जायेंगी। इस विधेयक के पारित होने के पश्चात समाज कल्याण बोर्ड १६ वर्ष से कम के बालकों और १८ वर्ष से कम की बालिकाओं की समस्याओं पर विचार नहीं करेगा ।

इस विधेयक में एक बड़ी भारी कमजोरी है । इसमें भीख मांगने की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि सार्वजनिक स्थान में भीख प्राप्त करना अथवा किसी के मकान में भीख लेने के लिये जाना । उपेक्षित बालक की व्याख्या इस प्रकार है । वह बालक जो भीख मांगता पाया जाये अथवा जिसका कोई घर न हो । मेरा निवेदन है कि हमारे देश में बहुत से लोग धार्मिक आधार पर भिक्षावृत्ति अपनाते हैं और हमारे संविधान में धर्म में हस्तक्षेप निषिद्ध है। इसलिये इस अधिनियम के विरुद्ध न्यायालय में अपील की जा सकेगी । हमारे देश में अनेक धर्मों में इस प्रकार भीख मांगन की प्रथा है ।

†उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगला विषय लेंगे । माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रखें ।

निर्वाचन आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन*

†श्री तंगमणि (मदुरै) : यह चर्चा २ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६३६ के उत्तर के सम्बन्ध में उठाई जा रही है । जैसा कि सभा को ज्ञात है दूसरे आम चुनाव के पश्चात् निर्वाचन आयोग ने एक अत्यन्त विस्तृत प्रतिवेदन प्रकाशित किया था जिसमें ४० सिफारिशें विधि मंत्रालय द्वारा पालन हेतु की गई थीं । इसके सम्बन्ध में सभा में अनेक बार प्रश्न किये जा चुके हैं। १७ अगस्त, १९६० को तारांकित प्रश्न संख्या ४८३ के उत्तर में

---

*आधे घंटे की चर्चा ।

†मू अंग्रेजी में

माननीय मंत्री ने यह बताया था कि अधिकांश सिफारिशें क्रियान्वित की जा चुकी हैं और शेष ऐसी हैं जिनके सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक विचार किया जाना है इसलिये उनके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में कोई समयावधि नहीं बताई जा सकती है ।

[श्री मूल चन्द दुबे पीठासीन हुए]

इस प्रकार आयोग की सिफारिशों के अनुसार निर्वाचन निधि में संशोधन करने का प्रश्न अभी भी बाकी है । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री सभा को यह बतायें कि केरल में हुए चुनावों से क्या अनुभव प्राप्त हुए हैं ।

जहां तक नये निर्वाचन नियमों का प्रश्न है, जो सभा-पटल पर रखे गये थे, कुछ नियम, जैसे नियम २६, बहुत असुविधाजनक है। नियम २६ में यह उपबन्ध है कि निर्वाचन नामावलियों में अपना नाम शामिल करने के लिये मतदाताओं को अपनी अर्जियां पर टिकट लगाने पड़ेंगे। इसके सम्बन्ध में विचार किया जाना चाहिय क्योंकि लोगों से ऐसे काम के लिय धन देने के लिये कहना उचित नहीं है जो साधारण तरीके से ही किया जाना चाहिये ।

फिर नियम २८, जिसमें पहचान पत्रों का उपबन्ध है, की भी अब आवश्यकता नहीं रह गई है । माननीय मंत्री सभा में यह कह चुके हैं कि हम इसको खत्म कर देंगे क्योंकि कलकत्ता में हुए चुनाव में जो अनुभव हुआ है वह यही है कि पहचानपत्रों से कोई विशेष लाभ नहीं होगा।

नियम २४ में निर्वाचन क्षेत्रों के पुर्नपरिसीमन पर नामावलियों के तैयार किय जाने का विशेष उपबन्ध है । कल द्वि-सदस्य निर्वाचन क्षेत्र (समाप्ति) विधेयक, १९६० पुरःस्थापित किया जाने वाला है। सरकार को यह बताना चाहिये कि इस कार्य में कितना समय लगेगा ।

एक सिफारिश यह थी कि यदि कोई उम्मीदवार अपना नाम वापस ले लेता है तो उसकी जमानत लौटा दी जानी चाहिय । इसके लिय कोई भी उपबन्ध नहीं किया गया है । इसी प्रकार तबादला हो जाने वाले सरकारी कर्मचारियों के डाक द्वारा मतपत्र भेजे जाने की सिफारिश के बारे में भी कोई उपबन्ध नहीं किया गया है ।

निर्वाचन सम्बन्धी व्यय के बारे में भी एक सिफारिश-संख्या १४—की गई थी । उसकी स्थिति को स्पष्ट किया जाना चाहिये । फिर अपील के बारे में आयोग ने यह कहा है कि वह उच्चतम न्यायालय को की जानी चाहिय, उच्च न्यायालयों को नहीं । मेरा निवेदन है कि यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि आयोग की सिफारिश के अनुसार निर्वाचन सम्बन्धी अपीलों पर किस प्रकार प्रतिबन्ध लग सकता है । इसके लिय कोई उपाय निकाला जाना चाहिय ।

एक बात यह है कि अभी जरा जरा सी बातों पर निर्वाचन याचिकायें पेश की जाती हैं। कोई ऐसा यन्त्र होना चाहिय जो उनकी छानबीन करे ताकि निरर्थक याचिकाओं में समय नष्ट न हो । मैं समझता हूं कि ब्रिटेन में इस प्रकार की व्यवस्था है। हमें भी इस दिशा में कदम उठाना चाहिय ।

फिर मतों की गणना के सम्बन्ध में भी कोई उपाय किया जाना चाहिय ताकि उसमें गलती न हो सके। मैं चाहता हूं कि गणना में उपस्थित रहने वाले एजेंटों की अधिक संख्या में नियुक्ति की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि पुनर्गणना के आधार पर आगे अपीलें न हो सकें ।

[श्री तंगामणि]

इसके बाद मैं मत-पत्रों पर आता हूं। मतपत्र ऐसे कागज पर होना चाहिये जो पारदर्शी न हो क्योंकि पारदर्शी होने से दूसरी ओर से दिखाई देने की संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त मतपेटियों को भी प्रमुख स्थान पर रखा जाना चाहिये।

एक सुझाव यह भी था कि चुनाव सम्बन्धी सामग्री एकत्रित करने के लिये कोई इमारत भी होनी चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि इस दिशा में क्या कदम उठाया गया है।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि १९५७ के बाद जो चुनाव हुए हैं उनके बारे में भी निर्वाचन आयोग से प्रतिवेदन देने के लिये कहा जाना चाहिये ताकि आगामी चुनावों के लिये उपयुक्त व्यवस्था की जा सके।

†श्री सम्पत (नामक्कल) : मैं दो प्रश्न पेश करना चाहता हूं। क्या विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा प्रचार कार्य के लिये आकाशवाणी का उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में कुछ निर्णय कर लिया गया है? दूसरे, क्या निर्वाचन व्यय सम्बन्धी कानून को सख्ती से लागू कराने के लिये कुछ उपबन्ध किये जायेंगे?

†श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्राप्त मतों के आधार पर राजनैतिक दलों को मान्यता देने की पद्धति में इस आशय का संशोधन कर लिया गया है जिस से अब उन के अखिल भारतीय कार्यक्रम और संगठन पर विचार किया जायेगा?

दूसरी बात यह है कि क्या सरकार ने इस सभा के किसी सदस्य को किसी राज्य में मंत्री नियुक्त किये जाने पर ६ महीने तक इस सभा का सदस्य बने रहने सम्बन्धी कानून में संशोधन करने की व्यवहारिकता पर विचार किया है?

†श्री च० का० भट्टाचार्य (पश्चिम दीनाजपुर) : क्या सरकार राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचकों से हस्ताक्षर कराने के बाद उन्हें मतपत्र देने की परिपाटी बदलेगी क्योंकि इस से गोपनीय मतदान का प्रयोजन ही नष्ट हो जाता है?

†श्री रंगा (तेनालि) : पहले सामान्य निर्वाचन के समय राजनैतिक दलों को अखिल भारतीय संगठन के आधार पर मान्यता दी गई थी। परन्तु बाद में इस नियम को बदल दिया गया। अब जो नये दल बने हैं उन को बड़ी कठिनाई हो रही है क्योंकि वर्तमान स्थिति में उन को मान्यता प्राप्त होने की कोई संभावना नहीं है। इसलिये क्या सरकार पहले वाले फार्मूले को लागू करने के बारे में पुनर्विचार करेगी?

†श्री त्यागी (देहरादून) : निर्वाचन नियमों के नियम ८ में यह कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन अधिकारी आवश्यक सूचना प्राप्त करने के लिये लोगों के पास फार्म ४ में पत्र भेजेगा तथा उन लोगों को वह सूचना देनी होगी। मेरा निवेदन है कि क्या सरकार ने निर्वाचक नामावलियों को जनगणना के रजिस्टरों के आधार पर तैयार कराने की व्यावहारिकता पर विचार किया है?

दूसरी बात यह है कि अभी तक इस प्रकार की सूचना सरकारी कर्मचारी स्वयं लोगों के पास जा कर एकत्रित करते थ। क्या अब यह सारा कार्य पत्र-व्यवहार के आधार पर किया जायगा? मेरा विचार है कि यह तरीका ठीक नहीं होगा और नामावली कभी भी पूरी नहीं हो सकेगी। इस-

---

†मूल अंग्रेजी में

लिये यह अच्छा होगा कि जनगणना अधिकारियों की सहायता से ही नामावली बनाई जाये। ऐसा करने से अनावश्यक व्यय भी बच जायेगा।

†विधि मंत्री (श्री अ० कृ० से०) : सभापति महोदय, जितने सवाल उठाये गये हैं उन सब का उत्तर देना संभव नहीं है। परन्तु मैं यह बता देना चाहता हूं कि निर्वाचन आयोग की सिफारिशों के प्रकाशन के पश्चात् क्या मुख्य परिवर्तन किये गये हैं। निर्वाचन आयोग की सिफारिशें दूसरे सामान्य निर्वाचन (१९५७) संबंधी प्रतिवेदन के अध्याय ३० में दी हुई हैं। वे अनेक सिफारिशें हैं तथा हम ने उन में से ऐसी सिफारिशों को क्रियान्वित करने का प्रयत्न किया है जो प्रायः निर्विवाद हैं।

मैं सब से पहले उन नियमों को लेता हूं जो हाल में सभापटल पर रखे गये थे तथा जिन का श्री त्यागी ने निर्देश किया था। श्री तंगामणि ने भी प्रक्रिया की आलोचना की थी। अभी ऐसा होता है कि प्रतिवर्ष घर घर में जा कर सूची में सुधार किया जाता है। मैं समझता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में निर्वाचक नामावली को पूर्ण बनाने का इस से अच्छा अन्य कोई तरीका नहीं हो सकता है। सूची को प्रकाशित करने के पूर्व उस की भली प्रकार जांच एवं छानबीन की जाती है। फिर आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं। नये नियमों के अन्तर्गत आपत्तियों का निर्णय अधिक सरल ढंग से किया जायगा चाहे वे नाम सम्मिलित किये जाने के पक्ष में हों अथवा विपक्ष में। पहले एक पुनरीक्षण प्राधिकारी हुआ करता था जो प्रायः मजिस्ट्रेट होता था। कुछ मामलों में मुझे भी उपस्थित होना पड़ा है और मुझे याद है कि ऐसे मामलों में बहुत समय लगा करता था। इस प्रकार के कार्य के लिये मजिस्ट्रेट उपयुक्त नहीं हैं। इसलिये नये नियमों में यह उपबन्ध किया गया है कि आपत्तियों की सुनवाई और निपटारा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारियों द्वारा किया जायगा और उन के निर्णय के विरुद्ध अपील भी की जा सकेगी। अब आपत्तिकर्ता को स्वयं उपस्थित होना आवश्यक नहीं रहेगा क्योंकि कभी कभी वैसा बहुत कठिन हो जाता है।

आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् सूची को अन्तिम रूप दे कर प्रकाशित किया जाता है। उस के बाद यदि कोई व्यक्ति अपना नाम सम्मिलित करने के लिये प्रार्थनापत्र देता है तब उसके साथ एक रुपया शुल्क देना होगा। मैं समझता हूं कि यह उपबन्ध आवश्यक है क्योंकि अन्यथा प्रत्येक व्यक्ति अन्तिम वक्त पर ही आपत्ति करेगा और नामावली का निर्वाचन के पूर्व तैयार करना असंभव हो जायगा। यह एक रुपया शुल्क इसीलिये रखा गया है कि लोग अपना नाम सम्मिलित किये जाने के लिये तुरन्त कार्यवाही करें और आखिरी वक्त के लिये न रुके रहें।

दूसरी महत्वपूर्ण बात जो की गई है वह लोकप्रतिनिधान अधिनियम की धारा ५५ क के सम्बन्ध में है। यह निर्वाचन आयोग की सिफारिश संख्या ५ है। यह केवल इसलिये आवश्यक नहीं है कि अन्तिम समय पर नाम वापस न लिये जा सकें जिस से मतदाताओं के लिये कठिनाई न उत्पन्न हो वरन् इसलिये भी आवश्यक है कि निशान लगा कर मतदान करने की प्रणाली ठीक प्रकार लागू की जा सके। यदि अन्तिम समय तक नाम वापस लेने की अनमति दी जायगी तो निशान लगा कर मतदान करने की प्रणाली असंभव रहेगी क्योंकि उस प्रणाली में यह आवश्यक है कि मतपत्रों में समस्त उमीदवारों के नाम उन के चुनाव-चिन्हों सहित सम्मिलित हों। यदि कोई उम्मीदवार निर्वाचन के दस दिन पूर्व अपना नाम वापस लेता है तो निर्वाचन के लिये मतपत्र तैयार कराना असंभव होगा। इसीलिये धारा ५५क को निकाल दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० कु० सेन]

तीसरी सिफारिश जो क्रियान्वित की गई है यह है कि जब कोई न्यायाधिकरण किसी निर्वाचन को अवैध घोषित करता है अथवा ररोधनादेश जारी करता है तो उसे निर्वाचन आयोग को उस की सूचना देनी चाहिये। फिर हमने १९५० में पारित किये गये अधिनियम की धारा ६१ में भी संशोधन किया है। अब वह महत्वपूर्ण नहीं रही है। वह उन क्षेत्रों में पहचान पत्रों के लागू किये जाने के संबंध में थी जिन में अधिक अथवा अस्थिर जनसंख्या होने के कारण जाली मतदान बहुत होता था। परन्तु अब हमें यह पता लगा है कि इन पहचान पत्रों को लागू करना बहुत कठिन है और वैसा करने में बहुत खर्च करना होगा।

निर्वाचन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये जो नियम हम ने बनाये हैं वे हम समय समय पर सभा पटल पर रखते रहे हैं। कल हम ने यह भी बताया था कि हम हिमाच्छादित एवं पर्वतीय प्रदेशों में भी निर्वाचन के सम्बन्ध में शीघ्रता करने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि समस्त क्षेत्रों में निर्वाचन मई, १९६२ तक समाप्त हो जायें। माननीय सदस्यों को देश के आकार और जनसंख्या का ध्यान रखना चाहिये।

†श्री हेमराज (कांगड़ा) : क्या वे चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के पूर्व समाप्त हो जायेंगे ?

†श्री अ० कु० सेन : प्रत्येक प्रयत्न किया जायगा परन्तु यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव मई के पहले किया जाना है तो मैं नहीं जानता कि हिमाच्छादित क्षेत्रों में चुनाव पूरा करना संभव होगा क्योंकि बर्फ हमारी सुविधा के अनुसार नहीं गलती है।

†श्री हेमराज : क्या सीमान्त क्षेत्रों में निर्वाचन जल्दी कराने का प्रयत्न किया जायगा ?

†श्री अ० कु० सेन : यदि निर्वाचन उचित ढंग से होना है तो समस्त व्यक्तियों को अपना मत देने की सुविधा दी जानी चाहिये। जब वे क्षेत्र पूर्णतः हिमाच्छादित होंगे तो निर्वाचन कराना किस प्रकार संभव होगा ? जब तक बर्फ नहीं पिघलेगी तब तक लोग मतदान करने कैसे आ सकते हैं ?

†श्री हेम राज : क्या वहां निर्वाचन सामग्री कुछ जल्दी नहीं भेजी जा सकती है ताकि समस्त कर्मचारी गांवों में काम कर सकें ?

†श्री अ० कु० सेन : यह प्रश्न केवल सामग्री भेजने का नहीं है। प्रश्न यह है कि मतदाता दूरस्थ क्षेत्रों से मतदान केन्द्रों तक पहुंच सकें।

†श्री हेमराज : मतदाता वहां पहुंच सकते हैं।

†श्री अ० कु० सेन : माननीय सदस्य को ऐसे मामलों में अपने निजी अनुभव के बजाय निर्वाचन आयोग के निर्णय पर निर्भर करना होगा।

जहां तक श्री रंगा द्वारा उठाये गये अखिल भारतीय दलों को मान्यता देने के प्रश्न का संबंध है, मैं समझता हूं कि निर्वाचन आयोग ने जो मानदंड रखा है उस के अतिरिक्त अन्य कोई मानदंड ठीक नहीं होगा। श्री ब्रजराज सिंह ने कहा कि दलों के कार्यक्रम और संगठन पर विचार किया जाना चाहिये। परन्तु कार्यक्रम और संगठन की परीक्षा उन के द्वारा प्राप्त किये गये मतों से होती है। इस का निर्णय कौन करेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रंगा : माननीय मंत्री इस के बारे में विचार कर के बाद में निर्णय दे सकते हैं ।

†श्री अ० कु० सेन : यदि रोज नये दल बनेंगे तो इस का मतलब यह नहीं है कि निर्वाचन आयोग के नियम उन के कारण बदले जायें । आगामी चुनाव में अपना प्रदर्शन करके ही उन्हें मान्यता मिलेगी ।

†श्री ंगा : निर्वाचन के बाद मान्यता की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जायगी ।

†श्री अ० कु० सेन : माननीय सदस्य को आगामी चुनाव तक प्रतीक्षा करनी ही होगी ।

†श्री ब्रजराज सिंह : क्या ३ प्रतिशत का नियम लागू होगा ?

†श्री अ० कु० सेन : जब तक संसद् नियमों को बदलती नहीं है तब तक उनका पालन करना ही होगा ।

†श्री ब्रजराज सिंह : निर्वाचन आयोग उन्हें बदल सकता है ।

†श्री अ० कु० सेन : जी, नहीं ।

†श्री तंगामणि : माननीय मंत्री ने मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है ।

†सभापति महोदय : माननीय सदस्य को उन की पूर्वसूचना देनी चाहिये थी क्योंकि माननीय मंत्री प्रत्येक प्रश्न का उत्तर ऐसे नहीं दे सकते हैं ।

†श्री ब्रजराज सिंह : इस सभा की सदस्यता और अन्य राज्य के मंत्रिपद के बारे में आप ने कोई उत्तर नहीं दिया ?

†श्री अ० कु० सेन : वह एक व्यक्तिगत प्रश्न है । जहां तक मेरा सम्बन्ध है म सभा के किसी अच्छे सदस्य को किसी राज्य का मंत्रिपद ग्रहण करने से नहीं रोकूंगा ।

†श्री त्यागी : मेरा निवेदन है कि कानून में यह अनुमति दी गई है कि को संसद्-सदस्य किसी राज्य में छै महीने तक मंत्री रह सके ।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए—

†सभापति महोदय : अब यह चर्चा खत्म होती है ।

राज्य व्यापार निगम*

†श्री महन्ती (ढेंकनाल) : चर्चा प्रारम्भ करने में मेरा आशय यह कदापि नहीं है कि मैं राज्य व्यापार निगम के कार्यों की आलोचना करूं । वस्तुतः यह चर्चा ८ दिसम्बर, १९६० को तारांकित प्रश्न संख्या ७८४ के सम्बन्ध में पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के फलस्वरूप उत्पन्न हुई । मैंने यह प्रश्न पूछा था कि क्या सरकार और राज्य व्यापार निगम की यह नीति है कि वह गैर-सरकारी व्यक्तियों या आयातकर्त्ताओं को प्राधिकार पत्र जारी करे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*आधे घंटे की चर्चा ।

[श्री महन्ती]

इस पर मंत्री महोदय ने उत्तर दिया था कि यह सामान्य नीति है कि जिस फर्म को लाइसेंस दिया जाता है वह उसे कुछ स्थितियों में किसी अन्य व्यक्ति को उसके उपयोग का अधिकार दे सकती है ।

मंत्री जी के आशय से यह स्पष्ट था कि वह राज्य व्यापार निगम को एक गैरसरकारी व्यक्ति के समान समझते हैं । हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि राज्य व्यापार निगम की स्थापना राज्यों के स्तर पर व्यापार करने को की गयी है । यह सरकारी क्षेत्र की एक ऐसी संस्था है जिसकी किसी गैर सरकारी व्यक्ति या फर्म से तुलना नहीं की जा सकती है ।

इस सम्बन्ध में मैं एक मामले का उदाहरण देना चाहता हूं । ८ अप्रैल को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३५४ के उत्तर में यह कहा गया था कि अक्तूबर, ५९ और मार्च, ६० की छमाही में राज्य व्यापार निगम से जिंक का प्रयोग करने वाले उद्योगों के लिये रुपये के आधार पर माल देने वाले देशों से ८६०० टन जिंक का आयात करने को कहा गया था, तथापि मार्च, १९६० तक राज्य व्यापार निगम केवल २१०० टन जिंक आयात कर सका । इससे उन उद्योगों को जो कि जिंक का प्रयोग करते हैं बहुत परेशानी हो गयी । इस परेशानी को दूर करने के लिये राज्य व्यापार निगम ने यह लायसेंस कलकत्ता की दो बड़ी फर्मों को दे दिया मेरे विचार से ऐसा करना नितांत अनुचित है । इससे काला-बाजार को प्रोत्साहन मिलता है ।

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुए]

मेरे विचार से निगम को यह अधिकार नहीं है कि वह गैरसरकारी फर्मों को प्राधिकार पत्र दे । यह अधिकार केवल आयात और निर्यात के महानिदेशक को प्राप्त है । निस्संदेह राज्य व्यापार निगम की सिफारिश से गैर-सरकारी फर्मों को लाइसेंस दिया जा सकता है । तथापि जब कभी राज्य व्यापार निगम की सिफारिश से ऐसा किया जाता है तो आयातकर्त्ता फर्म उसे अपनी ओर से मंगा कर वास्तविक उपभोक्ता को देती है । इसका यह फल होगा कि वह अपना कमीशन या लाभ कर ही वस्तु को वास्तविक उपभोक्ता तक पहुंचायेगा । इस प्रकार जिस उद्देश्य को ध्यान में रख कर इस निगम की स्थापना की थी वही उद्देश्य असफल हो जाता है । यदि कच्चा माल निगम के द्वारा ही वास्तविक उपभोक्ता को दिया जाता है तो उस माल पर कोई कमीशन या लाभ नहीं लिया जाता है । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि यदि निगम किसी कच्चे माल के लाइसेंस का प्रयोग नहीं कर सके तो निगम को उस लाइसेंस को वास्तविक उपभोक्ताओं को ही दे देना चाहिये ।

यदि सरकार सभा पटल पर ऐसे गैरसरकारी आयातकर्त्ताओं की सूची रखे जिनको निगम की सिफारिश से लाइसेंस दिया गया है, तो यह ज्ञात होगा कि उन वस्तुओं के सम्बन्ध में कालाबाजार उन्हीं फर्मों की ओर से किया गया है । अतः इस प्रकार किसी कच्चे माल या दुर्लभ माल के आयात के लिये निगम द्वारा आयात निर्यात के महानियंत्रक से किसी विशेष फर्म की सिफारिश करना निगम की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है और इससे वास्तविक उपभोक्ताओं को भी हानि पहुंचने की संभावना है ।

†श्री ब्रज राज सह (फिरोजाबाद) : क्या सरकार सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखेगी, जिसमें उस कच्चे माल का मूल्य दिया हो जो कि निगम द्वारा दिये गये प्राधिकार पत्रों के आधार

---

†मूल अंग्रेजी में

पर आयात किया गया ? क्या राज्य व्यापार निगम जो कि जूतों का निर्यात करती है अपने एजेंटों से जूते खरीदने के स्थान में स्वयं निर्माताओं से जूते खरीदेगी ?

†श्री त्यागी (देहरादून) : निगम की स्थापना इस निरन्तर मांग के फलस्वरूप हुई है कि देश के आयात और निर्यात का कार्य सरकार के द्वारा किया जाय । मेरे विचार से निगम की पूंजी में कुछ अंश पूंजी भी शामिल की जाय जिससे निगम अपने कार्य का व्यापक विस्तार कर सके और समस्त आयात निर्यात व्यापार को अपने हाथों में ले सके । अतः सरकार को चाहिये कि कुछ अंश-पूंजी शामिल की जाय और जनता को भी इन अंशों को खरीदने की छूट दी जाय, संभव हो सके तो विदेशी पूंजी को भी इस कार्य में लगाया जाय ।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि राज्य व्यापार निगम को अधिकतम लाभ की एक सीमा निश्चित कर लेनी चाहिये, इसके अतिरिक्त निगम द्वारा नियुक्त किये जाने वाले एजेंटों और दलालों के सम्बन्ध में भी विस्तृत जांच की जाय ।

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : मैं सभा का ध्यान उन दिनों की चर्चा की ओर दिलाना चाहता हूं जब कि राज्य व्यापार निगम की स्थापना की गयी थी । सरकार की नीति के सम्बन्ध में यह स्पष्ट कहा गया गया था कि निगम की स्थापना व्यापार के किसी विशेष क्षेत्र में अपना अधिकार जमाने के उद्देश्य से नहीं की गई है अपितु व्यापार के उस क्षेत्र में पूरक प्रयत्न करने के उद्देश्य से की गई है । संसद् के निदेशों के अधीन निगम व्यापार के किसी विशेष क्षेत्र में जहां कि सामान्य रूप से व्यापार चल रहा हो प्रतियोगिता नहीं कर सकता है ।

निस्संदेह निगम कुछ वस्तुओं के सम्बन्ध में जहां पर वह स्थायी रूप से व्यापार करना चाहता है अपनी इच्छा से व्यापार करता है । इस के अतिरिक्त सरकार निगम से कुछ वस्तुओं का व्यापार कुछ विशेष समय तक करने को कह सकती है । यह विचार नहीं किया गया कि निगम स्थायी रूप से अलौह वस्तुओं के सम्बन्ध में व्यापार करे । क्योंकि इन अलौह वस्तुओं का व्यापार पिछली आधी शताब्दी से किया जा रहा है । वस्तुतः ऐसी स्थिति पैदा हो गयी थी कि पर्याप्त विदेशी मुद्रा न रहने के कारण हम जिंक तथा कई अन्य वस्तुओं का अपेक्षित मात्रा में आयात नहीं कर पाये । अतः सरकार ने निगम को इन वस्तुओं, जिन में जिंक भी शामिल थी, के आयात करने का निदेश दिया ।

यह निदेश केवल तभी तक के लिये है जब तक कि इस क्षेत्र में सामान्य स्थिति पैदा न हो जाय । संभव है अपने अनुभव ज्ञान और सम्पर्कों के कारण निगम इन में से कुछ वस्तुओं के सम्बन्ध में स्थायी रूप से व्यापार करना प्रारम्भ कर देवे । विशेषतः इस कारण भी कि उसने इन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिये नये स्रोत खोज निकाले हैं । अतः इस क्षेत्र में निगम ने केवल सरकार के निदेश पर ही कार्य करना प्रारम्भ किया वह निगम के व्यापार के निमित्त सामान्य क्षेत्र नहीं था ।

सरकार ने निगम को ऐसा निदेश किस कारण दिया कि वह निर्बाध मुद्रावाले क्षेत्रों से व्यापार करने के अतिरिक्त ऐसे देशों से भी व्यापार करता है जहां से होने वाला व्यापार व्यापार संतुलन के आधार पर चलता रहता है । इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि कई देश भारत के साथ रुपये के आधार पर व्यापार करते हैं । अर्थात् यदि भारत उन देशों से कोई वस्तु खरीदता है तो यह समझा जाता है कि आयात की गई वस्तुओं के मूल्य के समकक्ष उन देशों से निर्यात भी किया जायेगा । इस सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि किसी विशेष आधार से इस संतुलन की महीनेवार या प्रत्येक तिमाही में जांच की जाय । यदि इस सम्बन्ध में कोई नियंत्रण और प्रतिबन्ध नहीं रहेगा तो हम अपने निर्यात

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कानूनगो]

से अधिक अयात कर सकते हैं। ऐसे देश जो कि राज्य आधार पर व्यापार करते हैं उनकी भारत में व्यापार एजेंसियां हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वे व्यापार के उन विशेष क्षेत्रों में आयातकर्त्ताओं से सम्पर्क बनाये रखना चाहते हैं जिससे कि वे लोग उनका माल खरीदें।

जब भारत में जिंक की कमी हुई तो भारत सरकार ने निगम को निदेश दिया कि वे अन्य संसाधनों से अधिक से अधिक जिंक प्राप्त करने का प्रयत्न करें। श्री महन्ती का कथन है कि निगम ने जिंक की एक निश्चित मात्रा का निर्यात करने का प्रयत्न किया तथापि उन्हें अपने प्रयत्नों में सफलता नहीं मिली। इसमें सन्देह नहीं कि निगम उस कीमत में जिंक प्राप्त नहीं कर सका जिसमें हम चाहते थे। इसका आशय यह है कि हम निर्वाध मुद्रा वाले देशों से खुले बाजार में जिंक प्राप्त करने की स्थिति में नहीं थे। हमें जिंक प्राप्त करने के लिये उन देशों के पास जाना था जो कि हमें माल के निर्यात के आधार पर यह वस्तु दे सकें। तथापि निगम अपने पूरे प्रयत्नों के बावजूद भी उन देशों से अपेक्षित मात्रा में माल प्राप्त नहीं कर सका। इस कारण कमी हो गयी।

सारी चर्चा प्रश्न के उन उत्तरों से उत्पन्न हुई जहां मैंने कहा था कि हमने आयात लाइसेंस अन्य फर्मों के नाम पृष्ठांकित कर दिये थे। ऐसा निगम के मामले में हो सकता है तथा अन्य फर्मों के मामले में भी होता है।

निगम के मामलों में ऐसा विशेषतः होता है। मान लिया जाय कि निगम को किसी देश से २००० टन जिंक प्राप्त होता है। उस देश के एजेंट भारत में भी हैं जो कि सामान्य रूप से उन देश से जिंक तथा अन्य वस्तुयें खरीदते हैं। तथा यह खरीद निर्वाध मुद्रा में चलती है। जब निर्वाध मुद्रा उपलब्ध नहीं होती है तो निर्यातकर्त्ता देश यह कहते हैं कि यह आयात उन्हीं के द्वारा किया जाय। क्योंकि उनका उनके साथ सम्पर्क है। तथापि हमारे हित में यह है कि हम वह माल मंगायें जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है जिससे कि कीमतों तथा वितरण के ऊपर नियंत्रण रहे। इसके लिये मुख्य आयात-नियंत्रक निगम को लाइसेंस जारी करता है। तथा निगम उन देशों से जिनके एजेंट भारत में मौजूद हैं अधिकाधिक आयात करने का प्रयत्न करता है। वे उन एजेंटों से उतनी मात्रा आयात करने को कहते हैं। अर्थात् वे उतनी मात्रा का लाइसेंस उनके नाम पृष्ठांकित कर देते हैं। अन्यथा उस वस्तु का आयात नहीं किया जा सकता है। तथ्य यह है कि वे स्वयं इसका आयात नहीं कर सकते थे। तथापि अपने सम्पर्कों के कारण वे माल इस प्रकार मंगा सकते हैं कि पृष्ठांकन की शर्तों के अधीन वे इस माल को आयात के मुख्य नियंत्रक के निदेशानुसार विशिष्ट मूल्य पर ही वितरित करेंगे।

जहां तक वास्तविक उपभोक्ताओं का सम्बन्ध है, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का विकास विभाग यह जानता है कि अनुसूचित उद्योगों की मांग कितनी है। और यदि किसी विशेष फर्म की मांग १०० है तो वह उससे कह सकती है कि आप २० प्रतिशत की मात्रा का लाइसेंस अपने नाम में पृष्ठांकित कर सकते हैं तथा माल को सीधे अपने पास ही मंगा सकते हैं। अथवा निगम उनके लिये आयात कर उन्हें दे देता है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

स्थापित आयातकर्त्ता उनको यह माल विकास विभाग द्वारा निश्चित कीमत पर देता है। इसके अतिरिक्त कुछ मात्रा बिक्री के लिये और भंडार में रखी जाती हैं, क्योंकि सभी उद्योग उसके अन्तर्गत नहीं आते हैं। जैसे जिंक का उपयोग कई छोटे छोटे उपभोक्ताओं के द्वारा भी किया जाता है। उनकी मांगें राज्यों के उद्योग निदेशक की सिफारिश के आधार पर पूरी की जाती हैं। तदन्तर सारे राज्यों की मांग समेकित की जाती है। इसके पश्चात् छोटे पैमाने के उद्योग निगम इस बात का निश्चय करता है कि प्रत्येक राज्य को कितनी मात्रा दी जाय तब तक यह मांग उन फर्मों पर रखी जाती है जो कि बिक्री के आधार पर माल रखते हैं।

इन वस्तुओं की कीमत वितरण तथा लाभ इत्यादि सभी बातों का निश्चय निगम के द्वारा किया जाता ह। निगम अपने समझौतों की शर्तों के अधीन कड़ा नियंत्रण रखता है। इन सहकारी फर्मों की लेखा पुस्तकों इत्यादि का सक्षम निरीक्षकों और सक्षम लेखापालों द्वारा निरीक्षण किया जाता है। वे यह देखते हैं कि प्राधिकारी फर्मों को वे वस्तुएं उचित कीमत में उपलब्ध हो जायें।

इसमें सन्देह नहीं कि सभी स्तरों पर कुछ भ्रष्टाचार हो सकता है। छोटे उपभोक्ता उन फर्मों से सीधे माल खरीद सकते हैं। तथापि हम पूरी सावधानी बरतने का प्रयत्न करते हैं। तथापि अलभ्य वस्तुओं की बिक्री में बहुत लाभ होने के कारण इसमें भ्रष्टाचार भी होता है। हम निरंतर निरीक्षण इत्यादि के द्वारा तथा पर्याप्त मात्रा में माल मंगा कर इस बात का प्रयत्न करते हैं कि इन वस्तुओं की कमी न रहने पावे।

जहां तक जूतों का सम्बन्ध है हम जूतों का निर्यात करते हैं। ऐसे निर्यात में समझौता निगम और खरीदार के बीच होता है, निगम माल के संभरण, उसके इन्कार होने इत्यादि सभी बातों का खतरा लेता है। निगम छोटे पैमाने के निगम से माल संभरित करने को कहता है। राज्य व्यापार निगम एक व्यापारी संस्था है अतः वह छोटे पैमाने के उद्योग निगम से माल खरीदती है। वह उन स्थापित फैक्टरियों से भी माल खरीदती है जो विकास विभाग के अधीन हैं। उन के पास निरीक्षण की ऐसी व्यवस्था है कि वे बड़े पैमाने पर माल खरीद सकते हैं। छोटे निर्माताओं से माल खरीदते समय राज्य व्यापार निगम इस बात का प्रयत्न करता है कि उचित कीमत में अच्छा माल मिल सके। निगम वस्तुतः उन सभी लोगों से माल खरीदने को तैयार है जिसे व्यापार का अनुभव है और जो निगम की शर्तों को पूरा कर सकता है।

सभा में इस सम्बन्ध में कई प्रश्न पूछे गये कि हजारों जोड़े जूते क्यों अस्वीकार कर दिये गये। एक छोटा व्यापारी उस की कीमत नहीं लौटा सकता है। वस्तुतः यह माल निगम को किसी न किसी प्रकार शायद कुछ घाटा खा कर बेचना पड़ा। अतः व्यापारी संस्था होने के नाते निगम को विश्वासी संभरणकर्ताओं पर निर्भर रहना पड़ेगा जो खतरा भी ले सकें तथा उचित प्रकार का माल भी दे सकें।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : मेरे कथन का तात्पर्य यह था कि राज्य व्यापार निगम को निर्माताओं या निर्माताओं के संघ से ही सीधा माल खरीदना चाहिये।

†**श्री कानूनगो** : निगम छोटे व्यापारियों से माल नहीं खरीद सकती है, तथापि वह ऐसे प्रत्येक ऐजेंट से माल खरीदने को तैयार है जो उसे उचित कीमत और उचित प्रकार का माल दे सके। वे यह कार्य अपने ऐजेंटों तथा छोटे पैमाने के उद्योग निगम के द्वारा करते हैं।

मैं श्री त्यागी को यह बता देना चाहता हूं कि निगम के पास पूंजी की कोई कमी नहीं है। वाणिज्यिक संस्था के रूप में वे दो करोड़ की अधिकृत पूंजी से कई करोड़ का कार्य कर रहे हैं। पूंजी का इतना महत्व नहीं होता है जितना कि कार्य को करने के तरीके या सामर्थ्य का। मैं आशा करता हूं कि यथासमय राज्य व्यापार निगम में ये गुण आ जायेंगे। अतः जब तक संसद् अन्यथा निर्देश नहीं देती है निगम का कार्य सीमित रहेगा। क्योंकि वे व्यापार की सामान्य प्रणाली में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। जहां भी उन्होंने कुछ हस्तक्षेप किया है वह केवल कुछ समय के लिये ही किया है अतः जब उस क्षेत्र में स्थिति सामान्य हो जायेगी तो वह उस क्षेत्र से हट जायेंगे।

इस के पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, २३ दिसम्बर, १९६०/२ पौष, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

[गुरुवार, २२ दिसम्बर, १९६०
१ पौष, १८८२ (शक)]

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	३३६१—८९
तारांकित प्रश्न संख्या	
१०५४ उर्वरक वितरण जांच समिति	३३६१—६४
१०५५ प्रशिक्षण अधिकारियों के अनुस्थापन तथा अध्ययन केन्द्रों का पाठ्यक्रम	३३६४
१०५६ देसी नाव सहकारी समितियां .	३३६४—६५
१०५७ एक्सप्रैस डाक .	३३६६—६८
१०५८ राजस्थान नहर	३३६८—७०
१०५९ परली-वैजनाथ—लातूर लाइन . . .	३३७०—७१
१०६१ चुम्बकीय तूफान . . .	३३७१—७२
१०६२ कोयला-परिवहन . . .	१३७२—७७
१०६४ कठुआ और जम्मू के बीच रेलवे सम्पर्क . .	३३७८—७९
१०६५ गैर-सरकारी विमान कम्पनियों को गैर-अनुसूचित पर्मिट .	३३७९—८२
१०६७ दक्षिण रेलवे में वर्षा के कारण क्षति .	३३८२—८३
१०६८ डाक टिकट . .	३३८३—८४
अल्प सूचना प्रश्न संख्या	
८ अदीस अबाबा में भारतीय . . .	३३८४—८५
९ नाहरकटिया तेल क्षेत्र से प्राप्त प्राकृतिक गैस का उपयोग	३३८५—८८
१० संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा चीनी का खरीदा जाना .	३३८८—८९
प्रश्नों के लिखित उत्तर	३३८९—३४३१
तारांकित प्रश्न संख्या	
१०६० दिल्ली में गृह-निर्माण सहकारी समितियां . .	३३८९—९०
१०६३ डाक तथा तार विभाग में कल्याण समितियां . .	३३९०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः

तारांकित
प्रश्न संख्या

१०६६ तलकर्षण सम्बन्धी समस्यायें ३३९०
१०६९ तिरूपति में हवाई अड्डा . . ३३९०–९१
१०७० दमदम हवाई अड्डे पर उपहार-गृह ३३९१
१०७१ मनिहारी घाट के निकट रेल मार्ग . ३३९१
१०७२ दक्षिण पूर्व रेलवे पर बुकिंग का बन्द किया जाना ३३९२
१०७३ हल्दिया और खड़गपुर लाइन . . ३३९२
१०७४ हिमाचल प्रदेश में आलू का बीज. ३३९३
१०७५ कृषि आयोग ३३९३–९४
१०७६ रंगपुर सड़क पुल (आन्ध्र प्रदेश) के लिये इस्पात . ३३९४
१०७७ पीपलिया स्टेशन के निकट गाड़ी का पटरी से उतरना ३३९४
१०७८ गाड़ी पर गोली चलाया जाना ३३९४–९५
१०७९ खोसला समिति की रिपोर्ट ३३९५

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२२२५ चिकित्सा कर्मचारी ३३९५
२२२६ मध्य प्रदेश से चावल और गेहूं की खरीद . . . ३३९६
२२२७ खाने योग्य मूंगफली की खली और आटे का उत्पादन . ३३९६
२२२८ चलते फिरते अस्पताल . ३३९६
२२२९ अम्बाला में ऊपरी पुल ३३९६–९७
२२३० दिल्ली में कृषि विकास ३३९७
२२३१ डेरा बाबा नानक और कादियां स्टेशनों पर आय . . ३३९७
२२३२ पंजाब में परिवार नियोजन केन्द्र. . ३३९७
२२३३ भारतीय नदियों की सिंचाई तथा विद्युत् क्षमता ३३९७–९८
२२३४ जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजपथ . ३३९८
२२३५ दामोदर घाटी निगम का सिंचाई राजस्व . . ३३९९
२२३६ सोनपुर गण्डक पुल पर दुर्घटना . ३३९९
२२३७ टेलीफोन के कनेक्शन . . ३३९९–३४००
२२३८ कोलम्बो के लिये विमान सेवा . . ३४००
२२३९ परिवार नियोजन ३४००

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या		
२२४०	ऊपर और नीचे के पुल	३४०१
२२४१	ठंडे गोदाम	३४०१
२२४२	एकीकृत प्रशिक्षण संस्थायें	३४०१
२२४३	विमान सेवाओं में लगे हुए विदेशी	३४०२
२२४४	हिमाचल प्रदेश में बस-दुर्घटना	३४०२
२२४५	हिमाचल प्रदेश में ऋण	३४०२–०३
२२४६	बिजली से चलने वाले रेल के इंजन	३४०३
२२४७	गुजरात में खण्ड विकास समितियां	३४०३
२२४८	साबरमती स्टेशन पर माल का रुकना	३४०४
२२४९	पश्चिम रेलवे में रेलवे क्वार्टर	३४०४–०५
२२५०	गाड़ियों का देरी से चलना	३४०५
२२५१	छोटे पत्तन	३४०५–०६
२२५२	मदुरै में नीरोगन संयंत्र	३४०६
२२५३	पश्चिमी बंगाल में अंडे सेने का केन्द्र	३४०६
२२५४	टूंडला स्टेशन के भंगी	३४०६–०७
२२५५	रामेश्वरम् के निकट पुल	३४०७
२२५६	चीनी कारखाने	३४०७–०८
२२५७	कलकत्ता पत्तन आयोग	३४०८–०९
२२५८	गुजरात में पानी की उपलब्धता	३४०९
२२५९	दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा ली गई भूमि के लिये क्षतिपूर्ति	३४०९–१०
२२६०	दक्षिण पूर्व रेलवे पर यात्रियों का रेलगाड़ी से बाहर फेंका जाना	३४१०
२२६१	वेस्पा स्कूटरों का सड़क-कर	३४१०
२२६२	डाक तथा तार कर्मचारी	३४११
२२६३	ट्रेन एग्जामिनर	३४११
२२६४	ट्रेन एग्जामिनर	३४११–१२
२२६५	दिल्ली में रेल श्रयकों का दम घुट जाना	३४१२
२२६६	रेलवे पर सामान की चोरी	३४१२
२२६७	रेलवे क्वार्टरों का आवंटन	३४१३
२२६८	मद्रास में सर्कुलर रेलवे	३४१३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या		
२२६९	वेल्लोर-कांजीवरम् लाइन	३४१३
२२७०	यौन परिवर्तन . .	३४१४
२२७१	टेलीफोन आपरेटरों की क्रमोन्नति	३४१४
२२७२	कुन्दा परियोजना .	३४१५
२२७३	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर घड़ी	३४१५
२२७४	वाल्टेयर और खड़गपुर में प्रादेशिक दफ्तर .	३४१५–१६
२२७६	रेलवे की जमीन .	३४१६
२२७७	भानुपली और नंगल बांध के बीच नया स्टेशन	३४१६
२२७८	अन्तर्राष्ट्रीय तार घर	३४१६–१७
२२७९	क्वाली नहर योजना	३४१७
२२८०	परिवार नियोजन के विरुद्ध प्रचार	३४१७
२२८१	बीकानेर डिवीजन में रेल के फाटक	३४१८
२२८२	सेन्ट्रल स्टोरेज डिपो, कानपुर	३४१८–१९
२२८३	लाहौरी गेट स्टेशन का ठेकेदार .	३४१९
२२८४	मदुरै डिवीजन का इंजीनियरिंग विभाग	३४१९–२०
२२८५	राष्ट्रीय राजपथ संस्था ७ . . .	३४२०
२२८६	अवकाश प्राप्त रेलवे कर्मचारियों को पेंशन सम्बन्धी सुविधायें	३४२०–२१
२२८७	कृषि उत्पादन	३४२१
२२८८	मदुरै में कृषि कालिज .	३४२१
२२८९	त्रिपुरा में डाक्टर	३४२२
२२९०	त्रिपुरा में झूमिया	३४२२
२२९१	केन्द्रीय उर्वरक पूल .	३४२२
२२९२	उत्तर रेलवे का विद्युत् विभाग . .	३४२३
२२९३	पश्चिमी बंगाल में रेलवे के लिये भूमि का अधिग्रहण	३४२३
२२९४	भारत की आहार सम्बन्धी एटलस	३४२३–२४
२२९५	अमरीकी कृषकों का दौरा . .	३४२४
२२९६	रेलवे में विवादों को सुलझाने के लिये मध्यस्थता	३४२४–२५
२२९७	डाकखाने से बीमा शुदा पार्सल का गुम होना	३४२५
२२९८	उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण योजना	३४२५–२६

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२२९९	जिला तार घर, पालघाट	३४२६
२३००	नौरोजी नगर, नई दिल्ली के निकट शमशान भूमि	३४२६
२३०१	सैलम बंगलौर रेलवे लाइन	३४२६–२७
२३०२	दिल्ली में विश्व स्वास्थ्य सभा .	३४२७
२३०३	पिथौर गढ़ में डाक और तार भवन	३४२७
२३०४	कीट परजीवि विज्ञान	३४२८
२३०५	टलिहल हवाई अड्डा (इम्फल) .	३४२८–२९
२३०६	इम्फाल नगरपालिका .	३४२९
२३०७	मनीपुर में चावल और धान का उत्पादन .	३३२९
२३०८	मनीपुर में चावल और धान की वसूली	३४२९
२३०९	इम्फाल सिविल अस्पताल .	३४३०
२३१०	डिकोम के निकट ट्रेन-ट्रक भिड़न्त	३४३०
२३११	लखनऊ की कैरिज और वैगन वर्क शाप	३४३०–३१
स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . .		३४३१
सभा पटल पर रखे गये पत्र		३४३१–३२
(१) प्रोफेसर जे० के० गालब्रेथ के दिनांक २९ अप्रैल, १९५९ के "सम नोट्स आन दी रेशनेल आफ इंडियन इकनोमिक आर्गेनाइजेशन" शीर्षक के एक टिप्पण की एक प्रति ।		
(२) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत बम्बई चीनी (निर्यात नियंत्रण) आदेश, १९५९ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ३ दिसम्बर, १९६० की अधि-सूचना संख्या जी० एस० आर० १४४० की एक प्रति ।		
राज्य सभा से सन्देश		३४३२
सचिव ने राज्य सभा से निम्नलिखित सन्देश प्राप्त होने की सूचना दी :—		
(१) कि राज्य सभा को लोक-सभा से भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, १९६० के बारे में, जो १६ दिसम्बर, १९६० को लोक-सभा द्वारा पारित किया गया था, कोई सिफारिश नहीं करनी है ।		
(२) कि राज्य सभा १९ दिसम्बर, १९६० की अपनी बैठक में प्रसूति लाभ विधेयक, १९६० सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में		

विषय पृष्ठ

राज्य सभा से संदेश—क्रमश:

सम्मिलित होने के लिये लोक-सभा की सिफारिश से सहमत हो गई है और उस ने उक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिये १५ सदस्यों को मनोनीत किया है ।

संसदीय समितियों के कार्यवाही-सारांश ३४३३

(१) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की बारहवें सत्र में हुई (बहत्तरवों से छियत्तरवीं) बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखे गये ।

(२) सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की बारहवें सत्र में हुई बाईसवीं बैठक के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखे गये ।

(३) याचिका समिति की बारहवें सत्र में हुई (अड़तालीसवीं से पचासवीं) बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखे गये ।

याचिका समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . ३४३३

ग्यारहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित ३४३४

एक सौ दोवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ३४३४

श्री रघुनाथ सिंह ने रुद्रसागर, आसाम में तेल मिलने के समाचार की ओर इस्पात, खान और ईंधन मंत्री का ध्यान दिलाया ।

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य . . . . . ३४३४—३६

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) ने ई० एन० आई० के दल के साथ चर्चा के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

विधेयक—विचाराधीन . . . ३४३६

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) ने बाल विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

विषय	पृष्ठ
आधे घंटे की चर्चायें	३४६०—६९

(१) श्री तंगामणि ने निर्वाचन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ६३६ के २ दिसम्बर, १९६० को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठायी ।

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया ।

(२) श्री सुरेन्द्र महन्ती ने राज्य व्यापार निगम के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ७८४ के ८ दिसम्बर, १९६० को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठायी ।

वाणिज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द कानूनगो) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया ।

शुक्रवार २३ दिसम्बर, १९६०/२ पौष, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि—

बाल विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा और उस का पारित किया जाना;

तार विधियां (संशोधन) विधेयक पर, ब्रिटिश संविधि (भारत पर लागू होना) विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, तथा निरसन और संशोधन विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार तथा उन का पारित किया जाना और गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर भी विचार ।

GIPND—LS III—1717(Ai) LS—12-1-1961—115.